



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआइ/2011-2012/61

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 11/21.06.001/2011-12

1 जुलाई 2011

10 आषाढ़ 1933 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

**मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण
दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)**

कृपया 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी.15/21.06.001/2010-11 देखें, जिसमें उस तारीख तक बैंकों को जारी दिशानिर्देशों को समेकित किया गया था ।

2. उपर्युक्त मास्टर परिपत्र को 30 जून 2011 तक जारी किये गये अनुदेशों को शामिल करते हुए समुचित रीति से अद्यतन किया गया है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (<http://www.rbi.org.in>) पर प्रदर्शित किया गया है ।

3. हम सूचित करते हैं कि इस मास्टर परिपत्र में अनुबंध 17 में सूचीबद्ध परिपत्रों/मेल बॉक्स स्पष्टीकरणों के माध्यम से जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों को समेकित किया गया है ।

भवदीय

(पी. आर. रवि मोहन)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनु : यथोक्त

विषय-वस्तु

भाग - ए :

1.	प्रस्तावना		
2.	कार्यान्वयन के प्रति दृष्टिकोण, प्रभावी तारीख और समांतर प्रयोग		
3.	मानदंड लागू करने का दायरा		
4.	पूंजी निधि		
	4.1	सामान्य	
	4.2	टीयर 1 पूंजी के तत्व	
	4.3	टीयर II पूंजी के तत्व	
	4.4	पूंजी से कटौतियां	
5.	ऋण जोखिम के लिए पूंजी भार		
	5.1	सामान्य	
	5.2	देशी सम्प्रभु (सोवरेन) संबंधी दावे	
	5.3	विदेशी सम्प्रभु संबंधी दावे	
	5.4	सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं (पीएसई) संबंधी दावे	
	5.5	बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी), अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) संबंधी दावे	
	5.6	बैंकों पर दावे	
	5.7	प्राथमिक व्यापारियों संबंधी दावे	
	5.8	कंपनियों संबंधी दावे	
	5.9	विनियामक फुटकर संविभागों में शामिल दावे	
	5.10	आवासीय संपत्ति से प्रतिभूत दावे	
	5.11	वाणिज्यिक स्थावर संपदा द्वारा प्रतिभूत दावे	
	5.12	अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए)	
	5.13	विनिर्दिष्ट श्रेणियां	
	5.14	अन्य परिसंपत्तियां	
	5.15	तुलनपत्रेतर मर्दे	
	5.15.1	सामान्य	
	5.15.2	गैर-बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मर्दे	
	5.15.3	बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मर्दे	
	5.15.4	वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति	
	5.15.5	असफल लेनदेन	
	5.16	प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र	
	5.16.1	सामान्य	

		5.16.2	पूँजीगत निधियों में से प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र की कटौती	
		5.16.3	अव्यक्त समर्थन	
		5.16.4	बाह्य रेटिंग लागू करना	
		5.16.5	जोखिम भारित प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र	
		5.16.6	तुलनपत्रेतर प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र	
		5.16.7	ऋण जोखिम कम करने के तत्व की पहचान	
		5.16.8	चलनिधि सुविधाएं	
		5.16.9	पुनर्प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र	
6.	बाह्य ऋण मूल्यांकन			
	6.1	पात्र ऋण रेटिंग एजेंसियां		
	6.2	बाह्य रेटिंग लागू करने की व्याप्ति		
	6.3	मैपिंग प्रक्रिया		
	6.4	दीर्घावधि रेटिंग		
	6.5	अल्पावधि रेटिंग		
	6.6	मांगी न गयी रेटिंग का इस्तेमाल		
	6.7	बहुविध रेटिंग मूल्यांकनों का इस्तेमाल		
	6.8	निर्गमकर्ता/अन्य दावों पर निर्गम रेटिंग लागू होना		
7.	ऋण जोखिम कम करना			
	7.1	सामान्य सिद्धांत		
	7.2	कानूनी निश्चितता		
	7.3	ऋण जोखिम कम करने की तकनीकें - संपाशिवकीकृत लेनदेन		
		7.3.2	समग्र ढांचा और न्यूनतम शर्तें	
		7.3.4	समग्र दृष्टिकोण	
		7.3.5	पात्र वित्तीय संपाशिवक	
		7.3.6	पूँजी अपेक्षा की गणना	
		7.3.7	हेयरकट	
		7.3.8	रिपो/रिवर्स रिपो प्रकार के लेनदेनों के लिए पूँजी पर्याप्तता ढांचा	
	7.4	ऋण जोखिम कम करने की तकनीकें - तुलन पत्र के अंतर्गत तकनीकें		
	7.5	ऋण जोखिम को कम करने की तकनीकें - गारंटियां		
		7.5.4	गारंटियों के लिए परिचालन अपेक्षाएं	
		7.5.5	गारंटियों के लिए अतिरिक्त परिचालन अपेक्षाएं	

		7.5.6	पात्र गारंटीदाताओं (काउंटर-गारंटीदाता) का वर्ग	
		7.5.7	जोखिम भार	
		7.5.8	आनुपातिक कवर	
		7.5.9	मुद्रा विसंगति	
		7.5.10	सम्प्रभु गारंटियां तथा काउंटर गारंटियां	
	7.6		परिपक्वता विसंगति	
		7.6.2	परिपक्वता की परिभाषा	
		7.6.3	परिपक्वता विसंगति के लिए जोखिम भार	
	7.7		सीआरएम तकनीक ाटं के समूह के संबंध में व्यवहार	
8.	बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी भार			
	8.1		प्रस्तावना	
	8.2		बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी भार का दायरा	
	8.3		ब्याज दर जोखिम के लिए पूंजी भार की माप	
	8.4		ईक्विटी जोखिम के लिए पूंजी भार की गणना	
	8.5		विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए पूंजी भार की गणना	
	8.6		बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी भार का योग	
	8.7		गैर-तरल स्थितियों के लिए कार्रवाई	
9.	परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार			
	9.1		परिचालन जोखिम की परिभाषा	
	9.2		गणन पद्धतियां	
	9.3		मूल निर्देशक दृष्टिकोण	
भाग - ख : पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (स्तम्भ 2)				
10	पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया की भूमिका			
11	उन्नत जोखिम प्रबंध की आवश्यकता			
12	भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) तथा बैंकों की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) के लिए दिशानिर्देश			
	12.1		पृष्ठभूमि	
	12.2		भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एसआरईपी का संचालन	
	12.3		आइसीएएपी का संरचनात्मक पहलू	
	12.4		आइसीएएपी परिणामों की समीक्षा	
	12.5		आइसीएएपी प्रबंधन और निर्णय लेने की संस्कृति का अभिन्न अंग होगा	
	12.6		समानुपातिकता का सिद्धांत	

	12.7	नियमित स्वतंत्र समीक्षा और वैधीकरण	
	12.8	आइसीएएपी एक भविष्यमुखी प्रक्रिया होगी	
	12.9	आइसीएएपी एक जोखिम धारित प्रक्रिया होगी	
	12.10	आइसीएएपी के अंतर्गत दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण शामिल होगा	
	12.11	आइसीएएपी के लिए पूंजी मॉडलों का प्रयोग	
13	चुनिंदा परिचालनात्मक पहलू		
भाग -ग : बाज़ार अनुशासन			
14.	बाज़ार अनुशासन के लिए दिशानिर्देश		
	14.1	सामान्य	
	14.2	उपयुक्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करना	
	14.3	लेखांकन प्रकटीकरण के साथ संबंध	
	14.4	प्रकटीकरणों की व्याप्ति तथा बारंबारता	
	14.5	वैधीकरण	
	14.6	महत्ता	
	14.7	स्वामित्व संबंधी (प्रोप्राइटरी) तथा गोपनीयता संबंधी सूचना	
	14.8	सामान्य प्रकटीकरण सिद्धांत	
	14.9	मानदंड लागू करने का दायरा	
	14.10	प्रकटीकरण की प्रभावी तारीख	
	14.11	पिलर III में संशोधन	
	14.12	प्रकटीकरण अपेक्षाएं	
	सारणी डीएफ -1	लागू किये जाने का दायरा	
	सारणी डीएफ -2	पूंजी ढांचा	
	सारणी डीएफ - 3	पूंजी पर्याप्तता	
	सारणी डीएफ - 4	ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण	
	सारणी डीएफ - 5	ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए प्रकटीकरण	
	सारणी डीएफ - 6	ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोणों के लिए प्रकटीकरण	
	सारणी डीएफ - 7	प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत विधि के लिए प्रकटीकरण	
	सारणी डीएफ - 8	ट्रेडिंग बही में बाज़ार जोखिम	
	सारणी डीएफ - 9	परिचालन जोखिम	
	सारणी डीएफ -10	बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी)	

अनुबंध		
अनुबंध 1	नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे के कार्यान्वयन में प्रगति की सूचना देनेवाली समांतर प्रयोग रिपोर्ट का फार्मेट	
अनुबंध 2	टीयर 1 पूंजी के रूप में शामिल किए जाने हेतु नवोन्मेषी ऋण लिखतों पर लागू शर्तें	
अनुबंध 3	बेमीयादी असंचयी अधिमान शेयरों के संबंध में लागू शर्तें	
अनुबंध 4	अपर टीयर II पूंजी के रूप में शामिल किये जाने के लिए ऋण लिखतों के संबंध में लागू शर्तें	
अनुबंध 5	उच्चतर टीयर II पूंजी के भाग के रूप में पात्रता के लिए बेमीयादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)/प्रतिदेय असंचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)/प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस) पर लागू शर्तें	
अनुबंध 6	लोअर टीयर II पूंजी के भाग के रूप में पात्रता के लिए अधीनस्थ ऋण पर लागू शर्तें	
अनुबंध 7	मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के संबंध में दिशानिर्देश से उद्धरण	
अनुबंध 8	ऋण जोखिम कम करने के संबंध में उदाहरण	
अनुबंध 9	ब्याज दर डेरिवेटिव और ऑप्शन के संबंध में बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार की माप	
अनुबंध 10	स्तंभ II के अंतर्गत बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी) की माप की विधि का एक उदाहरण	
अनुबंध 11	मानकीकृत ब्याज दर आघात	
अनुबंध 12	मानकीकृत ढाँचे का एक उदाहरण	
अनुबंध 13	ब्याज दर जोखिम माप की तकनीकें	
अनुबंध 14	पर्यवेक्षीय प्राधिकारियों द्वारा ब्याज दर जोखिम पर निगरानी	
अनुबंध 15	आइसीएएपी दस्तावेज की निदर्शी रूपरेखा	
अनुबंध 16	शब्दावली	
अनुबंध 17	समेकित परिपत्रों की सूची	

मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश-

नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन

भाग ए : न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकताओं पर दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 पूंजी पर्याप्तता के संबंध में बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति (बीसीबीएस) के ढांचे में तुलन पत्र और गैर-तुलनपत्र कारोबार में विभिन्न प्रकार की आस्तियों में ऋण जोखिम को ध्यान में रखा गया है। इस ढांचे को अपनाने के लिए तथा बैंकों के पूंजी आधार को भी सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 1992 में यह निर्णय लिया कि भारत में पूंजी पर्याप्तता उपाय के रूप में बैंकों (विदेशी बैंकों सहित) के लिए एक जोखिम आस्ति अनुपात प्रणाली लागू की जाए। मुख्यतः उक्त प्रणाली के अंतर्गत तुलन पत्र आस्तियों, गैर-निधि आधारित मदों और अन्य गैर-तुलन पत्र एक्सपोज़र को निर्धारित जोखिम भार दिये जाते हैं तथा बैंकों को जोखिम भारित आस्तियों और अन्य एक्सपोज़र के योग के निर्धारित अनुपात के बराबर निरंतर अक्षत न्यूनतम पूंजी निधि रखनी पड़ती है। बीसीबीएस द्वारा 1996 में जारी "बाज़ार जोखिमों को शामिल करने के लिए पूंजी समझौते में संशोधन" के अनुसार बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी भार रखने के संबंध में रिज़र्व बैंक ने जून 2004 में दिशानिर्देश जारी किये हैं।

1.2 बीसीबीएस ने 26 जून 2004 को "पूंजी की माप और पूंजी मानक के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति : एक संशोधित ढांचा" जारी किया। नवंबर 2005 में संशोधित ढांचे को अद्यतन करते हुए उसमें व्यापार गतिविधियों तथा 'दोहरे चूक' प्रभाव के ट्रीटमेंट को शामिल किया गया तथा जून 2006 में ढांचे का एक परिपूर्ण रूप जारी किया गया जिसमें पूंजी के घटकों को तथा बाज़ार जोखिम को शामिल करने हेतु पूंजी समझौते में 1996 में किये गये संशोधन को शामिल किया गया। संशोधित ढांचे में पूंजी अपेक्षा के प्रति उल्लेखनीय रूप से अधिक संवेदनशील रवैया अपनाया गया है। संशोधित ढांचे में ऋण जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं निर्धारित करने के लिए कई विकल्प दिये गये हैं ताकि बैंक और पर्यवेक्षक अपने परिचालनों और वित्तीय बाजारों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण अपना सकें।

2. कार्यान्वयन के प्रति दृष्टिकोण, प्रभावी तारीख और समांतर प्रयोग

2.1 संशोधित ढांचे में तीन स्तंभ हैं जो एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं। ये तीन स्तंभ हैं : न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं, पूंजी पर्याप्तता की पर्यवेक्षीय समीक्षा और बाज़ार अनुशासन। ढांचे में स्तंभ 1 के अंतर्गत ऋण जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षा की गणना के

लिए तीन स्पष्ट विकल्प तथा परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षा की गणना के लिए तीन अन्य विकल्प दिये गये हैं। ऋण और परिचालन जोखिमों के लिए ये विकल्प अधिकाधिक जोखिम संवेदनशीलता पर आधारित हैं ताकि बैंक उस दृष्टिकोण को अपना सकें जो बैंक के परिचालनों के विकास की अवस्था के सर्वाधिक उपयुक्त हो। ऋण जोखिम के लिए पूंजी की गणना करने के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, मूल आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण और उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण नामक विकल्प उपलब्ध हैं। परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की गणना के लिए उपलब्ध विकल्प हैं - मूल निर्देशक दृष्टिकोण, मानकीकृत दृष्टिकोण और उन्नत माप दृष्टिकोण।

2.2 रिज़र्व बैंक का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संगति और समरूपता बनाये रखना है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत में सभी वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण तथा परिचालन जोखिम के लिए मूल निर्देशक दृष्टिकोण अपनाएंगे। बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी अपेक्षा की गणना के लिए बैंक मानकीकृत कालावधि दृष्टिकोण का प्रयोग करते रहेंगे।

2.3 **प्रभावी तारीख :** भारत में परिचालन करनेवाले विदेशी बैंकों तथा भारत के बाहर परिचालनात्मक मौजूदगी वाले भारतीय बैंकों ने 31 मार्च 2008 से संशोधित ढांचे के अंतर्गत उपर्युक्त चयनित दृष्टिकोणों को अपनाया है। अन्य सभी वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) 31 मार्च 2009 तक संशोधित ढांचे के अंतर्गत उपर्युक्त दृष्टिकोण अपना चुके हैं।

2.4 **समांतर प्रयोग :** संशोधित ढांचे में संक्रमण को आसान बनाने के लिए तथा बैंकों को अपनी प्रणाली और रणनीति को तदनु रूप बनाने का एक मौका देने के लिए बैंकों को सूचित किया गया था कि वे संशोधित ढांचे का समांतर प्रयोग करें। बैंकों के बोर्डों को समांतर प्रयोगों के परिणामों की तिमाही आधार पर समीक्षा करनी चाहिए। समांतर प्रयोग की विशेषताएं निम्नानुसार हैं।

- i) बैंकों को पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों - वर्तमान दिशानिर्देश तथा संशोधित ढांचे के दिशानिर्देश - दोनों को निरंतरता के आधार पर लागू करना चाहिए तथा दोनों दिशानिर्देशों के अंतर्गत जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की गणना करनी चाहिए।
- ii) दोनों दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक के सीआरएआर का विश्लेषण बैंक के बोर्ड के पास तिमाही अंतराल पर सूचित किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए बैंक **अनुबंध-1** में दिया गया रिपोर्टिंग फॉर्मेट अपनाएं।
- iii) जून, सितंबर और दिसंबर को समाप्त तिमाहियों के लिए निर्धारित फॉर्मेट में तिमाही रिपोर्टें, बोर्ड के विधिवत् अनुमोदन के बाद प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक,

बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई - 400 005 को इस प्रकार भेजी जाएं, कि वे संबंधित तिमाही की समाप्ति के एक महीने के भीतर प्राप्त हो जाएं। मार्च में समाप्त तिमाही के संबंध में रिपोर्ट तिमाही की समाप्ति से दो महीने के भीतर भेजी जानी चाहिए। जिन मामलों में रिपोर्ट के बोर्ड द्वारा अनुमोदन में अधिक समय लगने की संभावना हो, वहां बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट की अग्रिम प्रति भेज सकते हैं तथा बाद में रिपोर्ट पर बोर्ड की टिप्पणी/प्रतिक्रिया/ मार्गदर्शन, यदि कोई हो, तो उससे अवगत करा सकते हैं।

2.5 संशोधित ढांचे के अंतर्गत अन्य दृष्टिकोण अपनाना: बैंकों द्वारा बासल II ढांचे के अंतर्गत परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोण अपनाये जाने से होने वाली संभावित पूंजीगत दक्षता, जोखिम प्रबंध ढांचे के आवश्यक उन्नयन तथा इस संबंध में उभरती अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2009 में यह वांछनीय समझा गया कि भारत में उन्नत दृष्टिकोणों को लागू करने के लिए एक समय अनुसूची निर्धारित की जाए। इससे बैंक ऋण जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आइएमए) अपनाने के लिए योजना बना सकेंगे और इस हेतु तैयारी कर सकेंगे।

2.5.1 अपेक्षित आधारभूत आँकड़े, एमआइएस और कौशल उन्नयन आदि सहित आवश्यक प्रौद्योगिकीय और जोखिम प्रबंध संरचना निर्मित करने में बैंकों को लगने वाले सम्भावित समय को ध्यान में रखते हुए विनियामक पूंजी मापन के लिए उन्नत दृष्टिकोण लागू करने हेतु निम्नलिखित समय अनुसूची निर्धारित की गयी है :

क्र. सं.	दृष्टिकोण	बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजे जाने वाले आवेदन की आरंभिक तारीख	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन दिये जाने की संभावित तारीख
क.	बाजार जोखिम के लिए आंतरिक माडल दृष्टिकोण (आइएमए)	1 अप्रैल 2010	31 मार्च 2011
ख.	परिचालन जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण	1 अप्रैल 2010	30 सितंबर 2010
ग.	परिचालन जोखिम के लिए उन्नत मापन दृष्टिकोण	1 अप्रैल 2012	31 मार्च 2014
घ.	ऋण जोखिम के लिए आंतरिक श्रेणी निर्धारण आधारित (आइआरबी) दृष्टिकोण (बुनियादी और उन्नत आइआरबी)	1 अप्रैल 2012	31 मार्च 2014

2.5.2 तदनुसार, बैंकों को सूचित किया गया कि वे बासल II दस्तावेज में परिकल्पित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त समय अनुसूची के अनुसार उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए अपनी तैयारी का आंतरिक आकलन करें और अपने बोर्ड के अनुमोदन से निर्णय लें कि क्या वे कोई उन्नत दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। उन्नत दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लेने वाले बैंक निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार आवश्यक अनुमोदन हेतु यथासमय हमसे संपर्क करें। यदि बैंक के आंतरिक आकलन का परिणाम यह दर्शाए कि बैंक उपर्युक्त तारीखों तक उन्नत दृष्टिकोण लागू करने के लिए आवेदन करने की स्थिति में नहीं है तो बैंक अपनी तैयारी के आधार पर कोई उपयुक्त परवर्ती तारीख का चुनाव कर सकता है।

2.5.3 यह नोट किया जाए कि बैंकों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपने विवेक से एक या अधिक जोखिम संवर्गों के लिए अपनी तैयारी के अनुसार उन्नत दृष्टिकोण अपनाएँ तथा अन्य जोखिम संवर्गों के लिए सरलतर दृष्टिकोण जारी रखें और यह आवश्यक नहीं होगा कि

सभी जोखिम संवर्गों के लिए एक ही साथ उन्नत दृष्टिकोण अपनाया जाए। तथापि, बैंकों को कोई भी उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए अनिवार्य रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

3. मानदंड लागू करने का दायरा

संशोधित पूंजी पर्याप्तता मानदंड समान रूप से सभी वाणिज्य बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे, एकल स्तर (वैश्विक स्थिति) और समेकित स्तर - दोनों रूपों में। समेकित बैंक की परिभाषा उन संस्थाओं के समूह के रूप में की गयी है जहां एक लाइसेन्स प्राप्त बैंक नियंत्रक संस्था है। समेकित बैंक के अंतर्गत छूट प्राप्त संस्थाओं को छोड़कर, उसके नियंत्रणाधीन समूह की सभी संस्थाएं शामिल होंगी। 25 फरवरी 2003 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 72/21.04.018/2001-02 द्वारा समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्टें तैयार करने के संबंध में दिशानिर्देश दिये गये हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित बैंक, समूह की ऐसी कंपनियों को छोड़ सकता है जो बीमा कारोबार में और वित्तीय सेवाओं से असंबद्ध कारोबार में लगी हों। समेकित बैंक को बैंक पर लागू न्यूनतम जोखिम भारित आस्ति के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) निरंतरता के आधार पर रखना चाहिए।

4. पूंजी निधि

4.1 सामान्य

4.1.1 बैंकों से यह अपेक्षा है कि वे निरंतरता के आधार पर 9 प्रतिशत न्यूनतम जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) रखेंगे। रिज़र्व बैंक प्रत्येक बैंक के संबंधित जोखिम घटकों और आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन को ध्यान में रखेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक द्वारा रखी गयी पूंजी बैंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, संकेंद्रण जोखिम और अवशिष्ट जोखिम सहित विभिन्न जोखिमों की पहचान करने, उनका मूल्यांकन करने/माप करने, उनकी निगरानी और नियंत्रण करने के संबंध में बैंक की जोखिम प्रबंध प्रणाली की प्रभावशीलता शामिल है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक प्रत्येक बैंक की संबंधित जोखिम प्रोफाइल और उसकी जोखिम प्रबंध प्रणालियों के आधार पर ढांचे के स्तंभ 2 के अंतर्गत न्यूनतम पूंजी अनुपात का उच्चतर स्तर निर्धारित करने पर विचार करेगा। इसके अलावा, नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे के स्तंभ 2 की अपेक्षाओं के अनुसार बैंकों से न्यूनतम अपेक्षा से कहीं अधिक उच्चतर स्तर पर परिचालन की अपेक्षा है।

4.1.2 भारत स्थित सभी बैंक 31 मार्च 2013 तक समानांतर प्रयोग जारी रखेंगे जो समीक्षाधीन होगा और वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी बासल II न्यूनतम पूंजी अपेक्षा ऋण और बाजार जोखिम से संबंधित बासल - I ढांचे के अंतर्गत अपेक्षित न्यूनतम पूंजी अपेक्षा के 80% की विवेकपूर्ण सीमा से अधिक बनी हुई है ।

4.1.3 बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे एकल और समेकित स्तर पर कम-से-कम 6% का टीयर I सीआरएआर रखें । जो बैंक इस स्तर से कम रख रहे हैं, उन्हें यह अनुपात 31 मार्च 2010 तक अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए ।

4.1.4 बैंक को टीयर 1 सीआरएआर और कुल सीआरएआर की गणना निम्नलिखित रूप में करनी चाहिए:

पात्र टीयर I पूंजी निधि³

टीयर I सीआरएआर =-----

ऋण जोखिम जो.भा.आ. + बाज़ार जोखिम जो.भा.आ. + परिचालनगत जोखिम जो.भा.आ

*जो. भा. आ. = जोखिम भारित आस्तियां

पात्र कुल पूंजी निधियाँ⁴

कुल सीआरएआर =-----

ऋण जोखिम जो.भा.आ. + बाज़ार जोखिम जो.भा.आ. + परिचालनगत जोखिम जो.भा.आ

4.1.5 पूंजी निधि मोटे तौर पर टीयर I और टीयर II पूंजी के रूप में वर्गीकृत की जाती है। टीयर II पूंजी के तत्वों को पैराग्राफ 4.4 में उल्लिखित कटौती/समायोजन के बाद अधिकतम टीयर I पूंजी के 100 प्रतिशत तक पूंजी निधि माना जाएगा ।

4.2 टीयर I पूंजी के तत्व

³ कुल टीयर I पूंजी निधि, जो नवोन्मेषी निरंतर ऋण लिखतों की विवेकपूर्ण सीमा के अधीन होगी । इसमें से टीयर I पूंजी से कटौती को घटाया जाएगा ।

⁴ पात्र टीयर I पूंजी निधि और पात्र टीयर 2 पूंजी निधि का योग, जो नवोन्मेषी टीयर I लिखतों, अपर टीयर 2 लिखतों तथा अधीनस्थ ऋण लिखतों की विवेकपूर्ण सीमा के अधीन होगा। इसमें टीयर I और टीयर 2 पूंजी की कटौतियों को घटाया जाएगा ।

4.2.1 भारतीय बैंकों के टीयर I पूंजी में निम्नलिखित तत्व होंगे :

- i) प्रदत्त इक्विटी पूंजी, सांविधिक आरक्षित निधियां और अन्य प्रकट मुक्त आरक्षित निधियां, यदि कोई हों;
- ii) आस्तियों की बिक्री से उत्पन्न अधिशेष से बनी पूंजी आरक्षित निधियां;
- iii) टीयर I पूंजी में शामिल होने की पात्र नवोन्मेषी निरंतर ऋण लिखतें जो **अनुबंध 2** में विनिर्दिष्ट विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करती हैं;
- iv) **अनुबंध-3** में निर्दिष्ट विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाले बेमियादी गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस); और
- v) टीयर I पूंजी में शामिल करने के लिए समय-समय पर सामान्यतः रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्रकार के लिखत ।

4.2.2 लेखांकन मानक 11 (संशोधित 2003) : 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' को लागू करने से उत्पन्न विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि पूंजी निधियों की पात्र मद नहीं होगी ।

4.2.3 भारत स्थित विदेशी बैंकों के लिए टीयर I पूंजी में निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे

-

- (i) प्रधान कार्यालय से प्राप्त ब्याज मुक्त निधि, जिसे भारतीय बहियों में अलग खाते में पूंजी पर्याप्तता मानदंड की पूर्ति के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए रखा गया है ।
- (ii) भारतीय बहियों में रखी गयी सांविधिक आरक्षित निधियां
- (iii) भारतीय बहियों में रखा गया विप्रेषणीय अधिशेष जो जब तक बैंक भारत में कारोबार करता है, तब तक प्रत्यावर्तनीय नहीं है।
- (iv) भारत में आस्तियों की बिक्री से उत्पन्न अधिशेष से बनी पूंजी आरक्षित निधि जिसे अलग खाते में रखा जाता है और जो जब तक बैंक भारत में कारोबार करता है, तब तक प्रत्यावर्तनीय नहीं है ।
- (v) संपत्ति के अधिग्रहण के प्रयोजन से विदेश से प्रेषित ब्याज-मुक्त निधि, जिसे भारतीय बहियों में अलग खाते में रखा गया है ।

- (vi) भारत में परिचालन करनेवाले विदेशी बैंकों द्वारा टीयर 1 पूंजी में शामिल करने हेतु विदेशी मुद्रा में प्रधान कार्यालय उधार, जिनमें अनुबंध 2 में विनिर्दिष्ट विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया हो और
- (vii) टीयर 1 में शामिल करने के लिए समय-समय पर रिज़र्व बैंक की विनिर्दिष्ट अनुमति से कोई अन्य मद

टिप्पणी :

- (i) विदेशी बैंकों से यह अपेक्षा है कि वे रिज़र्व बैंक को इस आशय का वचन दें कि भारत में जब तक कारोबार करते हैं तब तक 'पूंजी आरक्षित निधि' और 'भारत में रखा विप्रेषणीय अधिशेष' विदेश नहीं भेजेंगे। इसके बाद ही यह मद टीयर 1 पूंजी के अंतर्गत शामिल होने की पात्र होगी।
- (ii) इन निधियों को 'पूंजी निधि' के अंतर्गत 'जोखिम भारित आस्ति के प्रति पूंजी अनुपात अपेक्षा की पूर्ति के लिए भारत में रखी गयी राशि' नामक एक अलग खाते में रखा जाना चाहिए ।
- (iii) एक लेखा परीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र भी रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि ये निधियां, कर मूल्यांकन के बाद या कर अपील पर निर्णय के बाद प्रधान कार्यालय को विप्रेषण करने योग्य अधिशेष हैं तथा कर या अन्य किसी आकस्मिक निधि के प्रावधान की प्रकृति की निधियां इनमें शामिल नहीं हैं ।
- (iv) प्रधान कार्यालय/विदेशी शाखाओं के पास अंतर-कार्यालय खाते में यदि कोई निवल जमा शेष राशि, हो तो उसे पूंजी निधि नहीं माना जाएगा। हालांकि, यदि प्रधान कार्यालय खाते में कोई नामे शेष राशि हो तो उसे पूंजी के विरुद्ध प्रतिसंतुलित करना चाहिए ।

4.2.4 पात्र टीयर 1 पूंजी की सीमा

- (i) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत, जो टीयर 1 पूंजी में शामिल होने के पात्र हैं, पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार कुल टीयर 1 पूंजी के 15 प्रतिशत तक सीमित होंगे। उपर्युक्त सीमा पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार टीयर 1 पूंजी की राशि में से गुडविल, डीटीए और अन्य अमूर्त आस्तियों को घटाकर लेकिन निवेश को घटाने के पहले प्राप्त की जाएगी, जैसा कि पैराग्राफ 4.4 में अपेक्षित है।

(ii) किसी भी समय टीयर 1 अधिमान शेयर अर्थात् नवोन्मेषी टीयर 1 लिखतों सहित बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान शेयरों की बकाया राशि कुल टीयर 1 पूंजी के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उपर्युक्त सीमा टीयर 1 पूंजी की राशि में से गुडविल और अन्य अमूर्त आस्तियों को घटाकर परंतु नीचे पैरा 4.4.6 के अनुसार निवेश को घटाने के पहले प्राप्त राशि पर आधारित होगी। 40 प्रतिशत की समग्र सीमा से अधिक जारी किये गये टीयर 1 अधिमान शेयर टीयर II पूंजी के लिए निर्धारित सीमा के अधीन उच्चतर टीयर II पूंजी में शामिल किये जाने के पात्र होंगे। तथापि, निवेशकों के अधिकार और दायित्व अपरिवर्तित रहेंगे।

(iii) सीमा से अधिक नवोन्मेषी लिखत/पीएनसीपीएस टीयर II पूंजी के लिए निर्धारित सीमा के अधीन टीयर II के अंतर्गत शामिल किये जाने के पात्र होंगे।

4.3 टीयर II पूंजी के तत्व

4.3.1 पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियां

ये आरक्षित निधियां अप्रत्याशित हानि की स्थिति में सहायक सिद्ध होती हैं, लेकिन इनकी प्रकृति उतनी स्थायी नहीं होती और इन्हें 'मुख्य (कोर) पूंजी' नहीं माना जा सकता। बैंक की आस्तियों में जिन आस्तियों का कम मूल्यांकन रहता है, यथा बैंक परिसर, उनके पुनर्मूल्यांकन से पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियां बनती हैं। अप्रत्याशित हानि की स्थिति में किस हद तक पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों पर भरोसा किया जा सकता है, यह मुख्यतया संबंधित आस्तियों के बाजार मूल्य के संबंध में लगाये गये अनुमान की विश्वसनीयता, कठिन बाजार परिस्थितियों में अथवा विवश होकर उसे बेचने की स्थिति में मूल्य में होनेवाली गिरावट, उपर्युक्त मूल्यों पर वस्तुतः बेचने की संभावना, पुनर्मूल्यांकन के कर परिणाम आदि पर निर्भर करता है। अतः यह विवेकपूर्ण होगा कि पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को टीयर II पूंजी में शामिल करने के लिए उनके मूल्य में 55% की कटौती की जाए। ऐसी आरक्षित निधियों को तुलनपत्र में पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों के रूप में दर्शाना होगा।

4.3.2 सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधियां

ऐसी आरक्षित निधियों को टीयर II पूंजी में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते उन्हें किसी विनिर्दिष्ट आस्ति के मूल्य में वास्तविक क्षरण या संभावित हानि के लिए न रखा गया हो

तथा वे अप्रत्याशित हानि के लिए उपलब्ध हों। सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधियों को टीयर II पूंजी का भाग बनाने पर विचार करने के पहले इस बात का पर्याप्त रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी ज्ञात हानियों और अनुमानित संभावित हानियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। बैंकों को यह अनुमति दी गयी है कि वे 'मानक आस्तियों पर सामान्य प्रावधान' 'अस्थायी प्रावधान'⁵ 'कंटी एक्सपोजर के संबंध में प्रावधान', 'निवेश आरक्षित निधि लेखा' तथा अनर्जक आस्तियों की बिक्री से होनेवाले अधिक प्रावधान को टीयर II पूंजी में शामिल कर सकते हैं, परंतु कुल जोखिम भारित आस्तियों की अधिकतम 1.25 प्रतिशत की सीमा तक ही इन पांच मदों को टीयर II पूंजी में शामिल किया जाएगा।

4.3.3 मिश्र ऋण पूंजी लिखत

इस संवर्ग के अंतर्गत अनेक ऋण पूंजी लिखत आते हैं जिनमें कुछ इक्विटी की और कुछ ऋण की विशेषताएँ रहती हैं। हर एक की खास विशेषता रहती है जो पूंजी के रूप में उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करती है। जहाँ ये लिखत इक्विटी जैसे होते हैं, खासकर तब जब वे निरंतरता के आधार पर हानि की स्थिति में बिना परिसमापन आरंभ किये समर्थन प्रदान कर सकें, वहाँ उन्हें टीयर II पूंजी में शामिल किया जा सकता है। भारत में बैंकों को इक्विटी और ऋण दोनों की मिश्रित विशेषताओं वाले ऋण पूंजी लिखतों के माध्यम से जुटायी गयी निधियों को उच्चतर टीयर II पूंजी में शामिल करने की अनुमति है बशर्ते लिखत **अनुबंध 4** में विनिर्दिष्ट विनियामक अपेक्षा को पूरा करता हो। भारतीय बैंकों को **अनुबंध 5** में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यमान कानूनी प्रावधानों के अधीन बेमीयादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस), प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस) और प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस) उच्चतर टीयर II पूंजी के रूप में जारी करने की अनुमति है।

4.3.4 अधीनस्थ ऋण

टीयर II पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र होने हेतु उक्त लिखत पूर्णतः प्रदत्त, बेजमानती, अन्य ऋणदाताओं के दावों के अधीन, प्रतिबंधात्मक शर्तों से मुक्त होने चाहिए तथा धारक की पहल से अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होने चाहिए। अधिकांशतः उनकी परिपक्वता नियत होती है और जैसे ही वे परिपक्वता की ओर आगे बढ़ते हैं, टीयर II पूंजी में शामिल किए जाने के लिए उन पर प्रगामी बट्टा लागू किया

⁵ निवल अनर्जक आस्ति प्राप्त करने के लिए सकल अनर्जक आस्तियों में से ऐसे प्रावधानों को घटाने का विकल्प 1 अप्रैल 2009 से उपलब्ध नहीं है। कृपया 25 मार्च 2009 और 9 अप्रैल 2009 के परिपत्र क्रमशः बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 118 और 122/21.04.048/2008-09 देखें।

जाना चाहिए। 5 वर्ष से कम अवधि की प्रारंभिक परिपक्वता वाले लिखत अथवा जिनकी 1 वर्ष की परिपक्वता शेष है ऐसे लिखत टीयर II पूंजी के भाग के रूप में शामिल नहीं किए जाने चाहिए। टीयर II पूंजी के रूप में माने जाने हेतु पात्र अधीनस्थ ऋण लिखत **अनुबंध 6** में विनिर्दिष्ट विनियामक अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा।

4.3.5 नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आइपीडीआइ) और बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस)

टीयर I पूंजी के 15 प्रतिशत से अधिक आइपीडीआइ [देखें अनुबंध 2, पैरा 1(ii)] को टीयर II पूंजी के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है तथा पैरा 4.2.5 [देखें अनुबंध 3, पैरा 1.1] में निर्धारित 40 प्रतिशत की समग्र सीमा से अधिक जारी पीएनसीपीएस को टीयर II पूंजी के लिए निर्धारित सीमा के अधीन उच्चतर टीयर II पूंजी के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।

4.3.6 अन्य किसी प्रकार का लिखत जो सामान्यतः रिज़र्व बैंक समय-समय पर टीयर II पूंजी में शामिल किए जाने के लिए अधिसूचित करता है।

4.3.7 टीयर II पूंजी पर सीमाएं

टीयर II पूंजी के अन्य घटकों के साथ उच्चतर टीयर II लिखत, टीयर I पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उक्त सीमा साख, डीटीए और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों को घटाने के बाद परंतु निवेशों को घटाने के पहले की टीयर I राशि पर आधारित होगी।

4.3.8 निम्नतर टीयर II पूंजी में शामिल किए जाने हेतु पात्र अधीनस्थ ऋण लिखत सभी कटौतियों के बाद वाली टीयर I पूंजी के 50 प्रतिशत तक सीमित होगा।

4.4 पूंजी से कटौतियां

4.4.1 चालू अवधि की अमूर्त परिसंपत्तियां और हानियां तथा पिछली अवधियों से आगे लाई गई अमूर्त परिसंपत्तियां और हानियां टीयर I पूंजी से घटाई जानी चाहिए।

4.4.2 निम्नानुसार गणना की गयी आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए) टीयर I पूंजी में से घटायी जानी चाहिए:

- i) संचित हानियों से संबद्ध डीटीए; और
- ii) आस्थगित कर देयताओं (डीटीएल) को घटाकर डीटीए (संचित हानियों से संबद्ध डीटीए को छोड़कर)। जहां डीटीएल डीटीए (संचित हानियों से संबद्ध डीटीए को छोड़कर) से अधिक हैं वहां उक्त आधिक्य न तो मद (i) के साथ समायोजित किया जाएगा और न ही टीयर 1 पूंजी में जोड़ा जाएगा।

4.4.3 पैरा 5.16.1 में यथा परिभाषित, मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतीकरण के समय बिक्री पर होनेवाले लाभ को यदि लाभ माना जाता है तो उसे पूर्णतया टीयर 1 पूंजी में से घटाया जाना चाहिए। मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतीकरण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को विशेष प्रयोजन हेतु बनी कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों की अवधि के दौरान संबंधित लाभ का परिशोधन करने की अनुमति है। परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से लाभ-हानि लेखे में इस प्रकार निर्धारित लाभ की राशि को घटाने की आवश्यकता नहीं है।

4.4.4 बैंकों को चाहिए कि वे नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक समेकित पूंजी में पूर्णतः स्वाधिकृत से कम बैंकों, प्रतिभूति अथवा अन्य वित्तीय कंपनियों के समेकन से उत्पन्न अल्पसंख्यकों के हितों को मान्यता न दें :

- (i) पूर्णतः स्वाधिकृत से कम स्वाधिकृत सहायक संस्था की पूंजी, जो उस संस्था के लिए विनियामक न्यूनतम से अधिक है, में अल्पसंख्यक के हित की सीमा
- (ii) यदि संबंधित सहायक संस्था के लिए कोई विनियामक पूंजी अपेक्षा नहीं है तो उस संस्था के लिए मानी गई न्यूनतम पूंजी अपेक्षा उक्त संस्था की जोखिम भारित परिसंपत्तियों का 9 प्रतिशत ली जाए।

4.4.5 पैरा 5.16.2 में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर को विनियामक पूंजी से घटाया जाएगा और जहां स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान हो उसे छोड़कर, उक्त कटौती टीयर 1 से 50 प्रतिशत और टीयर II से 50 प्रतिशत करनी होगी। पूंजी में से कटौतियों की गणना, संबद्ध प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर के लिए रखे गए किसी निर्दिष्ट प्रावधान को घटाकर की जाए।

4.4.6 वित्तीय सहायक संस्थाओं और संबद्ध संस्थाओं में निवेश के मामले में पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन हेतु निम्नानुसार कार्रवाई होगी :

- (i) पूंजी प्रयोजन के लिए बैंक के साथ समेकित न की गई वित्तीय कंपनियों (बीमा कंपनियों सहित) की चुकता इक्विटी, अर्थात् इक्विटी शेयरों, में 30 प्रतिशत से अधिक किए गए निवेश और उन कंपनियों में विनियामक पूंजी स्तर के लिए पात्र अन्य लिखतों में किए गए निवेश टीयर 1 पूंजी में से 50 प्रतिशत और टीयर II पूंजी में से 50 प्रतिशत पर **पूर्णतः** घटाए जाएं। (30 प्रतिशत से कम के निवेशों के लिए कृपया पैरा 5.13.7 देखें।)
- (ii) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बहुमत अधिकृत वित्तीय कंपनियां, जो पूंजी प्रयोजनों के लिए समेकित नहीं हैं और जिनके लिए विनियामक पूंजी स्तर के लिए पात्र इक्विटी और अन्य लिखतों में किए गए निवेश घटाए गए हैं, अपनी विनियामक पूंजी अपेक्षाओं की पूर्ति करती हैं। समेकन न की गई कंपनी की विनियामक पूंजी अपेक्षा में किसी कमी की स्थिति में, उक्त कमी को टीयर I पूंजी में से 50 प्रतिशत और टीयर II पूंजी में से 50 प्रतिशत **पूर्णतः** घटाया जाए।

4.4.7 पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए वित्तीय संस्थाओं के रूप में मानी जाने वाली संस्थाओं की एक निर्देशक सूची निम्नानुसार है :

- बैंक
- म्यूचुअल फंड
- बीमा कंपनियां
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
- आवास वित्त कंपनियां
- मर्चेन्ट बैंकिंग कंपनियां
- प्राथमिक व्यापारी

4.4.8 पैरा 4.4.6 के अनुसार घटाए गए निवेशों को छोड़कर निम्न पैरा 4.4.9 में सूचीबद्ध सभी प्रकार के लिखतों, जो अन्य बैंकों/वित्तीय कंपनियों/गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं/ प्राथमिक व्यापारियों द्वारा जारी किए गए हैं और निवेशिती कंपनी के लिए पूंजी स्तर हेतु पात्र हैं, में किए गए किसी बैंक/वित्तीय संस्था के सकल निवेश निवेशकर्ता बैंक की पूंजी निधियों (समायोजनों के बाद टीयर I तथा टीयर II पूंजी का जोड़) के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। इस सीमा से अधिक किया गया निवेश टीयर I पूंजी में से 50 प्रतिशत और टीयर II पूंजी में से 50 प्रतिशत घटाया जाएगा। **वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/प्राथमिक व्यापारियों** द्वारा जारी, पूंजी स्तर के लिए पात्र इक्विटी अथवा

लिखतों में किए गए निवेश, जो 10 प्रतिशत की उपर्युक्त सीमा के भीतर हैं और इसलिए पूंजी निधियों से नहीं घटाए गए हैं, पर 100% जोखिम भार अथवा संबद्ध लिखतों के लिए दिए गए श्रेणी निर्धारण को जितना जोखिम भार लागू है उतना जोखिम भार, इनमें से जो भी अधिक हो वह लागू होगा। जहां तक **अनुसूचित बैंकों** की ईक्विटी और अन्य पूंजी स्तर हेतु पात्र लिखतों में 10 प्रतिशत की उपर्युक्त सीमा के भीतर निवेश का संबंध है, उनपर पैरा 5.6.1 के अनुसार जोखिम भार लगाया जाएगा। इसके अलावा, **गैर-अनुसूचित बैंकों** के मामले में, जहां सीआरएआर नकारात्मक हो गया है, उपर्युक्त 10 प्रतिशत सीमा के भीतर पूंजी हेतु पात्र लिखतों में किया गया निवेश भी पैरा 5.6.1 के अनुसार टीयर 1 पूंजी से 50 प्रतिशत और टीयर II पूंजी से 50 प्रतिशत पर पूर्णतया घटाया जाएगा।

4.4.9 निम्नलिखित लिखतों में किए बैंकों के निवेश उपर्युक्त पैरा 4.4.8 में उल्लिखित 10 प्रतिशत की विवेकपूर्ण सीमा में शामिल होंगे :

- क) ईक्विटी शेयर;
- ख) बेमीयादी असंचयी अधिमान शेयर;
- ग) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत;
- घ) उच्चतर टीयर II बांड
- ङ) उच्चतर टीयर II अधिमान शेयर (पीसीपीएस, आरएनसीपी, आरसीपीएस)
- च) गौण ऋण लिखत
- छ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूंजी के रूप में अनुमोदित अन्य कोई लिखत

4.4.10 पैरा 4.4.8. में दिये गए ब्योरों के अनुसार अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए पूंजी लिखतों में बैंकों के कुल निवेश की उच्चतम सीमाओं के अधीन बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसी बैंक के ईक्विटी शेयरों में नयी साझेदारी अर्जित करने से यदि निवेशकर्ता बैंक /वित्तीय संस्था की धारिता निवेशिती बैंक की ईक्विटी पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो उन्हें ऐसा अर्जन नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जिन बैंकों के कुल निवेश निर्धारित सीमा से अधिक हैं वे एक्सपोजर को कम करके उसे विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर लाने के लिए एक सुनिश्चित योजना के साथ भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन करें।

4.4.11. किसी बैंकिंग सहायक/सहयोगी कंपनी द्वारा अपने मूल बैंक द्वारा जारी ईक्विटी अथवा गैर-ईक्विटी विनियामक पूंजी लिखतों में किये गये निवेश को, ऐसी कंपनी सहायक कंपनी के एकल आधार पर पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए सहायक कंपनी की विनियामक पूंजी में से टीयर 1 और टीयर II दोनों पूंजी में से 50 प्रतिशत घटाया जाना

चाहिए। तथापि गैर-बैंकिंग वित्तीय सहायक/सहयोगी कंपनी द्वारा अपने मूल बैंक की विनियामक पूंजी में निवेश पर ऐसी सहायक/सहयोगी कंपनी पर लागू संबंधित विनियामकों के विनियामक पूंजी मानदंड के अनुसार विनियामक कार्रवाई लागू होगी ।

4.14.12. हमने यह पाया है कि कर्मचारी पेंशन निधियों जैसे कुछ निवेशकों ने संबंधित वाणिज्यिक बैंकों के विनियामक पूंजी निर्गमों में निवेश किया है। इन निधियों को प्रतिफल के मामले में संबंधित बैंक की प्रति गारंटी का लाभ मिलता है। जब बैंक द्वारा पूंजी निर्गमों के निवेशकों के प्रतिफल की प्रति गारंटी दी जाती है तब ऐसे निवेशों को पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से टियर I तथा II पूंजी नहीं माना जाएगा।

4.4.13. सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा कुछ चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों जो भारतीय बैंक संघ के साथ हुए 9 वे द्विपक्षीय समझौते में सहभागी थे, को पेंशन विकल्प पुनः खोलने तथा उपदान सीमाओं में वृद्धि के कारण हुए व्यय का परिशोधन करने की विशेष छूट दी गई । इस मामले की अपवादात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन मदों से संबंधित अपरिशोधित व्यय को टियर I पूंजी से नहीं घटाया जाएगा।

5. ऋण जोखिम के लिए पूंजी भार

5.1 सामान्य

मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पात्र बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दिया गया रेटिंग अधिकांशतः ऋण जोखिम के मापन को आधार देगा। रिज़र्व बैंक ने ऐसी बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों को अभिनिर्धारित किया है जो संशोधित ढांचे के अधीन विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों की पूर्ति करती हैं। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, इन दिशा-निर्देशों में दी गई रूपरेखा के अनुसार पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भार निर्धारित करने हेतु चुनी गई बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों पर निर्भर कर सकते हैं।

5.2 देशी सम्प्रभु (सोवरेन) संबंधी दावे

5.2.1 केंद्र सरकार संबंधी निधि आधारित तथा निधीतर आधारित, दोनों दावों पर शून्य जोखिम भार लागू होगा। केंद्र सरकार से गारंटीप्राप्त दावों पर शून्य जोखिम भार लागू होगा।

5.2.2 राज्य सरकारों को बैंकों द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष ऋण/ओवरड्राफ्ट एक्सपोज़र, यदि कोई हो तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश पर शून्य जोखिम भार लगेगा । राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत दावों पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा ।

5.2.3 केंद्र सरकार के एक्सपोज़र संबंधी दावों पर लागू जोखिम भार, भारतीय रिज़र्व बैंक, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम तथा लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास संबंधी दावों पर भी लागू होगा। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) संबंधी दावों पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा।

5.2.4 सीधे दावों तथा गारंटी दावों दोनों के लिए उपर्युक्त जोखिम भार तब तक लागू होगा जब तक वे 'मानक'/अर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत हैं। जहां ये सम्प्रभु एक्सपाज़र अनर्जक के रूप में वर्गीकृत होते हैं, वहां अनर्जक परिसंपत्तियों पर लागू जोखिम भार उन्हें लागू होगा, जिनके बारे में पैरा 5.12 में विस्तृत जानकारी दी गयी है।

5.2.5 "कृषि ऋण माफी योजना, 2008 के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्य राशि" नामक खाते में बकाया राशि भारत सरकार पर दावा मानी जाएगी और पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के लिए उस पर शून्य जोखिम भार लगेगा । तथापि, ऋण राहत योजना के अंतर्गत आनेवाले खातों की बकाया राशि उधारकर्ता पर दावा मानी जाएगी और मौजूदा मानदंडों के अनुसार उस पर जोखिम भार लगाया जाएगा ।

5.3 विदेशी सम्प्रभु संबंधी दावे

5.3.1 विदेशी सम्प्रभु संबंधी दावों पर अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा उन सम्प्रभुओं/सम्प्रभुओं के दावों को दिये गये रेटिंग⁶ के अनुसार निम्नानुसार जोखिम भार लागू होगा :

सारणी 2 : विदेशी सम्प्रभु संबंधी दावे - जोखिम भार

एस एंड पी*/ फिच रेटिंग	AAA से AA	A	BBB	BB से B	Bसे नीचे	रेटिंग नहीं किया गया
मूडी का रेटिंग	Aaa से Aa	A	Baa	Ba से B	B से नीचे	रेटिंग नहीं किया गया
जोखिम भार	0%	20%	50%	100%	150%	100%

⁶ पेरिस स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा द्वारा यूएस ट्रेजरी बिल में निवेश पर दिया जानेवाला जोखिम भार, निधियन की मुद्रा चाहे कोई भी हो, ट्रेजरी बिल को दी गयी रेटिंग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि सारणी 2 में दर्शाया गया है ।

* स्टैंडर्ड एंड पुअर

5.3.2 विदेशी सम्प्रभु की देशी मुद्रा में मूल्यवर्गित दावे, जिनकी पूर्ति उस सम्प्रभु के अधिकार क्षेत्र⁷ में जुटाए गए उसी मुद्रा के संसाधनों से की गयी है, पर शून्य प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा ।

5.3.3 तथापि, यदि भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की बहियों के ऐसे दावों के संबंध में कोई मेज़बान (होस्ट) पर्यवेक्षक अधिक सतर्क व्यवहार चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वे पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए मेज़बान देश के पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को अपनाएं ।

5.4 सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं (पीएसई) संबंधी दावे

5.4.1 देशी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं संबंधी दावों पर उसी प्रकार जोखिम भार लगेगा जो कंपनियों संबंधी दावों पर लागू है।

5.4.2 विदेशी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं संबंधी दावों पर जोखिम भार अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दिए गए निर्धारण के अनुसार निम्नानुसार होगा :

सारणी 3 : विदेशी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं संबंधी दावे - जोखिम भार

एस एंड पी/ फिच रेटिंग	AAA से AA	A	BBB से BB	BB से नीचे	रेटिंग नहीं किया गया
मूडी का रेटिंग	Aaa से Aa	A	Baa से Ba	Ba से नीचे	रेटिंग नहीं किया गया
जोखिम भार (%)	20	50	100	150	100

5.5 बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी), अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) संबंधी दावे

⁷ उदाहरणार्थ : यदि भारतीय स्टेट बैंक, न्यूयॉर्क के अमरीकी डॉलर में मूल्यवर्गित संसाधनों में से निवेश का निधीयन हुआ हो तो न्यूयॉर्क स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा द्वारा अमरीकन खजाना बिलों में किए निवेश पर शून्य प्रतिशत जोखिम भार लगेगा, चाहे दावे का रेटिंग कुछ भी क्यों न हो । यदि भारतीय स्टेट बैंक, न्यूयॉर्क के पास कोई अमरीकन डॉलर मूल्यवर्ग के संसाधन नहीं है तो उक्त जोखिम भार उक्त सारणी 2 में दर्शाए गए अनुसार खजाना बिलों को दिए गए रेटिंग से निश्चित किया जाएगा ।

बीआइएस, आइएमएफ संबंधी दावों तथा बीसीबीएस द्वारा मूल्यांकित निम्नलिखित पात्र बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) संबंधी दावों को न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं की पूर्ति करनेवाले अनुसूचित बैंकों संबंधी दावों जैसा ही समझा जाएगा और उनपर समान रूप से बीस प्रतिशत जोखिम भार लगेगा :

- क) विश्व बैंक समूह : आइबीआरडी और आइएफसी
- ख) एशियाई विकास बैंक
- ग) आफ्रिकी विकास बैंक
- घ) यूरोपीय बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट
- ङ) इंटर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक
- च) यूरोपीय निवेश बैंक
- छ) यूरोपीय निवेश निधि
- ज) नॉर्डिक निवेश बैंक
- झ) कैरिबियन विकास बैंक
- ञ) इस्लामिक विकास बैंक और
- त) काउन्सिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक

इसी प्रकार, रोग-प्रतिरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त सुविधा (आइएफएफआइएम) संबंधी दावों पर भी 20 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा।

5.6 बैंकों पर दावे

5.6.1 भारत में निगमित बैंकों तथा भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं पर उपर्युक्त पैरा 4.4.6 , पैरा 4.4.8 और पैरा 4.4.10 में उल्लिखित दावों, जिन्हें पूंजी से घटाया जाता है, को छोड़कर अन्य दावों पर निम्नानुसार जोखिम भार लगाया जाएगा :

सारणी 4 : भारत में निगमित बैंकों तथा भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं पर दावे

निवेशिती बैंक के सीआरएआर का स्तर	जोखिम प्रभार	
	सभी अनुसूचित बैंक (वाणिज्य, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक तथा सहकारी बैंक)	सभी गैर-अनुसूचित बैंक (वाणिज्य, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक तथा सहकारी बैंक)

(प्रतिशत में) (जहां उपलब्ध हो)	उपर्युक्त पैरा 4.4.8 में उल्लिखित 10 प्रतिशत सीमा के भीतर निवेश (प्रतिशत में)	सभी अन्य दावे (प्रतिशत में)	उपर्युक्त पैरा 4.4.8 में उल्लिखित 10 प्रतिशत सीमा के भीतर निवेश (प्रतिशत में)	सभी अन्य दावे (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
9 तथा उससे अधिक	100 प्रतिशत अथवा लिखत या काउंटर पार्टी की रेटिंग के अनुसार लगाया गया जोखिम भार , इनमें जो भी उच्चतर हो	20	100 प्रतिशत अथवा लिखत या काउंटर पार्टी की रेटिंग के अनुसार लगाया गया जोखिम भार , इनमें जो भी उच्चतर हो	100
6 से < 9	150	50	250	150
3 से < 6	250	100	350	250
0 से < 3	350	150	625	350
ऋणात्मक	625	625	पूरी कटौती*	625

* टीयर 1 और टीयर II पूंजी में से प्रत्येक में से 50% की दर से कटौती की जाए।

टिप्पणियां

- उन बैंकों के मामले में जहां भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोई पूंजी पर्याप्तता मानदंड निर्धारित नहीं किया है, उधारदाता /निवेशक बैंक निवेशिती बैंक से अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर वाणिज्य बैंकों को यथा लागू पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का उपयोग करके आनुमानिक आधार पर संबंधित सहकारी बैंक के सीआरएआर की गणना कर सकता है। यदि ऐसे आनुमानिक आधार पर सीआरएआर की गणना करना संभव नहीं हो तो निवेशक बैंक के संपूर्ण एक्सपोजर पर निवेशक बैंक के जोखिम बोध के अनुसार, 350 अथवा 625 प्रतिशत का जोखिम भार एक समान रूप से लगाया जाए।
- उन बैंकों के मामले में जहां पूंजी पर्याप्तता मानदंड वर्तमान में लागू नहीं होते हैं वहां उनके पूंजी-पात्रता वाले लिखतों में निवेश का अभी प्रश्न नहीं उठेगा। तथापि, यदि वे भविष्य में ऐसे

कोई पूंजी लिखत जारी करते हैं जिनमें निवेश करने के लिए अन्य बैंक पात्र है तो उपर्युक्त सारणी के स्तंभ 2 तथा 4 उन पर लागू होंगे।

5.6.2 विदेशी बैंकों संबंधी दावों पर जोखिम भार अंतर्राष्ट्रीय ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दिए गए रेटिंग के अनुसार निम्नानुसार होगा।

सारणी 5 : विदेशी बैंकों संबंधी दावे - जोखिम भार

एस एंड पी/ फिच रेटिंग	AAA से AA	A	BBB	BB से B	B से नीचे	रेटिंग नहीं किया गया
मूडी का रेटिंग	Aaa से Aa	A	Baa	Ba से B	B से नीचे	रेटिंग नहीं किया गया
जोखिम भार	20%	50%	50%	100%	150%	50%

विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं के एक्सपोजर, जिसे विदेश स्थित प्रधान कार्यालय अथवा किसी अन्य देश में बैंक की शाखा द्वारा गारंटी/काउंटर-गारंटी दी गयी हो, मूल विदेशी बैंक पर दावे माने जाएंगे और उपर्युक्त सारणी 5 के अनुसार उनपर जोखिम भार लगेगा।

5.6.3 तथापि, किसी बैंक के ऐसे दावे जो 'देशी'⁸ विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित हैं और उसी अधिकार क्षेत्र में जुटाए गए उसी मुद्रा के संसाधनों से पूरे किए गए हैं, पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा बशर्ते संबंधित बैंक के विनियामक (कों) द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीआरएआर का वह बैंक पालन करता हो।

5.6.4 तथापि, यदि कोई मेज़बान पर्यवेक्षक भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की बहियों में ऐसे दावों के लिए अधिक सतर्क व्यवहार चाहता है तो बैंकों को चाहिए कि वे पूंजी पर्याप्तता के लिए मेज़बान पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं को अपनाएं।

⁸ उदाहरणार्थ : भा. स्टे. बैंक की पैरिस स्थित शाखा का बीएनपी पारिबास पैरिस पर यूरो में मूल्यवर्गित किसी दावे पर, जिसका निधीयन भा. स्टे. बैंक, पैरिस की यूरो मूल्यवर्गित जमा राशि में से किया गया है, 20 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा, चाहे संबंधित दावे का रेटिंग कुछ भी क्यों न हो; बशर्ते बीएनपी पारिबास फ्रान्स के अपने विनियामक/पर्यवेक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीआरएआर का अनुपालन करता हो। यदि बीएनपी पारिबास न्यूनतम सीआरएआर का उल्लंघन करता है, तो उपर्युक्त सारणी 4 में दर्शाए गए अनुसार जोखिम भार होगा।

5.7 प्राथमिक व्यापारियों संबंधी दावे

प्राथमिक व्यापारियों संबंधी दावों पर उसी प्रकार जोखिम भार लगेगा जैसा कंपनियों संबंधी दावों पर लगता है।

5.8 कंपनियों , आस्ति वित्त कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियाँ- इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों संबंधी दावे

5.8.1 कंपनियों⁹ संबंधी दावों, जिनमें आस्ति वित्त कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियाँ- इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों¹⁰ पर एक्सपोजर पर जोखिम भार सेबी के पास पंजीकृत तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेन्सियों की ओर से दिए गए निर्धारण के अनुसार होगा। निम्नलिखित सारणी कंपनियों, आस्ति वित्त कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियाँ- इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों संबंधी दावों पर लागू जोखिम भार दर्शाती है।

सारणी 6 : भाग क - कंपनियों संबंधी दीर्घावधि दावे - जोखिम भार

देशी रेटिंग एजेन्सियां	AAA	AA	A	BBB	BB और उससे नीचे	रेटिंग न किए हुए
जोखिम भार	20%	30%	50%	100%	150%	100%

सारणी 6 : भाग ख - कंपनियों संबंधी अल्पावधि दावे - जोखिम भार

अल्पावधि रेटिंग				जोखिम भार
केअर	क्रिसिल	फिच	इकरा	
पीआर 1+	पी 1+	एफ 1+(आइएनडी)	ए 1 +	20%

⁹ कंपनियों संबंधी दावों में सम्प्रभु, 'बैंक', 'विनियामक फुटकर', 'आवासीय बंधक, 'अनर्जक परिसंपत्तियां' जैसी इन दिशानिर्देशों में अलग से वर्णित विनिर्दिष्ट श्रेणियों के अधीन शामिल करने हेतु पात्र एक्सपोजर को छोड़कर सभी निधि आधारित और निधीतर आधारित एक्सपोजर शामिल हैं।

¹⁰ कृपया 12 फरवरी 2010 का परिपत्र बैपवि.बीपी.बीसी. सं.74/21.06.001/2009-2010 देखें।

पीआर 1	पी 1	एफ 1(आइएनडी)	ए 1	30%
पीआर 2	पी 2	एफ 2(आइएनडी)	ए 2	50%
पीआर 3	पी 3	एफ 3(आइएनडी)	ए 3	100%
पीआर 4और पीआर 5	पी 4 और पी 5	एफ4/एफ5(आइएनडी)	ए 4 / ए 5	150%
रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	रेटिंग नहीं	100%

टिप्पणियाँ : आस्ति वित्त कंपनियों पर किए गए दावों के संबंध में जोखिम भार आस्ति वित्त कंपनियों की ऋण रेटिंग के अनुसार जारी रहेगा, परंतु जिन दावों पर नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अंतर्गत 150 प्रतिशत का जोखिम भार लगता है, उसे घटाकर 100 प्रतिशत के स्तर पर लाया जाएगा ।

रेटिंग न की गई कंपनी संबंधी किसी दावे को ऐसा जोखिम भार न लगाया जाए जो उसके निगमन के देश को लगाये गए जोखिम भार से कम हो।

5.8.2 समग्र चूक के अनुभव के कारण जहां उच्चतर जोखिम भार अपेक्षित है वहां रेटिंग न किए गए दावों के लिए मानक जोखिम भार रिज़र्व बैंक बढ़ा सकता है। पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक इस पर भी विचार करेगा कि विभिन्न बैंकों द्वारा रखे गए कंपनियों के रेटिंग न किए दावों की ऋण की गुणवत्ता के कारण मानक जोखिम भार 100 प्रतिशत से उच्चतर लगाया जाना चाहिए या नहीं।

5.8.3 ऐसी कंपनियों में, जिनका दायित्व या तो संबंधित बैंक द्वारा अकेले या अन्य बैंकों/ ऋणदाताओं के साथ मिलकर पुनर्चित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है, छुपे अंतर्निहित जोखिम के उच्चतर घटक को दर्शाने की दृष्टि से इन कंपनियों के संबंध में रेटिंग न किए गए मानक /अर्जक दावों पर उच्चतर जोखिम भार लगाया जाना चाहिए। ऐसा तब तक किया जाएगा जब तक कि संशोधित अनुसूची के अधीन ब्याज की पहली अदायगी/मूलधन देय हो जाने की तारीख से एक वर्ष के लिए संशोधित भुगतान अनुसूची के अधीन संतोषजनक कार्यनिष्पादन नहीं

होता । लागू जोखिम भार 125 प्रतिशत होगा।

5.8.4 अनिवासी कंपनियों संबंधी दावों पर अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दिए गए रेटिंग के अनुसार निम्नानुसार जोखिम भार लगाया जाएगा।

सारणी 7 : अनिवासी कंपनियों संबंधी दावे - जोखिम भार

एस एंड पी/ फिच रेटिंग	AAA से AA	A	BBB से BB	BB से नीचे	रेटिंग नहीं किया गया
मूडी रेटिंग	Aaa से Aa	A	Baa से Ba	Ba से नीचे	रेटिंग नहीं किया गया
जोखिम भार	20%	50%	100%	150%	100%

5.9 विनियामक फुटकर संविभागों में शामिल दावे

5.9.1 निम्न पैरा 5.9.3 में सूचीबद्ध सभी चार मानदंडों की पूर्ति करनेवाले दावों (निधि आधारित और निधीतर आधारित दोनों शामिल) को विनियामक पूंजी प्रयोजनों के लिए फुटकर दावों के रूप में माना जाए और किसी विनियामक फुटकर संविभाग में शामिल किया जाए। इस संविभाग में शामिल दावों पर 75% जोखिम भार लगाया जाए। इसमें अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए, निम्न पैरा 5.12 में दिये गये दावों को शामिल न किया जाए।

5.9.2 निम्नलिखित निधि आधारित और निधीतर आधारित दोनों दावों को विनियामक फुटकर संविभाग से बाहर रखा जाएगा :

(क) प्रतिभूतियों में (जैसे बांडों और ईक्विटी में) निवेशों के ज़रिए एक्सपोज़र, चाहे सूचीबद्ध हो या न हो;

(ख) उस सीमा तक बंधक ऋण, जिस सीमा तक वे आवासीय संपत्ति¹¹ से प्रतिभूत दावों अथवा वाणिज्य स्थावर संपदा¹² द्वारा प्रतिभूत दावों के रूप में समझे जाने के लिए पात्र हैं;

(ग) बैंक के अपने स्टाफ के लिए दिए गए ऋण और अग्रिम जो सेवानिवृत्ति के लाभों और/या फ्लैट/मकान के बंधक द्वारा पूरी तरह सुरक्षित हैं।

(घ) वैयक्तिक ऋणों और क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियों सहित उपभोक्ता ऋण

¹¹ आवासीय संपत्ति से प्रतिभूत दावों के रूप में समझे जाने हेतु पात्र बंधक ऋण पैरा 5.10 में है।

¹² पैरा 5.11.1 में यथा परिभाषित।

(ड.) पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र

(च) उद्यम पूंजी निधि

5.9.3 पात्रता मानदंड

- (i) अभिमुखता मानदंड - एक्सपोज़र एकल व्यक्ति या व्यक्तियों को अथवा किसी छोटे कारोबार को एक्सपोज़र (निधि आधारित और निधीतर आधारित) है : इस वाक्यांश के अंतर्गत उल्लिखित व्यक्ति ऐसा विधिक व्यक्ति होगा जो संविदा करने के लिए सक्षम होगा और इसमें एकल व्यक्ति, हिंदू अविभक्त परिवार, भागीदारी फर्म, न्यास, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, सहकारी समितियां आदि शामिल होंगी, परंतु वह केवल इन तक ही सीमित नहीं होगा। छोटा कारोबार वह है जिसका कुल औसत वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से कम है। टर्नओवर मानदंड मौजूदा कंपनियों के मामले में पिछले तीन वर्ष के औसत के साथ, नई कंपनियों के मामले में अनुमानित टर्नओवर के साथ और जिन्होंने अब तक तीन वर्ष पूरे नहीं किए हैं, ऐसी कंपनियों के लिए वास्तविक और अनुमानित दोनों टर्नओवर के साथ संबद्ध होगा ।
- (ii) उत्पाद मानदंड - एक्सपोज़र (निधि आधारित और निधीतर आधारित दोनों) निम्नलिखित में से किसी एक रूप का होता है : परिक्रामी ऋण और स्वीकृत अधिकतम ऋण सहायता (ओवरड्राफ्ट सहित), मीयादी ऋण और पट्टा (अर्थात् किस्त ऋण और पट्टा, छात्र ऋण तथा शैक्षिक ऋण) और छोटे कारोबार की सुविधाएं और प्रतिबद्धताएं ।
- (iii) विविधीकरण मानदंड - बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विनियामक फुटकर संविभाग का पर्याप्त रूप से इस स्तर तक विविधीकरण किया गया है कि संविभाग का जोखिम कम हो गया है और 75% का जोखिम भार उपयुक्त है। इसे हासिल करने का एक मार्ग यह है कि एक प्रतिपक्ष को सकल एक्सपोज़र समग्र विनियामक फुटकर संविभाग के 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 'सकल एक्सपोज़र' से तात्पर्य है तीन अन्य मानदंडों को अलग-अलग रूप से पूरा करनेवाले सभी प्रकार के ऋण एक्सपोज़रों (अर्थात् ऋण और प्रतिबद्धताएं) की कुल राशि (अर्थात् ऋण जोखिम कम करने के किसी परिणाम को हिसाब में न लेते हुए)। इसके अतिरिक्त 'एक प्रतिपक्ष' का अर्थ है एक अथवा अनेक कंपनियां जो एकल लाभार्थी (उदाहरण के लिए, किसी छोटे कारोबार के मामले में जो अन्य छोटे कारोबार से संबद्ध है, बैंक के दोनों कारोबारों के सकल एक्सपोज़र पर

संबंधित सीमा लागू होगी) के रूप में समझी जाती हैं। बैंक सकल एक्सपोज़र की गणना के लिए समूह एक्सपोज़र की संकल्पना का समुचित उपयोग कर सकते हैं। उन्हें इस मानदंड का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां विकसित करनी चाहिए। जोखिम भार लगाने के प्रयोजन के लिए विविधीकरण मानदंड का मूल्यांकन करते समय समग्र विनियामक फुटकर संविभाग से फुटकर ऋणों के अंतर्गत आनेवाली अनर्जक परिसंपत्तियों को बाहर रखा जाना चाहिए ।

(iv) अलग-अलग एक्सपोज़रों का निम्न मूल्य - एक प्रतिपक्ष को दिया गया अधिकतम सकल फुटकर एक्सपोज़र 5 करोड़ रुपये की कुल प्रारंभिक सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए ।

5.9.4 कुल प्रारंभिक सीमा के अनुपालन का पता लगाने के प्रयोजन के लिए सभी प्रकार के तुलन पत्रेतर एक्सपोज़रों सहित, निधि आधारित और निधीतर आधारित सभी सुविधाओं के लिए एक्सपोज़र का अर्थ होगा मंजूर सीमा या वास्तविक बकाया राशि, इनमें से जो भी अधिक हो । मीयादी ऋणों और ईएमआइ आधारित सुविधाओं के मामले में, जहां मंजूर राशियों के किसी हिस्से के पुनः आहरण की गुंजाइश नहीं है वहां एक्सपोज़र से तात्पर्य होगा वास्तविक बकाया।

5.9.5 इन एक्सपोज़रों के लिए चूक के अनुभव के संदर्भ में रिज़र्व बैंक फुटकर संविभाग को दिए जोखिम भार का आवधिक अंतराल पर मूल्यांकन करेगा। पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में रिज़र्व बैंक इसपर भी विचार करेगा कि अलग-अलग बैंकों द्वारा रखे गए विनियामक फुटकर दावों की ऋण गुणवत्ता को 75% से उच्चतर मानक जोखिम भार की आवश्यकता होनी चाहिए या नहीं ।

5.10 आवासीय संपत्ति से प्रतिभूत दावे

5.10.1 ऐसी आवासीय संपत्ति जो उधारकर्ता के कब्जे में है या होगी या जो किराये पर दी है, के बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत, आवासीय संपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से अलग-अलग व्यक्तियों को दिए गए ऋण पर निम्नानुसार जोखिम भार लगाया जाएगा, बशर्ते बोर्ड द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन नीति के आधार पर मूल्य के प्रति ऋण का अनुपात (एलटीवी) 75% से अधिक न हो। एलटीवी अनुपात की गणना भाज्य में खाते की कुल बकाया राशि (अर्थात् मूल धन + उपचित ब्याज + ऋण संबंधी अन्य प्रभार जिसमें से कुछ भी घटाया न हो) और भाजक में संबंधित बैंक को बंधक दी हुई आवासीय संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य को रखकर प्रतिशत के रूप में की जानी चाहिए ।

ऋण की राशि	जोखिम भार
30 लाख रुपये तक	50%
30 लाख रुपये और उससे अधिक	75%

5.10.2 आवासीय संपत्ति प्राप्त करने के लिए दिए गए उधार जो 75 लाख रुपये से कम हैं परंतु जिनका एलटीवी अनुपात 75% से अधिक है, उनपर 100 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा।

5.10.3 75 लाख रुपये और उससे अधिक राशि वाले रिहायशी आवास ऋणों के लिए जोखिम भार 125 प्रतिशत होगा, चाहे एलटीवी अनुपात कुछ भी हो, ताकि उच्च मूल्य वाले आवासीय क्षेत्र में अत्यधिक सट्टेबाजी को रोका जा सके ।

5.10.4 आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत अन्य सभी दावों पर प्रतिपक्षी को अथवा जिस प्रयोजन के लिए बैंक ने वित्त प्रदान किया है उसे लागू जोखिम भार में से उच्चतर जोखिम भार लगेगा।

5.10.5 पुनर्चित आवास ऋण पर ऊपर निर्धारित जोखिम भार पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त जोखिम भार लगाया जाना चाहिए ।

5.10.6 आगे ऋण देने हेतु मध्यस्थ कंपनियों को दिये गये ऋण/एक्सपोजर आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत दावों के अंतर्गत शामिल किये जाने के लिए पात्र नहीं होंगे परंतु वे कंपनियों संबंधी दावों के रूप में या विनियामक फुटकर संविभाग में शामिल दावों के रूप में, जो भी लागू हो, माने जाएंगे ।

5.10.7 उपर्युक्त पैरा 5.10.1 में दर्शाए गए एक्सपोजरों द्वारा समर्थित बंधक आधारित प्रतिभूतियों में किये गये निवेश प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर संबंधी दिशानिर्देशों से नियंत्रित होंगे (देखें निम्न पैरा 5.16)।

5.11 वाणिज्यिक स्थावर संपदा द्वारा प्रतिभूत दावे

5.11.1 वाणिज्यिक स्थावर संपदा द्वारा प्रतिभूत दावों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- "निधि आधारित और निधीतर आधारित ऐसे एक्सपोजर जो वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं (कार्यालय की बिल्डिंग, फुटकर स्थान, बहुदेशीय वाणिज्य परिसर, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायाकृत वाणिज्य परिसर, औद्योगिक या गोदाम का स्थान, होटल, भूमि अर्जन, विकास और निर्माण कार्य आदि) संबंधी बंधकों द्वारा प्रतिभूत हैं।" विशेष आर्थिक क्षेत्र के गठन के लिए या विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयों (जिसमें स्थावर संपदा शामिल

हैं)के अर्जन के लिए कंपनियों के प्रति एक्सपोज़र, को भी वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोज़र माना जाएगा।

5.11.2 उपर्युक्तानुसार परिभाषित वाणिज्यिक स्थावर संपदा द्वारा प्रतिभूत दावों पर 100 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा ।

5.11.3 उपर्युक्त पैरा 5.11.1 में दिये गये अनुसार एक्सपोज़रों द्वारा समर्थित बंधक आधारित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में किये गये निवेश प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़रों संबंधी दिशानिर्देशों से नियंत्रित होंगे । देखें निम्न पैरा 5.16 ।

5.12 अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए)

5.12.1 अनर्जक परिसंपत्ति (पैरा 5.12.6 में उल्लिखित पात्र आवासीय बंधक ऋण को छोड़कर) के बेजमानती हिस्से पर, विनिर्दिष्ट प्रावधानों (आंशिक राइट-ऑफ सहित)को घटाकर, निम्नानुसार जोखिम भार लगेगा :

- (i) जब विनिर्दिष्ट प्रावधान एनपीए की बकाया राशि के 20% से कम है तब 150% जोखिम भार;
- (ii) जब विनिर्दिष्ट प्रावधान एनपीए की बकाया राशि के कम-से-कम 20% है तब 100% जोखिम भार;
- (iii) जब विनिर्दिष्ट प्रावधान एनपीए की बकाया राशि के कम-से-कम 50% है तब 50% जोखिम भार;

5.12.2 जोखिम भार निर्धारित करने हेतु अनर्जक परिसंपत्तियों में विनिर्दिष्ट प्रावधान के स्तर की गणना के लिए किसी एकल प्रतिपक्षी का सारा निधीकृत एनपीए एक्सपोज़र (पात्र सम्पाशिवक का मूल्य घटाए बिना) भाजक में लिया जाए ।

5.12.3 अनर्जक परिसंपत्ति के प्रतिभूति समर्थित भाग को परिभाषित करने के प्रयोजन के लिए पात्र संपाशिवक वही होगा जिसे ऋण जोखिम को कम करने के प्रयोजन के लिए मान्यता दी गयी है (पैराग्राफ 7.3.5)। अतः पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए अनर्जक परिसंपत्ति के प्रतिभूति समर्थित भाग की गणना करते समय संपाशिवक के अन्य प्रकार जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, मशीन, वर्तमान परिसंपत्तियां आदि को ध्यान में नहीं लिया जाएगा ।

5.12.4 उपर्युक्त के अलावा, जहां कोई अनर्जक परिसंपत्ति निम्नलिखित प्रकार के सम्पाशिवक द्वारा पूर्णतः सुरक्षित है, जिन्हें ऋण जोखिम को कम करने के प्रयोजनों के लिए स्वतंत्र रूप से अथवा अन्य पात्र संपाशिवक के साथ मान्यता नहीं दी गयी है, वहां

बकाया राशि के 15 प्रतिशत प्रावधान होने पर विशिष्ट प्रावधानों को घटाकर 100 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा :

- (i) भूमि तथा भवन जिनका विशेषज्ञ मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन किया गया है तथा मूल्यांकन तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं है, तथा
- (ii) अच्छी स्थिति में संयंत्र तथा मशीन जिनका मूल्य उधारकर्ता के लेखा-परीक्षित तुलनपत्र जो अठारह महीनों से अधिक पुरानी नहीं है, में दिखाए गए मूल्यहासित मूल्य से अधिक नहीं है।

5.12.5 उपर्युक्त संपाशिवकों को (पैराग्राफ 5.12.4 में उल्लिखित) केवल वहां मान्यता होगी जहां उसकी बिक्री से प्राप्त राशि लेने के लिए बैंक के पास स्पष्ट हक है तथा उस राशि का वे बैंक को देय राशियों की वसूली के लिए विनियोग कर सकते हैं। संपाशिवक के प्रति बैंक के हक का यथोचित प्रलेखन होना चाहिए। मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत और कहीं भी संपाशिवकों के इन प्रकारों को मान्यता नहीं दी गई है।

5.12.6 पैराग्राफ 5.10.1 में यथापरिभाषित आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूति समर्थित दावे, जो अनर्जक परिसंपत्ति है, को विशिष्ट प्रावधानों को घटाकर 100% पर जोखिम भारित किया जाएगा। यदि ऐसे ऋणों में विशिष्ट प्रावधान बकाया राशि के कम-से-कम 20 प्रतिशत है लेकिन 50% से कम हैं, तो विशिष्ट प्रावधानों को घटाकर ऋण पर लागू जोखिम भार 75 प्रतिशत होगा। यदि विशिष्ट प्रावधान 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है तो लागू जोखिम भार 50 प्रतिशत होगा।

5.13 विनिर्दिष्ट श्रेणियां

5.13.1 उद्यम पूंजी निधियां, जिन्हें उच्च जोखिम एक्सपोजर समझा जाता है, पर निधि आधारित तथा निधीतर आधारित दावों पर 150 प्रतिशत का उच्चतर जोखिम भार लागू होगा।

5.13.2 रिज़र्व बैंक यथासमय उच्च जोखिम एक्सपोजर के रूप में निर्धारित किसी अन्य दावे में उच्चतर जोखिम को देखते हुए 150 प्रतिशत अथवा उच्चतर जोखिम भार लागू करने का निर्णय ले सकता है।

5.13.3 व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियों सहित लेकिन शैक्षिक ऋण रहित उपभोक्ता ऋण पर 125 प्रतिशत का उच्चतर जोखिम भार अथवा काउंटर पार्टी के बाहरी

रेटिंग (अथवा उसका अभाव) के कारण अपेक्षित उच्चतर जोखिम भार (125 प्रतिशत से अधिक) लागू होगा। चूंकि सोना और स्वर्ण आभूषण पात्र वित्तीय संपार्श्विक हैं, सोना और स्वर्ण आभूषण द्वारा सुरक्षित व्यक्तिगत ऋण के मामले में काउंटर पार्टी एक्सपोजर की गणना पैरा 7.3.4 के अनुसार परिपूर्ण दृष्टिकोण के अंतर्गत की जाएगी। 'जोखिम कम करने के बाद एक्सपोजर मूल्य' पर 125 प्रतिशत का जोखिम भार लगेगा।

5.13.4 'पूंजी बाजार एक्सपोजर' पर 125 प्रतिशत का जोखिम भार अथवा काउंटर पार्टी के बाहरी रेटिंग (अथवा उसका अभाव) के कारण अपेक्षित जोखिम भार इनमें जो भी उच्चतर हो लागू होगा।

5.13.5 आस्ति वित्त कंपनियों और एनबीएफसी-आइएफसी को छोड़कर "जमा स्वीकार नहीं करनेवाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ)" पर दावे पर 100 प्रतिशत का समरूप जोखिम भार लगेगा, चाहे दावे की राशि कुछ भी हो तथा कंपनी की रेटिंग की गयी हो अथवा नहीं की गयी हो। (आवास वित्त कंपनियों और एनबीएफसी-आइएफसी¹³ पर दावे के जोखिम भार के लिए पैरा 5.8.1 देखें)।

5.13.6 गैर-वित्तीय संस्थाओं की प्रदत्त इक्विटी में सभी निवेश जिन्हें बैंक के साथ पूंजी प्रयोजन के लिए समेकित नहीं किया गया है को 125 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाएगा।

5.13.7 वित्तीय संस्थाओं (बैंकों को छोड़कर, जिनके संबंध में पैरा 5.6 में चर्चा की गयी है) जिन्हें बैंक के साथ पूंजी प्रयोजनों के लिए समेकित नहीं किया गया है की प्रदत्त इक्विटी में सभी निवेशों पर, यदि निवेश निवेशिती संस्था की इक्विटी के 30 प्रतिशत तक है तो उस पर 125 प्रतिशत जोखिम भार अथवा काउंटर पार्टी की बाहरी रेटिंग (अथवा उसका अभाव) के कारण अपेक्षित जोखिम भार, इनमें से जो भी अधिक है, लागू होगा। ऐसी वित्तीय संस्थाओं की प्रदत्त इक्विटी में निवेश पर, जिन्हें 'पूंजी बाजार एक्सपोजर' से विनिर्दिष्ट रूप से छूट दी गयी है, 100 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा।

5.13.8 अन्य बैंकों के इक्विटी से इतर पूंजी हेतु पात्र लिखतों में बैंकों के निवेश पर पैरा 5.6.1 के अनुसार जोखिम भार लगाया जाना चाहिए।

5.14 अन्य परिसंपत्तियां

¹³ कृपया 12 फरवरी 2010 का परिपत्र बैपवि.बीपी.बीसी. सं.74/21.06.001/2009-2010 देखें।

5.14.1 बैंक के अपने स्टाफ को ऋण तथा अग्रिम जो अधिवर्षिता लाभों तथा/अथवा फ्लैट/मकान के बंधक द्वारा पूर्णतः समर्थित हैं पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा। चूंकि फ्लैट/मकान पात्र संपाशिवक नहीं है और चूंकि बैंक सामान्यतः केवल सेवा की समाप्ति के समय अधिवर्षिता लाभों का समायोजन करके देयताओं की वसूली करते हैं, इसलिए बकाया राशि का कोई भी समायोजन किए बिना रियायती जोखिम भार लागू किया जाएगा। यदि स्टाफ सदस्य से देय राशियों के संबंध में बैंक के पास कोई पात्र संपाशिवक है तो उस स्टाफ सदस्य की बकाया राशि को, नीचे पैराग्राफ 7 में दर्शाए गए अनुसार अनुमत सीमा तक समायोजित किया जाए।

5.14.2 बैंक के अपने स्टाफ को दिए गए अन्य ऋण तथा अग्रिम विनियामक खुदरा संविभाग के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र होंगे और इसलिए उन पर 75 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा।

5.14.3 बैंकों द्वारा केंद्रीय काउंटर पार्टियों के पास रखी गयी जमाराशियों पर केंद्रीय काउंटर पार्टियों के स्वरूप के अनुसार उपयुक्त जोखिम भार लगेगा। भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआइएल) के मामले में जोखिम भार 20 प्रतिशत होगा और अन्य केंद्रीय काउंटरपार्टियों के मामले में उन संस्थाओं को दी गयी रेटिंग के अनुसार होगा।

5.14.4 अन्य सभी परिसंपत्तियों पर एक समान 100% जोखिम भार लागू होगा।

5.15 तुलनपत्रेतर मदें

5.15.1 सामान्य

i) कुल जोखिम भारित तुलनपत्रेतर ऋण एक्सपोजर की गणना बाज़ार संबद्ध तथा गैर-बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मदों के जोड़ के रूप में की जाती है। किसी तुलनपत्रेतर मद जिससे ऋण एक्सपोजर होता है की जोखिम भारित राशि की गणना सामान्यतः द्वि-स्तरीय प्रक्रिया द्वारा की जाती है :

(क) लेनदेन की परिकल्पित (नोशनल) राशि को विशिष्ट ऋण परिवर्तन गुणक द्वारा गुणा करके अथवा वर्तमान एक्सपोजर पद्धति को लागू करके ऋण समतुल्य राशि में परिवर्तित किया जाता है, तथा

(ख) प्राप्त ऋण समतुल्य राशि को काउंटर पार्टी पर लागू अथवा जिस प्रयोजन से बैंक ने वित्त दिया है, उस पर लागू अथवा परिसंपत्ति के

प्रकार पर लागू, इनमें से जो भी अधिक हो, जोखिम भार द्वारा गुणा किया जाता है।

- ii) जहां तुलनपत्रेतर मद, पात्र संपाशिवक अथवा गारंटी द्वारा समर्थित है वहां पैराग्राफ 7 में वर्णित ऋण जोखिम को कम करने संबंधी दिशानिर्देश लागू किए जाए।

5.15.2 गैर-बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मदें

- i) गैर-बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मद, जैसे प्रत्यक्ष ऋण स्थानापन्न व्यापार तथा कार्य निष्पादन से संबंधित आकस्मिक मदें तथा कुछ ड्रॉडाऊन के साथ प्रतिबद्धताएं, अन्य प्रतिबद्धताएं आदि के संबंध में ऋण समतुल्य राशि, उस विशिष्ट लेनदेन की संविदाकृत राशि का संबंधित ऋण परिवर्तन गुणक (सीसीएफ) के साथ गुणा करके निर्धारित की जाएगी।
- ii) जहां गैर-बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मद एक अनाहरित अथवा आंशिक रूप से अनाहरित निधि आधारित सुविधा¹⁴ है, वहां तुलनपत्रेतर गैर-बाज़ार संबद्ध ऋण एक्सपोज़र की गणना करने में शामिल की जानेवाली अनाहरित प्रतिबद्धता की राशि उक्त प्रतिबद्धता का ऐसा अधिकतम अप्रयुक्त हिस्सा है जो परिपक्वता की शेष अवधि के दौरान आहरित किया जा सकता है। किसी प्रतिबद्धता का कोई भी आहरित हिस्सा बैंक के तुलन पत्र के ऋण एक्सपोज़र का भाग होता है।
- iii) तुलनपत्रेतर सुविधाएं प्रदान करने की अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धताओं के मामले में मूल परिपक्वता की गणना प्रतिबद्धता के प्रारंभ से संबद्ध सुविधा समाप्त होने के समय तक की जाएगी। उदाहरण के लिए, 6 माह के प्रलेखी साख पत्र जारी करने हेतु 12 महीने की मूल परिपक्वतावाली अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता को 18 महीने की मूल परिपक्वता वाली प्रतिबद्धता समझा जाता है। तुलनपत्रेतर सुविधाएं प्रदान करने की अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धताओं पर लागू होनेवाले दो ऋण परिवर्तन गुणकों (सीसीएफ) में से निम्नतर सीसीएफ लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 15 महीनों की मूल परिपक्वता वाली अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता (50 प्रतिशत-सीसीएफ) पर छः महीने के

¹⁴ उदाहरण के लिए (क) 100 लाख रुकी नकद ऋण सुविधा (जो बिना शर्त निरस्त नहीं की जा सकती है) के मामले में जहां आहरित हिस्सा रु 60 लाख है, 40 लाख रुके अनाहरित हिस्से पर 20 प्रतिशत का सीसीएफ लागू होगा (चूंकि ऋण सुविधा सामान्यतः वर्ष में एक बार समीक्षा/नवीकरण के अधीन होती है) 8 लाख रुके (40 लाख रुका 20 प्रतिशत) की ऋण समतुल्य राशि पर अनाहरित हिस्से के लिए जोखिम भारित परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए काउंटरपार्टी/रेटिंग को लागू उचित जोखिम भार लगाया जाएगा। अनाहरित हिस्से (. 60 लाख रु) पर काउंटरपार्टी/रेटिंग को लागू जोखिम भार लगेगा।

(ख) एक बड़ी परियोजना के लिए 700 करोड़ रुका मीयादी ऋण मंजूर किया गया है जिसे तीन वर्ष की अवधि के दौरान क्रमिक रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। मंजूरी की शर्तें तीन स्तरों में आहरण करने की अनुमति देती हैं - पहले स्तर में 150 करोड़ रु., दूसरे में रु 200 करोड़ तथा तीसरे में रु 350 करोड़। उधारकर्ता को स्तर II तथा III के अंतर्गत आहरण के लिए कुछ औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद, बैंक का स्पष्ट अनुमोदन आवश्यक है। यदि उधारकर्ता ने स्तर I के अंतर्गत रु 50 करोड़ आहरित किए हैं, तो केवल स्तर I के संदर्भ में अनाहरित हिस्से की गणना की जाएगी। अर्थात् वह होगा रु 100 करोड़। यदि स्तर I एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना निर्धारित है तो सीसीएफ 20 प्रतिशत होगा तथा यदि वह एक वर्ष से अधिक है तो लागू सीसीएफ 50 प्रतिशत होगा।

प्रलेखी साख पत्र (20 प्रतिशत-सीसीएफ) जारी करने के लिए निम्नतर सीसीएफ अर्थात् प्रलेखी साख पत्र पर लागू सीसीएफ अर्थात् 20 प्रतिशत लागू होगा ।

iv) गैर-बाज़ार से संबद्ध तुलनपत्रेतर लेनदेन के लिए ऋण परिवर्तन गुणक निम्नानुसार है:

सारणी 8 : ऋण परिवर्तन गुणक - गैर-बाजार आधारित तुलनपत्रेतर मर्दे

क्र. सं.	लिखत	ऋण परिवर्तन गुणक (प्रतिशत में)
1.	<p>प्रत्यक्ष ऋण स्थानापन्न, उदाहरण के लिए ऋणग्रस्तता की सामान्य गारंटियां (जिनमें ऋण तथा प्रतिभूतियों के लिए वित्तीय गारंटियों के रूप में कार्य करनेवाले उद्यत (स्टैंड बाय) साख पत्र, ऋण प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए नकदी सुविधाएं शामिल हैं) तथा स्वीकृतियां (जिनमें स्वीकृति के स्वरूप के बेचान शामिल हैं)।</p> <p>(अर्थात् हानि का जोखिम, काउंटर पार्टी अथवा जिस पार्टी के विरुद्ध संभाव्य दावा प्राप्त किया है, उस की ऋण पात्रता पर निर्भर है।)</p>	100
क्र. सं.	लिखत	ऋण परिवर्तन गुणक (प्रतिशत में)
2.	कुछ लेनदेन से संबंधित आकस्मिक मर्दे (उदाहरणार्थ, निष्पादन बाण्ड, बिड बाण्ड, वारंटी, इंडेम्निटी तथा किसी खास लेनदेन से संबंधित उद्यत साख पत्र)	50
3.	जारीकर्ता बैंक तथा पुष्टि करने वाला बैंक दोनों के लिए वस्तुओं की आवाजाही (उदाहरणार्थ, अंडरलाइंग शिपमेंट द्वारा संपादित प्रलेखी साख/ऋण) से पैदा होनेवाले अल्पावधि स्व-परिसमापक व्यापार पत्र	20
4.	<p>विक्रय तथा पुनः क्रय करार तथा आश्रय (रिकोर्स) सहित परिसंपत्ति बिक्री जहां ऋण जोखिम बैंक के पास रहता है ।</p> <p>(इन मर्दों को परिसंपत्ति के प्रकार के अनुसार जोखिम भारित किया जाना है न कि जिस प्रकार की काउंटर पार्टी</p>	100

	के साथ यह लेनदेन किया गया है उसके अनुसार)	
5.	वायदा परिसंपत्ति खरीद, वायदा जमाराशियां तथा अंशतः प्रदत्त शेयर तथा प्रतिभूतियां जो कुछ ड्रॉडाउन सहित प्रतिबद्धताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं । *(इन मर्दों को परिसंपत्ति के प्रकार के अनुसार जोखिम भारित किया जाना है न कि जिस प्रकार की काउंटर पार्टी के साथ यह लेनदेन किया गया है उसके अनुसार)	100
6.	बैंकों द्वारा बैंक की प्रतिभूतियां उधार देना अथवा प्रतिभूतियों को संपाशिवक के रूप में दर्ज करना जिनमें ऐसे उदाहरण भी शामिल हैं जहां ये रिपो स्वरूप के लेनदेनों (अर्थात् पुनर्खरीद/प्रति पुनर्खरीद तथा प्रतिभूति उधार देने/प्रतिभूति उधार लेने के लेनदेन) के कारण होते हैं ।	100
7.	नोट निर्गमन सुविधा तथा परिक्रामी / गैर-परिक्रामी हामीदारी सुविधाएं	50
8.	कुछ ड्रॉडाउन सहित प्रतिबद्धताएं	100
9.	निम्नलिखित अवधि की मूल परिपक्वता वाली अन्य प्रतिबद्धताएं (उदाहरणार्थ, औपचारिक उद्यत सुविधाएं तथा ऋण व्यवस्था) क) एक वर्ष तक ख) एक वर्ष से अधिक इसी तरह की प्रतिबद्धताएं जो बैंक द्वारा किसी भी समय बिना कोई पूर्व सूचना के बिना शर्त निरस्त की जा सकती हैं अथवा जिनके संबंध में उधारकर्ता की ऋण पात्रता में कमी आ जाने के कारण स्वतः निरस्त होने का प्रावधान है ।	20 50 0
10.	अधिग्रहण करनेवाली संस्था की बहियों में अंतरण (टेक-आउट) वित्तपोषण	
	i) बिना शर्त अंतरण वित्तपोषण	100
	ii) सशर्त अंतरण वित्तपोषण	50

- v) बाज़ार से संबंध न रखनेवाले तुलनपत्रेतर मर्दों के संबंध में, बैंकेतर काउंटरपार्टियों के साथ किए गए निम्नलिखित लेनदेन को बैंकों पर दावा माना जाएगा :

- अन्य बैंकों की काउंटर गारंटियों की जमानत पर बैंकों द्वारा जारी गारंटियां।
- अन्य बैंकों द्वारा भुनाए गये प्रलेखी बिलों की पुनर्भुनाई तथा बैंकों द्वारा भुनाए गए बिल, जिन्हें किसी अन्य बैंक ने स्वीकार किया है, को बैंक पर निधिक दावा समझा जाएगा।

उपर्युक्त सभी मामलों में बैंक को इस बात से पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए कि जोखिम एक्सपोजर वास्तव में दूसरे बैंक पर है। यदि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि जोखिम एक्सपोजर दूसरे बैंक पर है तो वे इन एक्सपोजरों पर पैराग्राफ 5.6 में वर्णित किए गए अनुसार बैंकों पर लागू जोखिम भार निर्धारित कर सकते हैं।

- vi) बैंकों द्वारा म्यूचुअल फंडों तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज को जारी की गई अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धता ऐसी वित्तीय गारंटी है जिसका ऋण परिवर्तन गुणक 100 है। तथापि केवल पूंजी बाजार एक्सपोजर के रूप में गिने जानेवाले एक्सपोजर अर्थात् राशि के 50 प्रतिशत पर पूंजी बनाई रखनी होगी क्योंकि ऐसा माना जाता कि शेष एक्सपोजर नकद राशि / प्रतिभूतियों द्वारा रक्षित है और इन्हें बासेल II के अनुसार जोखिम कम करने वाले तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया है। अतः पूंजी बाजार एक्सपोजर के लिए ली गयी राशि पर पूंजी बनाए रखनी है और उसपर 125 प्रतिशत जोखिम भार होगा

5.15.3 बाजार संबद्ध तुलनपत्रेतर मर्दें

- i) पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से बाजार संबद्ध तुलनपत्रेतर मर्दों से होनेवाले जोखिम भारित तुलनपत्रेतर ऋण एक्सपोजर की गणना करते समय बैंकों को अपनी बैंकिंग तथा ट्रेडिंग बही में धारित सभी बाजार संबंधित लेनदेन जिनके कारण तुलनपत्रेतर ऋण जोखिम पैदा होते हैं, को शामिल करना होगा ।
- ii) बाजार संबद्ध तुलनपत्रेतर मर्दों पर ऋण जोखिम काउंटर पार्टी की चूक की स्थिति में संविदा द्वारा विनिर्दिष्ट नकदी प्रवाह को प्रतिस्थापित करने में बैंक की लागत है। यह अन्य बातों के साथ-साथ संविदा की परिपक्वता तथा आधारभूत लिखत की दरों की अस्थिरता पर निर्भर होगा ।
- iii) बाजार संबद्ध तुलनपत्रेतर मर्दों में निम्नलिखित शामिल होंगे :
- क) ब्याज की संविदाएं - जिनमें एकल मुद्रा ब्याज दर स्वैप्स, बेसिस स्वैप्स, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं;

- ख) विदेशी मुद्रा संविदाएं जिनमें स्वर्ण से संबंधित संविदाएं शामिल हैं - इनमें क्रॉस करेन्सी स्वैप्स (क्रॉस करेन्सी ब्याज दर स्वैप्स सहित), वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं, करेन्सी फ्यूचर्स, करेन्सी ऑप्शन्स शामिल हैं;
- ग) रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अनुमत कोई अन्य बाज़ार संबद्ध संविदाएं जिनसे बाज़ार जोखिम होता है।
- iv) निम्नलिखित के लिए पूंजी अपेक्षाओं से छूट अनुमत है :
- क) विदेशी मुद्रा (स्वर्ण को छोड़कर) संविदाएं जिनकी मूल परिपक्वता 14 कैलेंडर दिन अथवा उससे कम है; तथा
- ख) फ्यूचर तथा ऑप्शन एक्स्चेंजों पर खरीद-बिक्री किए गए लिखत जो बाज़ार दर पर दैनंदिन मूल्यांकन तथा मार्जिन भुगतानों के अधीन हैं।
- v) डेरिवेटिव सैदों और प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (उदाहरण के लिए, संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता, रेपो) के कारण केंद्रीय काउंटर पार्टियों के प्रति एक्सपोज़र को काउंटर पार्टी ऋण जोखिम के लिए शून्य एक्सपोज़र मूल्य दिया जाएगा, क्योंकि यह माना गया है कि केंद्रीय काउंटर पार्टियों का अपनी काउंटर पार्टियों के प्रति एक्सपोज़र दैनिक आधार पर पूर्णतया संपार्श्वीकृत है और इस तरह से केंद्रीय काउंटर पार्टी के ऋण जोखिम एक्सपोज़र को सुरक्षा मिली हुई है ।
- vi) केंद्रीय काउंटरपार्टियों के पास संपाशिवक के रूप में रखी गयी बैंक प्रतिभूतियों पर 100 प्रतिशत का ऋण परिवर्तन गुणक (सीसीएफ) लगाया जाएगा तथा इससे प्राप्त तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र पर केंद्रीय काउंटर पार्टी के स्वरूप के अनुसार उपयुक्त जोखिम भार लगाया जाएगा । भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआइएल) के मामले में जोखिम भार 20 प्रतिशत होगा और अन्य काउंटर पार्टियों के मामले में उनको दी गयी रेटिंग के अनुसार होगा ।
- vii) बैंकिंग बही अथवा ट्रेडिंग बही में से किसी में भी धारित बाज़ार संबंधित तुलनपत्रेतर मद की ऋण समतुल्य राशि को वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति द्वारा निर्धारित किया जाए।

5.15.4 वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति

- i) वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति का प्रयोग करके अभिकल्पित किये गये बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर लेनदेन की ऋण समतुल्य राशि इन संविदाओं के वर्तमान ऋण एक्सपोज़र तथा संभाव्य भावी ऋण एक्सपोज़र का जोड़ है। ऋण एक्सपोज़र की गणना करते समय बैंक 'बिक्री किये गये ऑप्शन' को गणना से बाहर रख सकते हैं, बशर्ते संपूर्ण प्रीमियम/शुल्क या किसी अन्य प्रकार की आय प्राप्त हुई हो/वसूल हुई हो ।
- ii) वर्तमान ऋण एक्सपोज़र को इन संविदाओं के बाज़ार दर पर अंकित धनात्मक मूल्य के जोड़ के रूप में परिभाषित किया जाता है । वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति के अंतर्गत इन संविदाओं का बाज़ार दर पर अंकन करके वर्तमान ऋण एक्सपोज़र की आवधिक गणना की जाती है और इस प्रकार वर्तमान ऋण एक्सपोज़र निश्चित किया जाता है।
- iii) संभाव्य भावी ऋण एक्सपोज़र का निर्धारण, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि संविदा का बाज़ार दर पर अंकित मूल्य शून्य, धनात्मक अथवा ऋणात्मक है, इन संविदाओं में से प्रत्येक संविदा की परिकल्पित (नोशनल) मूल राशि का, लिखत के स्वरूप तथा अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार नीचे दर्शाए गए संबंधित अतिरिक्त गुणक द्वारा गुणा करके, किया जाएगा।

सारणी 9 : बाज़ार संबद्ध तुलनपत्रेतर मदों के लिए सीसीएफ

अवशिष्ट परिपक्वता	ऋण परिवर्तन गुणक	
	ब्याज दर संविदा	स्वर्ण तथा विनिमय दर संविदा
एक वर्ष या कम	0.50 प्रतिशत	2.00 प्रतिशत
एक वर्ष से अधिक से पांच वर्ष तक	1.00 प्रतिशत	10.00 प्रतिशत
पांच वर्ष से अधिक	3.00 प्रतिशत	15.00 प्रतिशत

- iv) मूल राशि के बहुविध विनिमय वाली संविदाओं के लिए अतिरिक्त गुणकों को संविदा में शेष भुगतानों की संख्या द्वारा गुणा किया जाना चाहिए ।
- v) ऐसी संविदाओं के लिए, जिनकी रचना इस प्रकार की गयी है कि विनिर्दिष्ट भुगतान की तारीखों के बाद बकाया एक्सपोज़र का निपटान किया जाता है तथा शर्तों को इस प्रकार पुनर्निर्धारित किया जाता है कि इन विनिर्दिष्ट तारीखों को संविदा का बाज़ार मूल्य शून्य होता है, तो ऐसी संविदाओं की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि अगली पुनर्निर्धारित तारीख की अवधि तक निर्धारित की जाएगी। तथापि, ऐसी ब्याज दर

संविदाओं के मामले में जिनकी शेष परिपक्वता अवधियाँ एक वर्ष से अधिक हैं और जो उपर्युक्त मानदंड पूर्ण करती हैं, ऋण परिवर्तन गुणक अथवा अतिरिक्त गुणक 1.0 प्रतिशत के न्यूनतम के अधीन होगा ।

- vi) एकल मुद्रा अस्थिर/अस्थिर ब्याज दर स्वैप्स के लिए किसी भी संभाव्य भावी ऋण एक्सपोजर की गणना नहीं की जाएगी; इन संविदाओं पर ऋण एक्सपोजर का मूल्यांकन केवल उनके बाज़ार दर पर अंकित मूल्य के आधार पर किया जाएगा ।
- vii) संभाव्य भावी एक्सपोजर, प्रत्यक्ष परिकल्पित राशियों के बजाय प्रभावी परिकल्पित राशियों पर आधारित होने चाहिए। कथित परिकल्पित राशि को लेनदेन की रचना द्वारा लिवरेज अथवा वर्धित किए जाने की स्थिति में संभाव्य भावी एक्सपोजर निर्धारित करते समय बैंकों को प्रभावी परिकल्पित राशि का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, 1 मिलियन अमरीकी डालर की कथित परिकल्पित राशि बीपीएलआर की दो गुनी आंतरिक दर के आधार पर भुगतान के साथ 2 मिलियन अमरीकी डालर की प्रभावी परिकल्पित राशि मानी जाएगी ।
- viii) द्विपक्षीय नेटिंग से संबंधित विधिक स्थिति असंदिग्ध रूप से स्पष्ट न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी डेरिवेटिव संविदाओं के कारण उत्पन्न होने वाले बाज़ार दर पर अंकित (एमटीएम) मूल्यों को द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती है । तदनुसार, बैंकों को पूंजी पर्याप्तता तथा एक्सपोजर मानदंडों के प्रयोजन के लिए ऐसी संविदाओं के सकल धनात्मक बाज़ार दर पर अंकित मूल्य की गणना करनी चाहिए ।

5.15.5 असफल लेनदेन

- i) निपटान न की गयी प्रतिभूतियों तथा विदेशी मुद्रा लेनदेन का जहाँ तक संबंध है, लेनदेन की बुकिंग अथवा लेखांकन किसी भी प्रकार का हो, ट्रेड की तारीख से बैंक को काउंटर पार्टी ऋण जोखिम रहता है। इस प्रयोजन से कि समय पर कार्रवाई की जा सके प्रबंधन सूचना प्रस्तुत करने के लिए निपटान न किए गए लेनदेन से होनेवाले ऋण जोखिम एक्सपोजर को खोजने तथा उसपर निगरानी रखने के लिए उचित प्रणालियों को विकसित, कार्यान्वित करने तथा सुधारने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है ।
- ii) इस प्रयोजन से कि समय पर कार्रवाई की जा सके प्रबंधन सूचना प्रस्तुत करने के लिए बैंकों को लेनदेन असफल होने की तारीख से असफल प्रतिभूतियों तथा विदेशी

मुद्रा लेनदेन की कड़ी निगरानी करनी चाहिए। असफल लेनदेन से विलंबित निपटान अथवा सुपुर्दगी के जोखिम उत्पन्न होते हैं।

- iii) अदायगी बनाम सुपुर्दगी (डीवीपी) के माध्यम से निपटाए गए लेनदेन जिसमें प्रतिभूतियों का नकदी के बदले साथ-साथ विनिमय होता है, की असफलता बैंकों को सहमत निपटान कीमत पर मूल्यांकित लेनदेन तथा वर्तमान बाज़ार कीमत (अर्थात् धनात्मक वर्तमान एक्सपोज़र) पर मूल्यांकित लेनदेन के बीच के अंतर की हानि का जोखिम उठाना पड़ता है। असफल लेनदेन जहां तदनुरूप प्राप्य वस्तु (प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्राएं अथवा स्वर्ण) की प्राप्ति के बिना नकदी दी जाती है अथवा इसके विपरीत सुपुर्द की जानेवाली वस्तुएं तदनुरूप नकद भुगतान (डीवीपी से इतर अथवा बिना मूल्य सुपुर्दगी) की प्राप्ति के बिना सुपुर्द की गयी हो, के मामले में बैंकों को भुगतान की गयी राशि अथवा सुपुर्द की जानेवाली वस्तुओं की संपूर्ण राशि की हानि का जोखिम उठाना पड़ता है। अतः असफल लेनदेन के लिए पूंजी भार आवश्यक है और उसकी निम्नानुसार गणना की जाए। निम्नलिखित पूंजी व्यवहार सभी असफल लेनदेनों पर लागू होंगे, जिनमें मान्यताप्राप्त समाशोधन गृहों के माध्यम से किए गए लेनदेन भी शामिल हैं। पुनर्खरीद तथा प्रति पुनर्खरीद करार तथा प्रतिभूति उधार देना अथवा लेना जिनका निपटान न हो सका है, को इस पूंजी व्यवहार से छोड़ दिया गया है।
- iv) डीवीपी लेनदेन के लिए - यदि निपटान की तारीख से पांच कारोबार के दिनों के बाद भी भुगतान नहीं किए गए हैं तो बैंकों को लेनदेन के धनात्मक वर्तमान एक्सपोज़र का नीचे दिए गए अनुसार उचित गुणक से गुणन करके **पूंजी भार** की गणना करनी चाहिए। सूचना प्राप्त करने के लिए बैंकों को अपनी सूचना प्रणालियों का उन्नयन करना होगा ताकि आपसी सहमति से निर्धारित निपटान की तारीख के बाद दिनों की संख्या का पता चल सके और तदनुरूप पूंजी भार की गणना हो सके।

आपसी सहमति से निर्धारित निपटान की तारीख के बाद कार्य दिवसों की संख्या	तदनुरूप जोखिम गुणक
5 से 15	9 प्रतिशत
16 से 30	50 प्रतिशत
31 से 45	75 प्रतिशत
46 से अधिक	100 प्रतिशत

- v) डीवीपी से इतर लेनदेन (स्वतंत्र सुपुर्दगियां) के लिए पहले संविदात्मक भुगतान/सुपुर्दगी चरण के बाद कारोबार का दिन समाप्त होने तक यदि दूसरा चरण प्राप्त नहीं हुआ है तो जिस बैंक ने भुगतान किया है वह अपने एक्सपोज़र को ऋण के रूप में समझेगा।

जिन तारीखों को भुगतान के दो चरण किए जाते हैं यदि उक्त तारीखें भुगतान के समय क्षेत्र के अनुसार एक ही हैं तो यह समझा जाता है कि उनका एक ही दिन निपटान किया गया है। उदाहरण के लिए यदि टोकियो में स्थित कोई बैंक 'क्ष' तारीख (जापान स्टैंडर्ड टाइम) को येन अंतरित करता है और 'क्ष' तारीख को (यूएस ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम) तदनु रूप अमरीकी डालर चिप्स के माध्यम से प्राप्त करता है, तो ऐसा समझा जाएगा कि वह निपटान उसी एक तारीख को हुआ है। बैंक इन दिशानिर्देशों में निर्धारित काउंटर पार्टी जोखिम भारों का प्रयोग करते हुए पूंजी अपेक्षाओं की गणना करेंगे। तथापि, यदि द्वितीय संविदात्मक भुगतान/सुपुर्दगी की तारीख के पांच कारोबार दिनों के बाद भी दूसरा चरण प्रभावी रूप से पूर्ण नहीं हुआ है तो जिस बैंक ने पहला भुगतान चरण पूर्ण किया है वह पूंजी में से अंतरित मूल्य की पूर्ण राशि तथा प्रतिस्थापन लागत यदि कोई हो, घटाएगा। यह कार्रवाई भुगतान/सुपुर्दगी का दूसरा चरण वास्तव में पूर्ण होने तक लागू होगी।

5.16 प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र

5.16.1 सामान्य

- i) कोई प्रतिभूतीकरण लेनदेन जो **अनुबंध 7** (1 फरवरी 2006 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 60/21.04.048/2005-06 द्वारा जारी मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतीकरण संबंधी दिशानिर्देश से उद्धृत) में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूर्ण करता है पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र के निम्नलिखित विवेकपूर्ण व्यवहार के लिए पात्र होगा। प्रतिभूतीकरण लेनदेन के प्रति बैंकों का एक्सपोज़र, जिसे प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र कहा गया है, में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं लेकिन यह केवल इन तक ही सीमित नहीं है : निवेशक के रूप में, ऋण संवर्धक के रूप में, चलनिधि दाता, हामीदार, ऋण जोखिम कम करने के तत्व प्रदान करनेवाले के रूप में। ऋण संवर्धन के रूप में दिए गए नकद संपादितियों को भी प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र माना जाएगा। इस भाग में प्रतिभूतीकरण के संबंध में प्रयोग में लाए गए शब्द उपर्युक्त दिशानिर्देशों में दी गई परिभाषा के अनुरूप होंगे। साथ ही निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी :

- क) केवल ऋण संवर्धक ब्याज मात्र स्ट्रिप (आइ/ओएस) - तुलन पत्र का एक्सपोज़र जिसे प्रवर्तक द्वारा रिकार्ड किया जाता है, जो (i) आधारभूत एक्सपोज़र से प्राप्त की जानेवाली भावी मार्जिन आय से संबंधित नकदी प्रवाह के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है और (ii) जो चुकौती की

प्राथमिकता के अनुसार लेनदेन की अन्य पार्टियों के दावों के अधीनस्थ हैं ।

ख) 'अव्यक्त समर्थन' - बैंक द्वारा प्रतिभूतीकरण को उसकी पूर्व निर्धारित संविदात्मक बाध्यता से अधिक दिया गया समर्थन

ग) 'बिक्री पर लाभ' - प्रतिभूतीकृत परिसंपत्तियों की एसपीवी को बिक्री करते समय प्राप्त लाभ ।

ii) बैंकों को अपने सभी प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र के लिए विनियामक पूंजी रखना आवश्यक है, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णित है। इनमें प्रतिभूतीकरण लेनदेन को ऋण जोखिम कम करने वाले कारक प्रदान करने, परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश, अधीनस्थ शृंखला रखने तथा चलनिधि सुविधा अथवा ऋण संवर्धन सुविधा देने से उत्पन्न एक्सपोज़र शामिल हैं। पुनः खरीदे गए प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र्स को प्रतिधारित प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र समझा जाए।

iii) 1 फरवरी 2006 के दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूर्ण न करनेवाले और इसलिए अनिर्धारण के पात्र न होनेवाले प्रतिभूतीकरण लेनदेन का प्रवर्तक प्रतिभूतीकरण लेनदेन से संबद्ध सभी एक्सपोज़र्स के लिए इस प्रकार पूंजी धारित करेगा जैसे कि उनका प्रतिभूतीकरण¹⁵ न हुआ हो। इसके साथ ही इस तरह के लेनदेन पर कोई भी 'बिक्री पर लाभ' होने पर प्रवर्तक उसे टीयर 1 पूंजी से कम करेगा।

iv) ऋण विश्लेषण के लिए परिचालनात्मक मानदंड¹⁶

मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर 1 फरवरी 2006 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश में निर्दिष्ट शर्तों के अलावा प्रतिभूतीकृत आस्तियों को अमान्य करने के लिए बैंक के पास निम्नलिखित (क) से (ग) तक के अनुच्छेदों में निर्दिष्ट सूचना होनी चाहिए ।

¹⁵ उदाहरण के लिए - यदि 100 रु के प्रतिभूतीकरण लेनदेन में समूह में 80 प्रतिशत एएए प्रतिभूतियां, 10 प्रतिशत बीबी प्रतिभूतियां और 10 प्रतिशत रेटिंग न की गई प्रतिभूतियां हैं और लेनदेन वास्तविक बिक्री मानदंडों को पूर्ण नहीं करता है तो ऐसा समझा जाएगा कि उस लेनदेन में सभी एक्सपोज़र प्रवर्तक ने धारण किए हैं । इसके परिणामस्वरूप एएए रेटिंग वाली प्रतिभूतियों पर 20 प्रतिशत का जोखिम भार लागू होगा तथा बीबी रेटिंग वाली प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य तथा अनरेटेड प्रतिभूतियों को घटाया जाएगा। अतः पूंजी पर परिणामी प्रभाव होगा रु 21.44 (16*9%+20)

¹⁶ कृपया 8 फरवरी 2010 का मास्टरपरिपत्र बैंपवि.बीपी.बीसी. सं.73/21.06.001/2009-2010 देखें।

(क) एक सामान्य नियम के रूप में बैंक को अपने प्रत्येक प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की जोखिम विशेषता की परिपूर्ण समझ होनी चाहिए, चाहे वे एक्सपोजर तुलनपत्र में हों या तुलनपत्रेतर हों तथा बैंक को अपने प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के आधारभूत प्रतिभूति समूह की जोखिम विशेषताओं की भी समझ होनी चाहिए ।

(ख) बैंकों को आधारभूत प्रतिभूति समूह के कार्यनिष्पादन संबंधी सूचना तक निरंतर आधार पर सामयिक रूप से पहुंच होनी चाहिए । यह सूचना यथोचित रूप से निम्नानुसार हो सकती है : एक्सपोजर का प्रकार; देय होने के 30, 60, 90 दिन वाले ऋणों का प्रतिशत; चूक दर; नियत तिथि से पूर्व अदायगी की दरें; फोरक्लोज़र वाले ऋण; संपत्ति का प्रकार; कब्जा; औसत ऋण अंक अथवा ऋण पात्रता की अन्य माप; औसत मूल्य के प्रति ऋण का अनुपात; तथा औद्योगिक और भौगोलिक विविधता ।

(ग) बैंक को किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन की उन सभी संरचनात्मक विशेषताओं की पूरी समझ होनी चाहिए, जो संबंधित लेनदेन के प्रति बैंक के एक्सपोजर के कार्यनिष्पादन को महत्वपूर्ण रीति से प्रभावित कर सकती हैं । उदाहरण के लिए संविदागत वाटरफॉल तथा वॉटरफॉल से जुड़े उत्प्रेरक, ऋण संवर्धन, चलनिधि संवर्धन, बाज़ार मूल्य उत्प्रेरक और चूक की कारोबार विशिष्ट परिभाषाएं ।

5.16.2 पूंजीगत निधियों में से प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कटौती

- (i) जब किसी बैंक को विनियामक पूंजी में से प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर को घटाना अपेक्षित है तो उसे टीयर 1 से 50 प्रतिशत तथा टीयर II से 50 प्रतिशत घटाया जाए जब तक कि स्पष्टतः अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। पूंजी में से की गई कटौती की गणना संबंधित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए रखे गए विशिष्ट प्रावधानों को घटाकर की जाए।
- (ii) ऋण संवर्धन जिनमें ऋण संवर्धक आइ/ओएस (नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार 'बिक्री पर लाभ' को टीयर 1 से घटाकर) तथा नकद संपार्श्विक शामिल हैं, जिन्हें घटाया जाना आवश्यक है, 50 प्रतिशत टीयर 1 से तथा 50 प्रतिशत टीयर II से घटाया जाए।
- (iii) बैंक 'बिक्री पर लाभ' को यदि उसे लाभ मानने की अनुमति दी जाती है, टीयर 1 पूंजी से घटायेगा । तथापि, मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों की अवधि तक लाभ को अमोर्टाइज करने की अनुमति दी जाती है । लाभ और हानि खाते में अमोर्टाइजेशन के माध्यम से इस प्रकार निर्धारित लाभ की राशि को घटाने की आवश्यकता नहीं है ।

- (iv) 'बी +तथा उससे कम' का दीर्घावधि रेटिंग वाला कोई भी प्रतिभूतीकरण एकसपाज़र जब किसी प्रवर्तक द्वारा धारित न किया गया हो और 'बीबी + तथा उससे कम' का दीर्घावधि रेटिंगवाला कोई प्रतिभूतीकरण एकसपाज़र जब प्रवर्तक द्वारा धारित हो, तो उसे 50 प्रतिशत टीयर 1 तथा 50 प्रतिशत टीयर ॥ पूंजी से घटाया जाएगा ।
- (v) पैराग्राफ 5.16.8 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार पात्र चलनिधि सुविधा को छोड़कर, कोई भी रेटिंग न किए गए प्रतिभूतीकरण एकसपाज़र को 50 प्रतिशत टीयर 1 पूंजी से और 50 प्रतिशत टीयर ॥ पूंजी से घटाया जाएगा। रेटिंग न की गई तथा अपात्र चलनिधि सुविधा में आहरित तथा अनाहरित, दोनों भागों को 50 प्रतिशत टीयर 1 तथा 50 प्रतिशत टीयर ॥ पूंजी से घटाया जाएगा।
- (vi) हामीदारी से प्रवर्तक को अंतरित प्रतिभूतियों की धारिताओं को अर्जन होने के बाद तीन महीनों की अवधि के भीतर ही, थर्ड पार्टियों को बेचा जाना चाहिए। निर्धारित समय-सीमा के भीतर बिक्री न हो पाने की स्थिति में निर्गम की मूल राशि के 20 प्रतिशत से अधिक कोई भी धारिता जिसमें द्वितीयक बाज़ार खरीद शामिल हैं को 50 प्रतिशत टीयर 1 तथा 50 प्रतिशत टीयर ॥ पूंजी से घटाया जाएगा ।

5.16.3 अव्यक्त समर्थन

- i) प्रवर्तक प्रतिभूतीकरण लेनदेन में निवेशकों को कोई भी अव्यक्त समर्थन प्रदान नहीं करेगा।
- ii) जब ऐसा समझा जाता है कि बैंक ने प्रतिभूतीकरण के लिए अव्यक्त समर्थन दिया है तो;
 - क) उसे कम-से-कम प्रतिभूतीकरण लेनदेन से संबद्ध सभी एकसपाज़र के लिए इस तरह पूंजी रखनी होगी जैसे उनका प्रतिभूतीकरण न किया गया हो
 - ख) अतिरिक्त रूप से, बैंक को ऊपर दी गयी परिभाषा के अनुसार बिक्री पर लाभ को टीयर 1 पूंजी में से घटाना होगा।
 - ग) इसके अतिरिक्त प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के संदर्भ में जहां यह समझा गया है कि बैंक ने अव्यक्त समर्थन प्रदान किया है, यह अपेक्षित है कि वह सार्वजनिक रूप से प्रकट करे कि (क) उसने गैर-संविदागत समर्थन

प्रदान किया है (ख) अव्यक्त समर्थन के ब्यौरे तथा (ग) बैंक की विनियामक पूंजी पर अव्यक्त समर्थन का प्रभाव

- iii) जहां प्रतिभूतीकरण लेनदेन में क्लीन अप कॉल निहित होता है और प्रवर्तक (ओरिजनेटर) द्वारा क्लीन अप कॉल का उन परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकता है जहां क्लीन अप कॉल के इस्तेमाल से कारगर रूप से ऋण संवर्धन होता है, वहां क्लीन अप कॉल को अव्यक्त सहायता माना जाएगा तथा संबंधित प्रतिभूतीकरण लेनदेन पर उपर्युक्त निर्धारण लागू होंगे।

5.16.4 बाह्य रेटिंग लागू करना

बाह्य ऋण मूल्यांकनों के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित परिचालन मानदंड लागू हैं :

- i) बैंक को प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर के किसी विशिष्ट प्रकार के लिए सुसंगत रूप से पात्र बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों के बाह्य ऋण मूल्यांकन सुसंगत रूप से लागू करने चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैंक एक या अधिक शृंखलाओं के लिए एक बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सी द्वारा जारी ऋण मूल्यांकन का तथा उसी प्रतिभूतीकरण ढाँचे के भीतर अन्य पोजिशनों (चाहे धारित हो या क्रय की गयी हो) के लिए किसी दूसरी बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सी द्वारा जारी ऋण मूल्यांकनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता (जिनकी पहली बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सी द्वारा रेटिंग की जा सकती हो या न की जा सकती हो)। जहां दो या अधिक पात्र बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों का इस्तेमाल किया जा सकता है तथा वे एक ही प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर के ऋण जोखिम का अलग-अलग रूप में मूल्यांकन करती हैं, तो वहां पैरा 6.7 लागू होगा।
- ii) यदि सीआरएम प्रदाता पैरा 7.5.5 में परिभाषित पात्र गारंटीदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है तो शामिल प्रतिभूतीकरण एक्सपोजरों को रेटिंग न किये गये के रूप में माना जाना चाहिए ।
- iii) उस स्थिति में जहां एसपीवी द्वारा ऋण जोखिम कम करने के तत्व प्राप्त नहीं किये गये हैं बल्कि एक खास ढाँचे के भीतर विशिष्ट प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर पर लागू किये गये हैं (जैसे एबीएस शृंखला), बैंक को एक्सपोजर को रेटिंग न किये गये के रूप में मानना चाहिए तथा तब पैरा 7 में बताये गये सीआरएम व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए।
- iv) बाह्य ऋण मूल्यांकनों को लागू करने के अन्य पहलू पैरा 6 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे ।
- v) किसी बैंक को जोखिम भार निर्धारण के प्रयोजन से बाह्य ऋण मूल्यांकन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उक्त मूल्यांकन कम-से-कम अंशतः बैंक के

गैर-निधि आधारित समर्थन पर आधारित हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई बैंक एबीएस/एमबीएस खरीदता है, जहां वह प्रतिभूतिकरण कार्यक्रम को गैर-निधि आधारित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर प्रदान करता है (उदाहरण के लिए चलनिधि सुविधा अथवा ऋण संवर्धन) और प्रतिभूतिकृत आस्तियां/एबीएस/एमबीएस की विभिन्न श्रेणियों के ऋण मूल्यांकन को निर्धारित करने में उक्त एक्सपोजर की एक भूमिका है तो बैंक को उक्त प्रतिभूतिकृत आस्तियां/एबीएस/एमबीएस की विभिन्न श्रेणियों पर ऐसे कार्रवाई करनी चाहिए जैसे वे रेटेड न हो। बैंक को अन्य प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए (उदाहरण के लिए चलनिधि सुविधा और/या ऋण संवर्धन) पूंजी रखना जारी रखना चाहिए।¹⁷

5.16.5 जोखिम भारित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर

- i) बैंक तुलनपत्र के प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की जोखिम भारित राशि की गणना के लिए एक्सपोजरों की मूलधन की राशि (विशिष्ट प्रावधानों को घटाने के बाद) को लागू जोखिम भार से गुणा करना होगा।
- ii) प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की जोखिम भारित परिसंपत्ति की राशि की गणना एक्सपोजर की राशि को उचित जोखिम भार से गुणा कर की जाती है; ये जोखिम भार चुनी गयी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा उन एक्सपोजरों को दी गयी मद संदर्भित रेटिंग के अनुसार निश्चित किये जाते हैं जैसा कि नीचे की सारणी में दर्शाया गया है :

सारणी 10 : प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर - दीर्घवधि रेटिंग के लिए जोखिम भार रूपरेखा

देशी एजेंसियां	रेटिंग	एएए	एए	ए	बीबीबी	बीबी	बी और उससे कम या रेटिंग न किये गये
प्रवर्तकों को छोड़कर बैंकों के लिए जोखिम भार		20%	30%	50%	100%	350%	कटौती*
प्रवर्तक के लिए जोखिम भार		20%	30%	50%	100%	- - -	कटौती*- - -

* पैरा 5.16.2 के प्रावधानों से नियंत्रित

- iii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर द्वारा समर्थित बंधक आधारित प्रतिभूति _जैसे कि ऊपर पैरा 5.11 में परिभाषित है, के संदर्भ में प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की जोखिम भारित आस्ति की राशि की गणना एक्सपोजर की राशि को उचित जोखिम

¹⁷ कृपया 8 फरवरी 2010 का मास्टरपरिपत्र बैंपवि.बीपी.बीसी. सं.73/21.06.001/2009-2010 देखें।

भार से गुणा कर की जाती है; ये जोखिम भार चुनी गयी बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा उन एक्सपोजरों को दी गयी मद संदर्भित रेटिंग के अनुसार निश्चित किये जाते हैं जैसा कि नीचे की सारणी में दर्शाया गया है :

सारणी 11 : वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर - दीर्घावधि रेटिंग के लिए जोखिम भार रूपरेखा

देशी एजेन्सियां	रेटिंग	एएए	एए	ए	बीबीबी	बीबी	बी और उससे कम या रेटिंग न किये गये
जोखिम भार		50%	75%	100%	150%	400%	कटौती*
प्रवर्तक के लिए जोखिम भार		50%	75%	100%	150%		- - -- कटौती*- - - -

- पैरा 5.16.2 के प्रावधानों से नियंत्रित

सारणी 11 क : वाणिज्यिक स्थावर संपदा पुनर्प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर - दीर्घावधि रेटिंग के अनुसार जोखिम भार

देशी एजेन्सियां	रेटिंग	एएए	एए	ए	बीबीबी	बीबी	बी और उससे कम या रेटिंग न किये गये
जोखिम भार		50%	75%	100%	150%	400%	कटौती*
प्रवर्तक के लिए जोखिम भार		50%	75%	100%	150%		- - -- कटौती*- - - -

- अन्य सभी विनियामक मानदंड उसी प्रकार लागू होंगे जैसे इस पैरा (पैरा 5.16) में ऊपर निर्धारित किये गये हैं ।

- iv) प्रतिभूतिकरण लेनदेन के भाग के रूप में एसपीवी द्वारा जारी रेटिंग न की गयी प्रतिभूतियों में निवेश करने की बैंकों को अनुमति नहीं है । किंतु बैंकों द्वारा गृहीत ऐसे प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, जो रेटिंग न किये गये बन सकते हैं या जिन्हें रेटिंग न किये गये माना जाएगा, को पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए पैरा 5.16.2 के प्रावधानों के अनुसार घटाया जाएगा ।

5.16.6 तुलनपत्रेतर प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर

- i) बैंक रेटिंग किये गये तुलनपत्रेतर प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर की जोखिम भारित राशि की गणना एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि को लागू जोखिम भार से गुणा कर करेंगे। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो ऋण समतुल्य राशि एक्सपोजर की मूल राशि (विशिष्ट प्रावधानों को घटाने के बाद) को 100% सीसीएफ से गुणा कर निकाली जा सकती है।
- ii) यदि तुलनपत्रेतर एक्सपोजर रेटिंग किया हुआ न हो तो उसे पूंजी में से घटा दिया जाना चाहिए। रेटिंग न की गयी वह पात्र चलनिधि सुविधा इसका अपवाद है जिसके लिए पैरा 5.16.8 में अलग से उपाय निर्दिष्ट किया गया है ।

5.16.7 ऋण जोखिम कम करने के तत्व की पहचान

- i) नीचे दी गयी कार्रवाई ऐसे बैंक के संबंध में लागू है जिसने प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर के संबंध में ऋण जोखिम कम करने का तत्व प्राप्त कर लिया है। ऋण जोखिम कम करने के तत्व में गारंटियां और पात्र संपाशिवक शामिल हैं, जैसा कि इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में संपाशिवक का अर्थ उस संपाशिवक से है जिसका प्रयोग प्रतिभूतीकरण लेनदेन के आधारभूत एक्सपोजरों के ऋण जोखिम की हेजिंग के बजाय प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर के ऋण जोखिम की हेजिंग के लिए किया गया है ।
- ii) प्रवर्तक से भिन्न जब कोई बैंक प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर को ऋण संरक्षण प्रदान करता है तो उसे उक्त एक्सपोजर संबंधी पूंजी अपेक्षा की ऐसे गणना करनी चाहिए जैसे कि वह उक्त प्रतिभूतीकरण में निवेशक हो। यदि कोई बैंक रेटिंग न किये गये ऋण संवर्धन को संरक्षण प्रदान करता है तो उसे चाहिए कि वह दिये गये ऋण संरक्षण को इस रूप में माने जैसे कि वह सीधे ही रेटिंग न किये गये ऋण संवर्धन को धारित कर रहा हो ।
- iii) गारंटीकृत/संरक्षित भाग के लिए पूंजी अपेक्षाओं की गणना मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए अपनायी जानेवाली सीआरएम पद्धति के अनुसार की जायेगी जो नीचे पैरा 7 में दी गयी है । पात्र संपाशिवक को इन दिशानिर्देशों के अधीन पैरा 7.3.5 में स्वीकृत संपाशिवक तक सीमित किया गया है । सीआरएम तथा एक्सपोजर के बीच परिपक्वता असंतुलन के संदर्भ में विनियामक पूंजी निश्चित करने के प्रयोजन के लिए

पूँजी अपेक्षा पैरा 7.6 के अनुसार निश्चित की जाएगी। जब हेजिंग किये जानेवाले एक्सपोजर भिन्न-भिन्न परिपक्वता के हों तब पैरा 7.6.4 तथा 7.6.5 में निर्दिष्ट पद्धति लागू करते हुए सबसे लंबी परिपक्वता का प्रयोग किया जाना चाहिए।

5.16.8 चलनिधि सुविधाएं

- i) किसी चलनिधि सुविधा को तभी 'पात्र' सुविधा समझा जायेगा जब वह 1 फरवरी 2006 को जारी दिशानिर्देशों में दी गयी सभी न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करती हो। रेटिंग की गयी चलनिधि सुविधाओं को ऊपर दी गयी सारणियों में उल्लेख किये गये अनुसार चुने गये ईसीएआइ द्वारा उन एक्सपोजरों को दी गयी विशिष्ट रेटिंग के अनुरूप निर्धारित समुचित जोखिम भार के अनुसार जोखिम भारित या घटाया जाएगा।
- ii) रेटिंग न की गयी पात्र चलनिधि सुविधाओं को कटौतियों से छूट हागी और उनके संबंध में निम्नप्रकार कार्रवाई की जायेगी।

क) रेटिंग न की गयी पात्र चलनिधि सुविधा के आहरित और अनाहरित अंशों पर इस सुविधा के अंतर्गत आनेवाले किसी आधारभूत अलग-अलग एक्सपोजर को दिये जानेवाले उच्चतम जोखिम भार के बराबर जोखिम भार लागू होगा।

ख) रेट न की गयी पात्र चलनिधि सुविधा के अनाहरित अंश पर 50% का ऋण परिवर्तन गुणक लागू होगा।¹⁸

5.16.9 पुनर्प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर

पुनर्प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर एक प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर है जिसमें आधारभूत एक्सपोजर-समूह से जुड़े जोखिम श्रेणीबद्ध किये जाते हैं तथा आधारभूत एक्सपोजर में कम-से-कम एक एक्सपोजर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर होता है। इसके अतिरिक्त, एक या अधिक पुनर्प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के प्रति एक्सपोजर पुनर्प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर कहलाता है।

फिलहाल, पुनर्प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर भारत में प्रचलित नहीं हैं। तथापि, 1 दिसंबर 2008 का परिपत्र आरबीआइ/2008-09/302 बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 89/ 21.04.141/2008-09 जारी होने के पहले कुछ भारतीय बैंकों ने अपनी विदेश स्थित शाखाओं के माध्यम से सीडीओ

¹⁸ कृपया 8 फरवरी 2010 का मास्टरपरिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.73/21.06.001/2009-2010 देखें।

तथा अन्य ऐसे ही प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर में निवेश किया है। इनमें से कुछ एक्सपोजर पुनर्प्रतिभूतिकरण के स्वरूप के हो सकते हैं। ऐसे एक्सपोजर के लिए जोखिम भार निम्नानुसार होगा :

सारणी 11 : पुनर्प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर - दीर्घावधि रेटिंग के अनुसार जोखिम भार

देशी रेटिंग एजेन्सियां	एएए	एए	ए	बीबीबी	बीबी	बी और उससे म या रेटिंग न किये गये
प्रवर्तक बैंक के अलावा अन्य बैंकों के लिए जोखिम भार	40%	60%	100%	200%	650%	कटौती*
प्रवर्तक के लिए जोखिम भार	40%	60%	100%	200%	- - - कटौती* - - -	

*पैरा 5.16.2 के प्रावधानों से नियंत्रित

सारणी 11 क : वाणिज्यिक स्थावर संपदा पुनर्प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर - दीर्घावधि रेटिंग के अनुसार जोखिम भार

देशी रेटिंग एजेन्सियां	एएए	एए	ए	बीबीबी	बी और उससे म या रेटिंग न किये गये
प्रवर्तक बैंक के अलावा अन्य बैंकों के लिए जोखिम भार	200%	200%	200%	400%	कटौती*
प्रवर्तक के लिए जोखिम भार	200%	200%	200%	400%	कटौती*

*पैरा 5.16.2 के प्रावधानों से नियंत्रित

अन्य सभी विनियामक मानदंड उसी प्रकार लागू होंगे जैसे इस पैरा (पैरा 5.10) में ऊपर निर्धारित किये गये हैं।

6. बाह्य ऋण मूल्यांकन

6.1 पात्र ऋण रेटिंग एजेंसियां

6.1.1 रिज़र्व बैंक ने उन पात्र ऋण रेटिंग एजेंसियों की पहचान करने की विस्तृत प्रक्रिया अपनायी है जिनकी रेटिंग का इस्तेमाल बैंक जोखिम भार देने के लिए करेंगे। संशोधित ढांचे के प्रावधानों के अनुरूप जहां बैंक द्वारा दी जा जानेवाली सुविधा के संदर्भ में उसके पास किसी पात्र ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गयी रेटिंग विद्यमान है, वहां दावे का जोखिम भार इस रेटिंग पर आधारित होगा।

6.1.2 संशोधित ढांचे में दिये गये सिद्धांतों के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि बैंक पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए अपने दावों को जोखिम भार देने के उद्देश्य से निम्नलिखित देशी ऋण रेटिंग एजेंसियों (अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार दी गयी) की रेटिंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं :

- क) क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड;
- ख) क्रिसिल लिमिटेड;
- ग) फिच इंडिया; तथा
- घ) इकरा लिमिटेड

6.1.2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निश्चय किया है कि बैंक जहां कहीं निर्दिष्ट किया गया हो पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए अपने दावों को जोखिम भार देने के उद्देश्य से निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय ऋण रेटिंग एजेंसियों (अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार दी गयी) की रेटिंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं :

- क) फिच;
- ख) मूडीज़; तथा
- ग) स्टैंडर्ड एंड पुअर्स

6.2 बाह्य रेटिंग लागू करने की व्याप्ति

6.2.1 बैंकों को चाहिए कि वे चुनी गयी ऋण रेटिंग एजेंसियों तथा उनकी रेटिंग का हर प्रकार के दावे के लिए जोखिम भार देने तथा जोखिम प्रबंधन प्रयोजन दोनों, के लिए इस्तेमाल करें। बैंकों को भिन्न-भिन्न ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा दिये गये मूल्यांकनों को अपने स्वार्थ के अनुसार अपनाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई बैंक दावे के किसी प्रकार के लिए चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग का इस्तेमाल करना चाहता है तो वह केवल उन ऋण रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग का इस्तेमाल कर सकता है, भले ही इनमें से

कुछ दावों की रेटिंग ऐसी अन्य चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा की गयी हो जिनकी रेटिंग का इस्तेमाल न करने का बैंक ने निश्चय किया है। बैंक एक कंपनी बांड के लिए एक एजेन्सी की रेटिंग तथा उसी काउंटर पार्टी के प्रति दूसरे एक्सपोजर के लिए दूसरी एजेन्सी की रेटिंग का इस्तेमाल तब तक नहीं करेंगे जब तक कि संबंधित एक्सपोजर की रेटिंग चुनी गयी ऋण रेटिंग एजेन्सियों में से केवल उस एक एजेन्सी द्वारा की गयी हो जिसकी रेटिंग का इस्तेमाल करने का बैंक ने निश्चय किया है। किसी कंपनी समूह के भीतर किसी एक संस्था के लिए किये गये बाह्य मूल्यांकनों का उसी समूह की अन्य संस्थाओं को जोखिम भार देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

6.2.2 बैंकों को अपनी परिसंपत्तियों को जोखिम भार देने के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल की जानेवाली ऋण रेटिंग एजेन्सियों के नाम, प्रत्येक पात्र ऋण एजेन्सी के लिए मैपिंग प्रक्रिया के माध्यम से रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित किये अनुसार विशेष रेटिंग ग्रेडों से संबद्ध जोखिम भार तथा सारणी डीएफ-5 द्वारा अपेक्षित कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियां प्रकट करनी चाहिए।

6.2.3 जोखिम भार देने के प्रयोजनों के लिए पात्र होने हेतु बाह्य मूल्यांकन में बैंक को देय सभी भुगतानों के संबंध में ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि को ध्यान में लिया जाना चाहिए और उसमें वह परिलक्षित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक को मूलधन और ब्याज दोनों देय है तो मूल्यांकन में इसे पूरी तरह ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा मूलधन और ब्याज की समय पर चुकौती से संबद्ध ऋण जोखिम उसमें परिलक्षित होना चाहिए।

6.2.4 जोखिम भार देने के प्रयोजनों के लिए पात्र होने हेतु रेटिंग लागू रहनी चाहिए तथा संबंधित रेटिंग एजेन्सी के मासिक बुलेटिन से उसकी पुष्टि की जानी चाहिए। रेटिंग एजेन्सी द्वारा पिछले 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार रेटिंग की समीक्षा की गयी हो।

6.2.5 पात्र ऋण मूल्यांकन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, रेटिंग इस रूप में प्रकाशित की जानी चाहिए कि उस तक पहुंच हो तथा वह बाहरी ऋण रेटिंग एजेन्सी के परिवर्तन मैट्रिक्स में शामिल होनी चाहिए। अतः, ऐसी रेटिंग जो केवल लेनदेन करनेवाली पार्टियों को उपलब्ध करायी जाए, इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं करती।

6.2.6 बैंक के संविभाग की उन परिसंपत्तियों के लिए जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष के बराबर या उससे कम है, चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी अल्पावधि रेटिंग प्रासंगिक होगी। एक वर्ष से अधिक संविदागत परिपक्वता अवधि वाली अन्य आस्तियों के लिए चयनित ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधिक रेटिंग प्रासंगिक होगी।

6.2.7 नकदी ऋण एक्सपोजर आमतौर पर रोल ओवर करते हैं तथा मंजूर सीमाओं का बड़ा भाग औसतन आहरित रहता है। इसलिए, नकदी ऋण एक्सपोजर भले ही एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए मंजूर किया गया हो, इन एक्सपोजरों को दीर्घावधि एक्सपोजरों के रूप में माना जाना चाहिए और तदनुसार चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी दीर्घावधि रेटिंग संगत होगी। इसी प्रकार, बैंक किसी काउंटर पार्टी की दीर्घावधि रेटिंग का प्रॉक्सी के रूप में उसी काउंटर पार्टी के रेटिंग न किये गये अल्पावधि एक्सपोजर के लिए प्रयोग कर सकते हैं; बशर्ते नीचे पैरा 6.4, 6.5, 6.7 और 6.8 में उल्लेख किये अनुसार बहुविध रेटिंग मूल्यांकनों के प्रयोग तथा निर्गमकर्ता /अन्य दावों पर निर्गम रेटिंग लागू होने संबंधी अपेक्षाओं का कड़ाई से पालन किया जाए।

6.3 मैपिंग प्रक्रिया

संशोधित ढांचे में यह सिफारिश की गयी है कि पात्र ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा जारी रेटिंग को मानकीकृत जाखिम भारांकन ढांचे के अधीन उपलब्ध जोखिम भार पर लागू करने के लिए मैपिंग प्रक्रिया विकसित की जाए। इस मैपिंग प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ऐसा जोखिम भार दिया जाना चाहिए जो ऋण जोखिम के स्तर के अनुरूप हो। चुनी हुई देशी ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी ऋण रेटिंगों की मैपिंग नीचे पैरा 6.4.1 तथा 6.5.4 में दी गयी है जिसका बैंकों द्वारा विभिन्न एक्सपोजरों को जोखिम भार देने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

6.4 दीर्घावधि रेटिंग

6.4.1 उपर्युक्त तत्वों तथा रेटिंग एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के आधार पर चुनी हुई देशी ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा जारी रेटिंग का निरूपण संशोधित ढांचे के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लागू उचित जोखिम भार के संदर्भ में किया गया है। नीचे सारणी में दी गयी रेटिंग जोखिम भार मैपिंग भारत में सभी बैंकों द्वारा अपनायी जायेगी :

सारणी 12 : चुनी हुई देशी रेटिंग एजेन्सियों की दीर्घावधि रेटिंग की जोखिम भार मैपिंग

भारत में कार्यरत चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सियों की दीर्घावधि रेटिंग	मानकीकृत दृष्टिकोण के जोखिम भार (प्रतिशत में)
एएए	20%
एए	30%

ए	50%
बीबीबी	100%
बीबी और उससे नीचे	150%
रेटिंग न की गयी	100%

6.4.2 जहां रेटिंग के साथ "+" या "-" चिह्न जोड़ा गया है वहां तदनुरूपी मुख्य रेटिंग श्रेणी के जोखिम भार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, ए + या ए- को ए रेटिंग श्रेणी में समझा जायेगा तथा 50 प्रतिशत जोखिम भार दिया जायेगा।

6.4.3 यदि किसी निर्गमकर्ता का बाह्य दीर्घावधि रेटिंग के साथ दीर्घावधि एक्सपोजर है जिस पर 150 प्रतिशत का जोखिम भार का आवश्यक है तो उसी काउंटर पार्टी के संबंध में सभी रेटिंग न किये गये दावों को भी, चाहे अल्पावधि हो या दीर्घावधि, 150 प्रतिशत का जोखिम भार तब तक दिया जाना चाहिए जब तक कि बैंक ऐसे दावों के लिए ऋण जोखिम कम करने की स्वीकृत तकनीकें इस्तेमाल नहीं करता हो।

6.5 अल्पावधि रेटिंग

6.5.1 जोखिम भार देने के प्रयोजनों के लिए अल्पावधि रेटिंग निर्गम विशेष से जुड़ी समझी जाती हैं। उनका प्रयोग केवल रेटिंग की गयी सुविधा से उत्पन्न दावों के लिए जोखिम भार निकालने के लिए किया जा सकता है। उन्हें अन्य अल्पावधि दावों के साथ सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। किसी भी हालत में किसी अल्पावधि रेटिंग का उपयोग रेटिंग न किये गये दीर्घावधि दावे के जोखिम भार के लिए नहीं किया जा सकता। अल्पावधि मूल्यांकनों का उपयोग केवल बैंकों और कंपनियों के विरुद्ध अल्पावधि दावों के लिए किया जाए।

6.5.2 किसी निर्गम विशेष की अल्पावधि रेटिंग का अन्य अल्पावधि एक्सपोजरों के लिए उपयोग करने पर उपर्युक्त प्रतिबंध के होते हुए भी निम्नलिखित व्यापक सिद्धांत लागू होंगे। किसी काउंटर पार्टी के रेटिंग न किये गये अल्पावधि दावे पर लगनेवाला जोखिम भार उस काउंटर पार्टी के रेटिंग किये गये अल्पावधि दावे पर लागू जोखिम भार से कम-से-कम एक स्तर उच्चतर होगा। यदि काउंटर पार्टी को प्रदत्त रेटिंग की गयी अल्पावधि सुविधा पर 20 प्रतिशत या 50 प्रतिशत जोखिम भार लगता है तो उसी काउंटर पार्टी के प्रति रेटिंग न किये गये अल्पावधि दावों पर क्रमशः 30 प्रतिशत या 100 प्रतिशत से कम जोखिम भार नहीं लग सकता।

6.5.3 इसी प्रकार, यदि किसी निर्गमकर्ता का बाह्य अल्पावधि रेटिंग के साथ अल्पावधि एक्सपोजर है जिस पर 150 प्रतिशत का जोखिम भार आवश्यक है, तो उसी काउंटर पार्टी के संबंध में सभी रेटिंग न किये गये दावों पर भी, चाहे दीर्घावधि हो या अल्पावधि, 150 प्रतिशत का जोखिम भार तब तक दिया जाना चाहिए जब तक कि बैंक ऐसे दावों के लिए ऋण जोखिम कम करने की स्वीकृत तकनीकें इस्तेमाल नहीं करता है।

6.5.4 निर्गम विशेष की अल्पावधि रेटिंगों के संदर्भ में बैंकों द्वारा निम्नलिखित जोखिम भार मैपिंग अपनायी जायेगी :

सारणी 13 : देशी रेटिंग एजेन्सियों की अल्पावधि रेटिंग की जोखिम भार मैपिंग

अल्पावधि रेटिंग				जोखिम भार
केयर	क्रिसिल	फिच	इकरा	
पीआर 1 +	पी 1 +	एफ 1 + (आइएनडी)	ए 1 +	20%
पीआर 1	पी 1	एफ 1 (आइएनडी)	ए 1	30%
पीआर 2	पी 2	एफ 2 (आइएनडी)	ए 2	50%
पीआर 3	पी 3	एफ 3 (आइएनडी)	ए 3	100%
पीआर 4 एवं पीआर 5	पी 4 एवं पी 5	बी, सी, डी (आइएनडी)	ए 4 /ए 5	150%
रेटिंग न की गयी	रेटिंग न की गयी	रेटिंग न की गयी	रेटिंग न की गयी	100%

6.5.5. जहां रेटिंग के साथ "+" या "-" चिह्न जोड़ा गया है वहां पीआर2/ पी2/एफ2/ ए2 और उससे नीचे के लिए तदनुरूपी मुख्य रेटिंग श्रेणी के जोखिम भार का तब तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए। उदाहरण के लिए, पी2 + या पी2 - को पी2 रेटिंग श्रेणी में समझा जायेगा तथा 50 प्रतिशत जोखिम भार दिया जायेगा।

6.5.6. चुनी हुई देशी रेटिंग एजेन्सियों की दीर्घावधि और अल्पावधि दोनों रेटिंगों की उपर्युक्त जोखिम भार मैपिंग की रिज़र्व बैंक द्वारा वार्षिक समीक्षा की जायेगी।

6.6 मांगी न गयी रेटिंग का इस्तेमाल

किसी रेटिंग को मांगी गयी रेटिंग तभी माना जायेगा यदि लिखत के निर्गमकर्ता ने ऋण रेटिंग एजेन्सी से रेटिंग के लिए अनुरोध किया हो तथा एजेन्सी द्वारा दी गयी रेटिंग को स्वीकार किया हो। सामान्य नियम के रूप में, बैंकों को केवल चुनी हुई रेटिंग एजेन्सियों से मांगी गयी रेटिंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा बिना मांगे जारी किये गये किसी रेटिंग के आधार पर जोखिम भार की गणना नहीं की जानी चाहिए।

6.7 बहुविध रेटिंग मूल्यांकनों का इस्तेमाल

बैंक द्वारा जोखिम भार की गणना के प्रयोजन के लिए चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सियों से बहुविध रेटिंग वाले एक्सपाज़रों /बाध्यताधारियों (ऑब्लिगर्स) के संदर्भ में बैंक निम्नलिखित से मार्गदर्शन लेंगे :

- (i) यदि किसी चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सी द्वारा किसी दावे के लिए केवल एक रेटिंग दी गयी है तो उस रेटिंग का इस्तेमाल दावे का जोखिम भार निश्चित करने के लिए किया जायेगा।
- (ii) यदि चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दो रेटिंग दी गयी हैं जो अलग-अलग जोखिम भार में रूपांतरित होती हैं तो उच्चतर जोखिम भार लागू किया जाना चाहिए।
- (iii) यदि चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सियों द्वारा तीन या अधिक रेटिंग दी गयी हैं और उनमें अलग-अलग जोखिम भार हैं तो दो न्यूनतम जोखिम भार की तदनुसूची रेटिंग का संदर्भ लिया जाना चाहिए तथा उन दोनों में से उच्चतर जोखिम भार लागू किया जाना चाहिए, अर्थात् दूसरा निम्नतम जोखिम भार।

6.8 निर्गमकर्ता /अन्य दावों पर निर्गम रेटिंग लागू होना

जहां कोई बैंक ऐसे किसी खास निर्गम में निवेश करता है जिसे चुनी हुई क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा निर्गम विशेष की रेटिंग प्राप्त है तो दावे का जोखिम भार इस मूल्यांकन पर आधारित होगा। जहां बैंक का दावा किसी विशिष्ट मूल्यांकित निर्गम में निवेश के रूप में नहीं है, वहां निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत लागू होंगे :

- i) उन परिस्थितियों में जहां ऋणकर्ता के पास जारी ऋण के लिए विनिर्दिष्ट मूल्यांकन है - परंतु बैंक का दावा इस विशेष ऋण में निवेश के रूप में नहीं है

- वहां विनिर्दिष्ट ऋण पर लागू रेटिंग (जहां रेटिंग ऐसे जोखिम भार में रूपांतरित होती है जो रेटिंग न किये दावे पर लागू भार से कम है) बैंक के अमूल्यांकित दावे पर केवल तभी लागू की जाए यदि वह दावा सभी दृष्टियों से विनिर्दिष्ट रेटिंग किये गये ऋण के समरूप या वरिष्ठ हो तथा अमूल्यांकित दावे की परिपक्वता रेटिंग किये गये दावे¹⁹ की परिपक्वता के बाद न हो। इसका अपवाद वहां हो सकता है जहां रेटिंग किया गया दावा पैरा 6.5.2 में निर्दिष्ट किये अनुसार अल्पावधि दायित्व है। यदि ऐसा नहीं है तो विनिर्दिष्ट ऋण पर लागू रेटिंग का उपयोग नहीं किया जा सकता है और अमूल्यांकित दावे पर रेटिंग न किये गये दावों का जोखिम भार लागू होगा।

- ii) यदि निर्गमकर्ता या एकल निर्गम को ऐसी रेटिंग दी गयी है जो ऐसे जोखिम भार में रूपांतरित होती है जो रेटिंग न किये गये दावों पर लागू जोखिम भार के बराबर है या उससे ऊपर है, तो उसी काउंटर पार्टी पर किसी दावे पर, जिसकी किसी चुनी हुई रेटिंग एजेन्सी द्वारा रेटिंग नहीं की गयी है, वही जोखिम भार दिया जायेगा जो रेटिंग किये गये एक्सपोजर पर लागू है, बशर्ते वह दावा सभी दृष्टियों से रेटिंग किये गये एक्सपोजर के समकक्ष या कनिष्ठ है ।
- (iii) जहां कोई बैंक चुनी हुई क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा दी गयी निर्गमकर्ता या निर्गम विशेष की रेटिंग ऐसे किसी दूसरे एक्सपोजर पर लागू करना चाहता है जो उसी काउंटर पार्टी के संबंध में बैंक का एक्सपोजर है और जो उपर्युक्त मानदंड पूरा करता है तो उक्त रेटिंग उस एक्सपोजर से संबंधित बैंक के ऋण जोखिम एक्सपोजर की पूरी राशि (अर्थात् मूलधन और ब्याज दोनों) पर लागू की जानी चाहिए।
- (iv) ऋण संवर्धन तत्वों की दोहरी गिनती से बचने के लिए बैंक जिस चुनी हुई ऋण रेटिंग एजेन्सी पर निर्भर कर रहा है यदि उसके द्वारा निर्गम विशेष के संदर्भ में दी गयी रेटिंग में ऋण संवर्धन पहले ही परिलक्षित हो रहा हो तो ऋण जोखिम कम करने की तकनीकों के प्रभाव को गणना में नहीं लेना चाहिए।

¹⁹ यदि जहां किसी काउंटर पार्टी पर अल्पावधि दावे की रेटिंग पी1 + हो और उसी काउंटर पार्टी पर दीर्घावधि दावे की रेटिंग एएए हो, वहां बैंक उस स्थिति में उस काउंटर पार्टी पर रेटिंग न किये गये अल्पावधि दावे को 30 प्रतिशत जोखिम भार तथा रेटिंग न किये गये दीर्घावधि दावे को 20 प्रतिशत जोखिम भार दे सकता है जहां दावे की वरिष्ठता का दर्जा रेटिंग किये गये दावे के समरूप हो तथा रेटिंग न किये गये दावे की परिपक्वता रेटिंग किये गये दावे के बाद न हो। इसी प्रकार के मामले में जहां अल्पावधि दावे की रेटिंग पी1+ है तथा दीर्घावधि दावे की रेटिंग ए है वहां बैंक रेटिंग न किये गये अल्पावधि या दीर्घावधि दावे को 50 प्रतिशत जोखिम भार दे सकता है।

- (v) जहां रेटिंग न किये गये एक्सपोज़र को उस ऋणकर्ता के संबंध में बराबर के एक्सपोज़र की रेटिंग पर आधारित जोखिम भार दिया गया है, वहां सामान्य नियम यह है कि विदेशी मुद्रा रेटिंग का इस्तेमाल केवल विदेशी मुद्रा में एक्सपोज़रों के लिए किया जायेगा ।

7. ऋण जोखिम कम करना

7.1 सामान्य सिद्धांत

7.1.1 बैंक अपनी ऋण जोखिमों को कम करने के लिए अनेक प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए नकदी अथवा प्रतिभूतियों द्वारा, एक ही काउंटर पार्टी की जमाराशियों द्वारा, किसी थर्ड पार्टी की गारंटी, आदि द्वारा एक्सपोज़र को पूण्डदातः या अंशतः प्रतिभूतिबद्ध किया जा सकता है। ऋण जोखिम कम करने के नये दृष्टिकोण में 1988 ढांचे की तुलना में ऋण जोखिम कम करनेवाले तत्वों की एक व्यापक श्रेणी को स्वीकृति दी गयी है, बशर्ते ये तकनीकें नीचे पैराग्राफ 7.2 में वर्णित कानूनी निश्चितता की अपेक्षा पूरी करती हों। इस खंड में ऋण जोखिम कम करने के जिस दृष्टिकोण का ब्योरा दिया गया है वह बैंकिंग बहियों के एक्सपोज़र पर लागू है। वह ट्रेडिंग बही में की गयी रिपो जैसी लेनदेन और ओटीसी डेरिवेटिव के काउंटर पार्टी जोखिम प्रभार की गणना पर भी लागू होगा ।

7.1.2 ऋण जोखिम कम करने की तकनीकों के प्रयोग पर निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत लागू होंगे -

- (i) जिस लेनदेन में ऋण जोखिम कम करने की (सीआरएम) तकनीकों को प्रयोग किया गया है वहाँ ऐसे समान प्रकार की लेनदेनों की तुलना में जहाँ ऐसी तकनीकों का प्रयोग नहीं किया गया है, उच्चतर पूंजी अपेक्षा नहीं लागू की जानी चाहिए।
- (ii) सीआरएम के प्रभाव की दोहरी गणना नहीं की जाएगी। अतः, ऐसे दावों के लिए, जिनमें पहले से ही सीआरएम तकनीकें प्रतिबिम्बित करनेवाली निर्गम विनिर्दिष्ट रेटिंग प्रयुक्त हुई है, विनियामक पूंजी प्रयोजन के लिए अतिरिक्त पर्यवेक्ष्य मान्यता नहीं मिलेगी।
- (iii) सीआरएम ढाँचे के अंतर्गत प्रिन्सिपल-ओनली रेटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (iv) सीआरएम तकनीकों के प्रयोग से ऋण जोखिम कम होता है या अंतरित होता है, लेकिन यह साथ-साथ अन्य जोखिमों (अवशिष्ट जोखिमों) को बढ़ा सकता है। अवशिष्ट जोखिमों में कानूनी, परिचालनात्मक, चलनिधि और बाजार जोखिम शामिल हैं। अतः यह आवश्यक है कि बैंक इन जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए सुदृढ़ प्रक्रिया और क्रियाविधि अपनाएँ, जिसमें रणनीति, आधारभूत ऋण पर विचार, मूल्यांकन, नीति और प्रक्रिया, प्रणाली, रोल-ऑफ जोखिमों का नियंत्रण और बैंक द्वारा सीआरएम तकनीकों के प्रयोग से और बैंक की समग्र ऋण जोखिम प्रोफाइल के साथ उसकी प्रतिक्रिया से उत्पन्न संकेन्द्रण जोखिम का प्रबंधन शामिल है। जहाँ इन जोखिमों का पर्याप्त नियंत्रण नहीं होगा, वहाँ रिज़र्व बैंक अतिरिक्त पूंजी भार लगा सकता है या अन्य पर्यवेक्षीय कदम उठा सकता है। सीआरएम तकनीकों के मामले में पूंजी में छूट प्राप्त करने के लिए बैंकों को सारणी डीएफ-6 (पैराग्राफ 10 - बाजार अनुशासन) में निर्धारित सूचना के प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं का भी पालन करना चाहिए।

7.2 कानूनी निश्चितता

सीआरएम तकनीकों के प्रयोग के लिए पूंजी की छूट प्राप्त करने के लिए बैंकों को कानूनी प्रलेखन का निम्नलिखित न्यूनतम मानक अवश्य पूरा करना चाहिए। संपार्श्वीकृत लेनदेन और गारंटियों में प्रयुक्त सभी प्रलेखन सभी पक्षों पर बाध्यकारी होना चाहिए और सभी क्षेत्रों में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय होना चाहिए। इसकी जाँच करने के लिए बैंकों को पर्याप्त कानूनी समीक्षा करनी चाहिए, जिसके लिखित प्रमाण होने चाहिए। प्रलेखों की बाध्यता और उसकी प्रवर्तनीयता के संबंध में निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए ऐसी जाँच में सुस्थापित कानूनी आधार होना चाहिए। बैंकों को प्रलेखों की प्रवर्तनीयता की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की और समीक्षा करते रहना चाहिए।

7.3 ऋण जोखिम कम करने की तकनीकें - संपार्श्वीकृत लेनदेन

7.3.1 संपार्श्वीकृत लेनदेन वह लेनदेन है जिसमें :

- (i) बैंक का ऋण एक्सपोज़र है तथा उक्त ऋण एक्सपोज़र की पूर्ण या आंशिक हेजिंग एक काउंटर पार्टी द्वारा अथवा उस काउंटर पार्टी की ओर से किसी थर्ड पार्टी द्वारा दिए गए संपार्श्विक द्वारा की गई है। यहाँ काउंटर पार्टी का प्रयोग

ऐसी पार्टी के लिए किया गया है जिसके प्रति बैंक का तुलनपत्र अथवा तुलनपत्रेतर ऋण एक्सपोज़र है।

- (ii) बैंक का संपार्श्विक प्रतिभूति पर विनिर्दिष्ट ग्रहणाधिकार है तथा कानूनी निश्चितता की अपेक्षा पूरी हो रही है।

7.3.2 समग्र ढाँचा और न्यूनतम शर्तें

संशोधित ढाँचे के अंतर्गत बैंकों को यह अनुमति दी गयी है कि वे या तो सरल दृष्टिकोण अपनाएँ, जिसमें 1988 समझौते के समान ही, एक्सपोज़र के संपार्श्विकृत हिस्से के लिए काउंटर पार्टी के जोखिम भार के बदले संपार्श्विक का जोखिम भार (आम तौर पर न्यूनतम 20 प्रतिशत तक) लिया जाता है, या समग्र दृष्टिकोण अपनाएँ जिसमें संपार्श्विक को प्रदत्त मूल्य को एक्सपोज़र राशि से घटाते हुए संपार्श्विक द्वारा एक्सपोज़र का बेहतर प्रतिसंतुलन किया जाता है। भारत में बैंक समग्र दृष्टिकोण अपनाएंगे, जिसमें संपार्श्विक को प्रदत्त मूल्य एक्सपोज़र राशि से घटाते हुए, संपार्श्विक द्वारा एक्सपोज़र का बेहतर प्रतिसंतुलन किया जाता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत पात्र वित्तीय संपार्श्विक (अर्थात् नकदी या प्रतिभूति, जिनकी अधिक विनिर्दिष्ट परिभाषा नीचे दी गयी है) लेने वाले बैंक पूंजी अपेक्षा की गणना करते समय संपार्श्विक के जोखिम कम करने वाले प्रभाव को काउंटर पार्टी के प्रति अपने ऋण जोखिम से घटा सकते हैं। ऋण जोखिम में कमी की खाता-दर-खाता आधार पर ही अनुमति है, यहाँ तक कि विनियामक फुटकर संविभाग में भी तथापि, पूंजी संबंधी राहत दिये जाने के पहले निम्नलिखित मानक अवश्य पूरे किये जाने चाहिए :

- (i) कानूनी निश्चितता की सामान्य अपेक्षाओं के अलावा, संपार्श्विक को गिरवी रखने या उसको अंतरित करने के लिए प्रयुक्त कानूनी प्रक्रिया में यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैंक को काउंटर पार्टी (और, जहाँ लागू हो, संपार्श्विक रखने वाले अभिरक्षक) द्वारा चूक किये जाने या दिवालिया हो जाने (या लेनदेन प्रलेखन में वर्णित एक या अधिक अन्यथा परिभाषित ऋण घटनाओं) की स्थिति में बैंक को उपयुक्त समय पर उक्त संपार्श्विक का कानूनी कब्जा लेने या उसे बेचने का अधिकार है। इसके अलावा बैंकों को संपार्श्विक प्रतिभूति में बैंक के प्रवर्तनीय प्रतिभूति हित को प्राप्त करने और उसे बनाये रखने के लिए लागू कानून के अंतर्गत अपेक्षाएं पूरी करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना चाहिए, उदाहरण के लिए रजिस्ट्रार के पास उसे रजिस्टर कराना आदि ।
- (ii) संपार्श्विक प्रतिभूति से सुरक्षा मिले इसके लिए आवश्यक है कि काउंटर पार्टी की ऋण गुणवत्ता और संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के बीच

वास्तविक धनात्मक अंतर्संबंध न हो । उदाहरण के लिए काउंटर पार्टी अथवा उक्त समूह से संबद्ध संस्था द्वारा जारी प्रतिभूति से कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी और इसलिए उसे संपाशिवक नहीं माना जा सकता ।

- (iii) बैंकों के पास संपाशिवक प्रतिभूति के सामयिक परिसमापन के लिए स्पष्ट और सुदृढ़ प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काउंटर पार्टी की चूक की घोषणा करने तथा संपाशिवक के परिसमापन करने के लिए अपेक्षित कानूनी शर्तों का पालन किया जाता है तथा संपाशिवक का अविलंब परिसमापन किया जाता है ।
- (iv) जहां संपाशिवक किसी अभिरक्षक के पास हो, वहां बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभिरक्षक संपाशिवक को अपनी आस्तियों से अलग रखता है उपयुक्त कदम उठाना चाहिए ।

7.3.3 संपाशिवक लेनदेन के दोनों चरणों पर पूंजी अपेक्षा लागू होगी। उदाहरण के लिए रिपो और रिवर्स रिपो दोनों पर पूंजी अपेक्षा लागू होगी। इसी प्रकार प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने से संबंधित दोनों तरफ के लेनदेन पर तथा डेरिवेटिव एक्सपोजर या अन्य उधार से संबंधित प्रतिभूति की पोस्टिंग पर स्पष्ट पूंजी भार लागू होगा ।

7.3.4 समग्र दृष्टिकोण

- i) समग्र दृष्टिकोण में संपाशिवक प्रतिभूति लेते समय बैंकों को संपाशिवक के प्रभाव को गणना में शामिल करने हेतु काउंटर पार्टी के प्रति पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन से समायोजित एक्सपोजर की गणना करने की आवश्यकता होगी। बैंकों को काउंटर पार्टी के प्रति एक्सपोजर की राशि तथा काउंटर पार्टी के समर्थन में प्राप्त संपाशिवक के मूल्य को समायोजित करना होगा ताकि बाज़ार में घट-बढ़ के कारण दोनों के मूल्य में संभव भावी घट-बढ़ को ध्यान में रखा जाए। इन समायोजनों को 'हेयरकट' कहा जाता है। 'हेयरकट' लागू करने पर एक्सपोजर और संपाशिवक दोनों में अस्थिरता के समायोजन के बाद की राशि प्राप्त होगी। एक्सपोजर में अस्थिरता के समायोजन के बाद जो राशि प्राप्त होगी वह एक्सपोजर से उच्चतर होगी तथा संपाशिवक में समायोजन के बाद जो राशि प्राप्त होगी वह संपाशिवक से न्यूनतर होगी । यदि लेनदेन के दोनों पक्ष नकदी हो तब ऐसा नहीं होगा। दूसरे शब्दों में एक्सपोजर के लिए हेयरकट एक प्रीमियम घटक होगा, जबकि संपाशिवक के लिए हेयरकट डिस्काउंट घटक होगा। यह ध्यान में रखना चाहिए कि 'हेयरकट' लगाने के पीछे प्रयोजन एक्सपोजर और पात्र वित्तीय संपाशिवकों के मूल्य में अंतर्निहित बाजार

आधारित अस्थिरता का आकलन करना है। चूंकि अपने बैंकिंग परिचालनों के दौरान बैंकों को हुए ऋण एक्सपोजर का मूल्य बाजार अस्थिरता के अधीन नहीं होगा (क्योंकि ऋण वितरण/ निवेश 'नकद' लेनदेन होगा) हालांकि पात्र वित्तीय संपाशिवकों का मूल्य बाजार अस्थिरता के अधीन होगा, सारणी 14 में निर्धारित हेयरकट ऋण लेनदेन के मामले में केवल पात्र संपाशिवक पर लागू होगा, बैंक के ऋण एक्सपोजर पर नहीं। दूसरी ओर, रिपो जैसे लेनदेन के कारण बैंक को होनेवाले एक्सपोजर पर अस्थिरता के लिए ऊर्ध्वमुखी समायोजन करना आवश्यक होगा, क्योंकि रिपो लेनदेन में बेची गयी/ उधार दी गयी/बंधक रखी गयी प्रतिभूति का मूल्य बाजार अस्थिरता के अधीन होगा। अतः, ऐसे एक्सपोजर पर हेयरकट लागू होगा।

- ii) इसके अलावा यदि एक्सपोजर और संपाशिवक अलग-अलग मुद्राओं में रखा गया हो तो अस्थिरता समायोजित संपाशिवक राशि में एक अतिरिक्त निम्नमुखी समायोजन भी किया जाना चाहिए ताकि विनिमय दरों में संभावित भावी घट-बढ़ को गणना में शामिल किया जा सके।
- ii) जहां अस्थिरता-समायोजित एक्सपोजर राशि अस्थिरता-समायोजित संपाशिवक राशि (जिसमें विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए अतिरिक्त समायोजन शामिल है) से अधिक हो तो बैंक अपनी जोखिम भारित आस्तियों की गणना इन दोनों के अंतर को काउंटर पार्टी के जोखिम भार से गुणा कर प्राप्त करेंगे। पूंजी अपेक्षा की गणना करने की रूपरेखा पैराग्राफ 7.3.6 में दर्शायी गयी है।

7.3.5 पात्र वित्तीय संपाशिवक

समग्र दृष्टिकोण में निम्नलिखित संपाशिवक लिखतों को पात्र माना जाएगा -

- (i) नकद जिस बैंक को काउंटर पार्टी एक्सपोजर हो रहा है उसके पास जमा नकदी (तथा जमा प्रमाण पत्र या समान लिखतें, जिनमें ऋणदाता बैंक द्वारा जारी मीयादी जमा रसीदें भी शामिल हैं)
- (ii) स्वर्ण : स्वर्ण में बुलियन और आभूषण दोनों शामिल हैं। तथापि, संपाशिवकृत आभूषण का मूल्य उन्हें 99.99 शुद्धता में धारणात्मक आधार पर परिवर्तित कर प्राप्त किया जाना चाहिए।
- (iii) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूति
- (iv) किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, बशर्ते कोई लॉक-इन अवधि लागू न हो और उन्हें धारण अवधि के दौरान भुनाया जा सकता हो।

- (v) बीमा क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित किसी बीमा कंपनी की जीवन बीमा पॉलिसियां, जिसमें अभ्यर्पण मूल्य घोषित किया गया हो।
- (vi) ऋण प्रतिभूतियां जिनकी रेटिंग किसी चयनित ऋण रेटिंग एजेन्सी ने की हो तथा जिनके संबंध में बैंकों को पर्याप्त विश्वास हो कि उनकी बाज़ार में बिक्री कर चलनिधि²⁰ प्राप्त की जा सकती है, जहां उनपर या तो

क) 100% या उससे कम जोखिम भार लगता हो अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं (बैंक और प्राथमिक व्यापारी सहित) द्वारा जारी होने पर जिनकी रेटिंग कम-से-कम बीबीबी (-) हो; अथवा

ख) 100% या उससे कम जोखिम भार लगता हो अर्थात् अल्पावधि ऋण लिखतों के मामले में कम-से-कम पीआर3/पी3/एफ3 /ए 3 की रेटिंग हो ।

- (vii) ऋण प्रतिभूतियां जिनकी रेटिंग किसी चयनित ऋण रेटिंग एजेन्सी ने नहीं की हो तथा जिनके संबंध में बैंकों को पर्याप्त विश्वास हो कि उन्हें बाज़ार में बेचकर चलनिधि प्राप्त की जा सकती है, जहां वे

क) किसी बैंक द्वारा जारी किये गये हैं; और

ख) किसी मान्यताप्राप्त एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं; और

ग) जिसे वरिष्ठ ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया हो; और

घ) निर्गमकर्ता बैंक के समान वरिष्ठता वाले सभी निर्गम, जिनकी रेटिंग की गयी है, की रेटिंग चयनित ऋण रेटिंग एजेन्सी द्वारा कम-से-कम बीबीबी (-) या पीआर3/पी3/एफ 3/ए 3 है; और

ङ) जो बैंक उन प्रतिभूतियों को संपाशिवक के रूप में रख रहा है उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे निर्गम को बीबीबी (-) या पीआर3/पी3/एफ 3/ए 3 (जो भी लागू हो) से कम रेटिंग दी जा सकती है; और

च) बैंकों को पर्याप्त विश्वास होना चाहिए कि प्रतिभूति को बेचकर चलनिधि प्राप्त की जा सकती है।

²⁰ कोई डिबेंचर चलनिधि की कसौटी पर खरा माना जाएगा यदि उसमें पिछले 365 दिनों के दौरान कम-से-कम 90 प्रतिशत ट्रेडिंग दिवसों पर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में खरीद-बिक्री हुई है। इसके अलावा, चलनिधि का प्रमाण मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में पिछले एक महीने की खरीद-बिक्री में मिल सकता है यदि प्रत्येक निर्गमकर्ता की प्रतिभूतियों के विपणन योग्य समूह की कम-से-कम 25 बार खरीद-बिक्री हुई हो।

(viii) म्युचुअल फंड के यूनिट, जो बैंक के परिचालन के क्षेत्राधिकार के प्रतिभूति विनियामक द्वारा विनियमित हों तथा जहां

- क) यूनिटों का मूल्य सार्वजनिक रूप से प्रतिदिन उद्धृत किया जाता है अर्थात् जहां सार्वजनिक रूप से दैनिक निवल आस्ति मूल्य उपलब्ध है
- ख) जहां म्युचुअल फंड का निवेश इस पैराग्राफ में सूचीबद्ध लिखतों तक ही सीमित है।

7.3.6 पूंजी अपेक्षा की गणना

संपाशिवकृत लेनदेन में जोखिम कम करने के बाद एक्सपोजर की गणना निम्नानुसार की जाती है

$$E^* = \max \{0, [E \times (1+H_e) - C \times (1-H_c-H_{fx})]\}$$

जहां

E^* = जोखिम कम करने के बाद एक्सपोजर का मूल्य

E = एक्सपोजर का वर्तमान मूल्य जिसके लिए संपाशिवक को जोखिम कम करनेवाला तत्व माना गया है

H_e = एक्सपोजर के लिए उपयुक्त हेयरकट

C = प्राप्त संपाशिवक का वर्तमान मूल्य

H_c = संपाशिवक के लिए उपयुक्त हेयरकट

H_{fx} = संपाशिवक और एक्सपोजर के बीच में मुद्रा विसंगति के लिए उपयुक्त हेयरकट

जोखिम कम करने के बाद की एक्सपोजर राशि (अर्थात् E^*) को काउंटर पार्टी के जोखिम भार से गुणा कर संपाशिवकृत लेनदेन के लिए जोखिम भारित परिसंपत्ति राशि प्राप्त की जा सकती है। ऋण जोखिम कम करने के प्रभाव की गणना के उदाहरण अनुबंध 8 में दिये गये हैं।

7.3.7 हेयरकट

- i) सिद्धांततः बैंकों के पास हेयरकट की गणना करने की दो पद्धतियां हैं : (i) बासल समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों का उपयोग करते हुए मानक पर्यवेक्षी हेयरकट, तथा (ii) बाजार कीमतों की अस्थिरता के बारे में बैंक के अपने आंतरिक अनुमानों का

उपयोग करते हुए स्वयं -अनुमानित हेयरकट। एक्सपोजर तथा संपार्श्विक दोनों के लिए भारत में कार्यरत बैंक केवल मानक पर्यवेक्षी हेयरकट का प्रयोग करेंगे।

- (ii) प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किये गये मानक पर्यवेक्षी हेयर कट (बाजार दर पर दैनिक मूल्यांकन, मार्जिन का दैनिक पुनर्निर्धारण तथा 10 कारोबारी दिन की धारण अवधि मानते हुए),²¹ सारणी 14 के अनुसार होंगे।
- iii) सारणी 14 में निर्दिष्ट रेटिंग देशी रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रेटिंग हैं। विदेशी केंद्र सरकारों तथा विदेशी कंपनियों द्वारा जारी की गयी ऋण प्रतिभूतियों में एक्सपोजर के मामले में अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग के आधार पर सारणी 15 के अनुसार हेयरकट निर्धारित किया जाए।
- iv) सम्प्रभु में भारतीय रिज़र्व बैंक, डीआइसीजीसी तथा सीजीटीएसआइ शामिल हैं, जो शून्य प्रतिशत जोखिम भार के लिए पात्र हैं।
- v) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, बीमा पालिसियों का अभ्यर्पण मूल्य तथा बैंक की अपनी जमाराशियों के रूप में पात्र संपाशिवक के लिए बैंक शून्य हेयरकट लागू करें।
- vi) जहां एक्सपोजर तथा संपाशिवक अलग-अलग मुद्राओं में अंकित किए गए हैं ऐसी मुद्रा जोखिम के लिए मानकीकृत पर्यवेक्षी हेयरकट 8 प्रतिशत है (यह 10 कारोबार दिन की धारण अवधि तथा दैनंदिन बाज़ार दर पर मूल्यांकन पर भी आधारित होगा।)
- vii) ऐसे लेनदेन में जहां बैंकों के एक्सपोजर की रेटिंग नहीं की गयी है अथवा बैंक अपात्र लिखत (अर्थात गैर-निवेश ग्रेड कंपनी प्रतिभूतियाँ) उधार देता है वहां एक्सपोजर पर लागू किया जानेवाला हेयरकट 25 प्रतिशत होना चाहिए। (चूंकि वर्तमान में केवल सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में रिपो की अनुमति दी जाती है, इसलिए बैंकों के पास ऐसा कोई एक्सपोजर होने की संभावना नहीं है, जिस पर इस खंड के प्रावधान लागू होंगे। तथापि, यह तब प्रासंगिक होगा जब भविष्य में यदि रेट न की गयी कंपनी प्रतिभूतियों के मामले में रिपो/प्रतिभूति उधार लेनदेन की अनुमति दी जाती है।)

सारणी - 14 सम्प्रभु (सोवरेन) तथा अन्य प्रतिभूतियां, जिनमें एक्सपोजर तथा संपार्श्विक शामिल हैं, के लिए मानक पर्यवेक्षी हेयरकट

²¹ संपार्श्विक के मूल्य की वसूली के लिए सामान्यतः बैंक को जितनी अवधि चाहिए, उसे धारण अवधि कहा जाता है।

क्रम सं.	ऋण प्रतिभूतियों के लिए निर्गम रेटिंग	अवशिष्ट परिपक्वता (वर्ष में)	हेयरकट (प्रतिशत में)	
क	भारत सरकार द्वारा जारी /गारंटीकृत तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां (सम्प्रभु प्रतिभूतियां)			
	i	रेटिंग लागू नहीं है - क्योंकि	= 1 वर्ष	0.5
		भारत में संप्रति सरकारी प्रतिभूतियों की रेटिंग नहीं की जाती है	1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम	2
			5 वर्ष से अधिक	4
ख	भारतीय राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों सहित उपर्युक्त मद सं. क में निर्देशित प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य देशी ऋण प्रतिभूतियां			
	ii	एए से एए पीआर 1/पी1 /एफ1/ए1	<अथवा = 1 वर्ष	1
			1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम	4
			5 वर्ष से अधिक	8
	iii	ए से बीबीबी पीआर2/पी2/एफ2/ए2; पीआर3/पी3/एफ3/ए3 तथा परिपत्र के पैरा 7.3.5 (vii) में विनिर्दिष्ट रेटिंग न की गयी बैंक प्रतिभूतियां	< अथवा = 1 वर्ष	2
			1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम	6
			5 वर्ष से अधिक	12
vi	म्युच्युअल फंड के यूनिट		उपर्युक्त में से जिस किसी भी प्रतिभूति में पात्र म्युच्युअल फंड जू(देखें पैरा 7.3.5 (viii)ö निवेश कर सकता है, उस पर लागू उच्चतम हेयरकट	
ग	उसी मुद्रा में नकद		0	
घ	स्वर्ण		15	

सारणी - 15 : उन एक्सपोज़रों तथा संपार्श्विकों के लिए मानक पर्यवेक्षी हेयरकट जो विदेशी केंद्र सरकारों /विदेशी कंपनियों के दायित्व हैं

अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऋण प्रतिभूतियों को दी गयी निर्गम रेटिंग	अवशिष्ट परिपक्वता	सम्प्रभु	अन्य निर्गम
एए से एए /ए - 1	1 वर्ष या उससे कम	0.5	1
	1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम	2	4
	5 वर्ष से अधिक	4	8
ए से बीबीबी / ए -2/ए-3/पी - 3 तथा रेटिंग न की गयी बैंक प्रतिभूतियां	1 वर्ष या उससे कम	1	2
	1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष या उससे कम	3	6
	5 वर्ष से अधिक	6	12

viii) जहां संपाशिवक परिसंपत्तियों का समूह है, उस समूह पर हेयरकट होगा

$$H = \sum_i a_i H_i$$

जिसमें a_i समूह में परिसंपत्ति का भार (परिसंपत्ति की राशि/मूल्य की मुद्रा की यूनिटों में की गई गणना के अनुसार) है तथा H_i उस परिसंपत्ति पर लागू हेयरकट है।

ix) विभिन्न धारण अवधि के लिए समायोजन

पुनर्मूल्यांकन तथा पुनः मार्जिन करने की व्यवस्था संबंधी प्रावधानों के स्वरूप तथा बारंबारता के अनुसार कुछ लेनदेन के लिए विभिन्न धारण अवधि (10 कारोबार दिन के अलावा) उपयुक्त होती है। संपार्श्विक हेयरकट के ढांचे में रिपो-प्रकार के लेनदेन (अर्थात् रिपो /रिवर्स रिपो तथा प्रतिभूति उधार देना /उधार लेना) "अन्य पूंजी-बाजार प्रेरित लेनदेन" (अर्थात् काउंटर पर डेरिवेटिव के लेनदेन तथा मार्जिन ऋण) तथा जमानती ऋण के बीच फर्क किया गया है। पूंजी बाजार प्रेरित लेनदेन तथा रिपो-प्रकार के लेनदेन के प्रलेखीकरण में पुनः मार्जिन करने के संबंध में शर्तें होती हैं; जमानती उधार लेनदेन में सामान्यतः ऐसी शर्तें नहीं होती हैं। इन लेनदेनों के मामले

में विभिन्न धारण अवधि को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम धारण अवधि निम्नानुसार मानी जाएगी :

लेनदेन का प्रकार	न्यूनतम धारण अवधि	शर्त
रिपो प्रकार के लेनदेन	पांच कारोबार दिन	दैनिक रूप से पुनः मार्जिन
अन्य पूंजी बाज़ार लेनदेन	दस कारोबार दिन	दैनिक रूप से पुनः मार्जिन
जमानती ऋण	बीस कारोबार दिन	दैनिक पुनर्मूल्यांकन

उपर्युक्त के अनुसार 10 कारोबार दिन की न्यूनतम धारण अवधि को छोड़कर अन्य धारण अवधि वाले लेनदेन के लिए हेयरकट को नीचे पैरा 7.3.7 (xi) में दिए गए फार्मूला के अनुसार सारणी - 14 में 10 कारोबार दिन के लिए निर्दिष्ट हेयरकट को ऊपर /नीचे लाकर समायोजित करना होगा।

x) बाजार दर पर गैर- दैनिक मूल्यांकन अथवा पुनः मार्जिन व्यवस्था के लिए समायोजन
:

यदि मान लिए गए दैनिक मार्जिन से किसी लेनदेन की मार्जिन की बारंबारता भिन्न है तो उस लेनदेन पर लागू होनेवाले हेयरकट को भी नीचे पैराग्राफ 7.3.7 (xi) में दिए गए फार्मूला का प्रयोग करते हुए समायोजित करना आवश्यक होगा।

xi) विभिन्न धारण अवधि तथा /अथवा बाजार दर पर गैर-दैनिक मूल्यांकन अथवा पुनः मार्जिन करने के समायोजन के लिए फार्मूला

उपर्युक्त (ix) तथा (x) में निर्दिष्ट धारण अवधि तथा मार्जिन व्यवस्था /बाजार दर पर मूल्यांकन में भिन्नता के लिए निम्न फार्मूला के अनुसार समायोजन किया जाएगा :

$$H = H_{10} \sqrt{\frac{N_R + (T_M - 1)}{10}}$$

जहां :

H = हेयरकट;

H₁₀ = लिखत के लिए 10 कारोबार दिन का मानक पर्यवेक्षी हेयरकट

N_R = पूंजी बाज़ार लेनदेन के लिए पुनः मार्जिन करने अथवा प्रतिभूतिकृत लेनदेन के पुनर्मूल्यांकन के बीच कारोबार के दिनों की वास्तविक संख्या।
 T_M = लेनदेन के प्रकार के लिए न्यूनतम धारण अवधि

7.3.8 रिपो/रिवर्स रिपो-प्रकार के लेनदेनों के लिए पूंजी पर्याप्तता ढांचा

रिपो प्रकार के लेनदेन पर ऋण जोखिम तथा बाज़ार जोखिम के अतिरिक्त प्रतिपक्षी ऋण जोखिम (सीसीआर) के लिए पूंजी भार लागू होंगे। सीसीआर की परिभाषा है, रिपो - प्रकार के लेनदेन में प्रतिपक्ष द्वारा चूक करने का जोखिम जिसके परिणामस्वरूप उधार/ गिरवी/बेची गई प्रतिभूति की सुपुर्दगी अथवा नकद राशि का भुगतान नहीं होगा।

क. निधियों के उधारकर्ता की बहियों में कार्रवाई

- i) जहां बैंक ने प्रतिभूतियों को बेचकर/उधार देकर/संपार्श्विक के रूप में दर्ज करके निधि उधार ली है वहां 'एक्सपोजर' उचित हेयरकट लागू करने के बाद बेची/उधार दी गई प्रतिभूतियों के बढ़ाए गए 'बाजार मूल्य' के समतुल्य तुलनपत्रेतर एक्सपोजर होगा। इस प्रयोजन के लिए सारणी-14 के अनुसार हेयरकट का आधार के रूप में उपयोग किया जाएगा, जिसे पैराग्राफ 7.3.7 (xi) में दिए गए फार्मूला का प्रयोग करते हुए लागू किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि रिपो-प्रकार के लेनदेन के लिए पांच कारोबार दिनों की न्यूनतम (निर्धारित) धारण अवधि तथा मानक पर्यवेक्षी हेयरकट के लिए मानी गयी दैनिक मार्जिन व्यवस्था की तुलना में पुनः मार्जिन व्यवस्था की बारंबारता में कोई फर्क हो तो उसका ध्यान रखा जाए। "तुलनपत्रेतर एक्सपोजर" को परिपत्र की सारणी 8 की मद सं. 5 के अनुसार 100 प्रतिशत का ऋण परिवर्तन गुणक लागू करके 'तुलन पत्र' समतुल्य में परिवर्तित किया जाएगा।
- ii) प्राप्त राशि को उधार/बेची/गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों के लिए संपार्श्विक के रूप में समझा जाएगा। चूंकि संपार्श्विक नकद है, इसलिए उसके लिए शून्य हेयरकट होगा।
- iii) उपर्युक्त (i) पर प्राप्त ऋण समतुल्य राशि में से नकद संपार्श्विक की राशि को घटाकर जो राशि प्राप्त होगी उसपर प्रतिपक्ष पर लागू होने वाला जोखिम भार लागू होगा।
- iv) चूंकि रिपो अवधि के बाद प्रतिभूतियां उधार लेनेवाले बैंक की बहियों में वापस आ जाएंगी इसलिए उक्त बैंक उन मामलों में जहां रिपो से संबद्ध प्रतिभूतियां

परिपक्वता तक धारित श्रेणी में रखी जाती हैं, उन प्रतिभूतियों के ऋण जोखिम के लिए तथा बिक्री के लिए उपलब्ध/खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणियों के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियों के मामले में बाजार जोखिम के लिए पूंजी रखना जारी रखेंगे। जोखिम/विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूति के जारीकर्ता की क्रेडिट रेटिंग के अनुसार पूंजी भार निर्धारित किया जाएगा। सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में ऋण/विशिष्ट जोखिम के लिए पूंजी भार 'शून्य' होगा।

ख. निधि के उधारदाता की बहियों में कार्रवाई

- i) उधार दी गई राशि को प्रतिपक्ष पर तुलन पत्र में/निधिक एक्सपोजर समझा जाएगा जिसे रिपो के अंतर्गत स्वीकृत प्रतिभूतियों द्वारा संपार्श्विकीकृत किया गया है।
- ii) एक्सपोजर नकद होने के कारण उसपर शून्य हेयरकट लागू होगा।
- iii) संपार्श्विक को यथालागू हेयरकट के अनुसार नीचे समायोजित किया जाएगा/उसका मूल्य घटाया जाएगा।
- iv) संपार्श्विक की समायोजित राशि द्वारा घटाए गए एक्सपोजर की राशि पर प्रतिपक्ष पर यथालागू जोखिम भार लागू किया जाएगा क्योंकि यह तुलन पत्र में शामिल एक्सपोजर है।
- v) रिपो अवधि के दौरान संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूति के लिए उधारदाता बैंक कोई पूंजी भार नहीं रखेगा क्योंकि ऐसा संपार्श्विक उसके तुलनपत्र में शामिल नहीं है बल्कि उसे केवल अमानतदार के रूप में रखा जाता है।

7.4 ऋण जोखिम कम करने की तकनीकें - तुलन पत्र के अंतर्गत निवल निपटान (नेटिंग)

तुलन पत्र के अंतर्गत निवल निपटान, ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों तक सीमित होता है जहां बैंकों के पास प्रलेखन प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार वाली कानूनी दृष्टि से प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्थाएं होती हैं। वे निवल ऋण एक्सपोजर के आधार पर पूंजी अपेक्षाओं की निम्नलिखित शर्तों के अधीन गणना कर सकते हैं :

जहां किसी बैंक

- क) के पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए एक सुस्थापित विधिक आधार है कि निवल निपटान अथवा ऑफसेटिंग करार, प्रत्येक संबंधित क्षेत्राधिकार में प्रवर्तनीय है, चाहे काउंटर पार्टी दिवालिया हो या न हो।
- ख) किसी भी समय नेटिंग करार के अधीन उसी काउंटर पार्टी के पास ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों का निर्धारण कर सकता है; तथा
- ग) संबंधित एक्सपोज़र की निवल आधार पर निगरानी तथा नियंत्रण करता है,

वहाँ वह बैंक ऋण/अग्रिमों तथा जमाराशियों के निवल एक्सपोज़र को पैराग्राफ 7.3.6 में दिए गए फॉर्म्यूला के अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए आधार के रूप में प्रयोग में ला सकता है। ऋण/अग्रिमों को एक्सपोज़र तथा जमाराशियों को संपादित माना जाता है। मुद्रा विसंगति की स्थिति को छोड़कर हेयरकट शून्य होंगे। पैराग्राफ 7.3.6 तथा 7.6 में निहित सभी अपेक्षाएं भी लागू होंगी।

7.5 ऋण जोखिम को कम करने की तकनीकें - गारंटियां

7.5.1 जहां गारंटियां प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय तथा शर्त-रहित हैं वहां पूंजी अपेक्षाओं की गणना करते समय बैंक ऐसी ऋण सुरक्षा को गणना में ले सकते हैं।

7.5.2 गारंटीदाताओं के वर्ग को मान्यता दी गयी है। 1988 के समझौते के अनुसार एक प्रतिस्थापन दृष्टिकोण लागू किया जाएगा। अतः केवल काउंटर पार्टी से निम्नतर जोखिम भार वाली कंपनियों द्वारा जारी की गयी गारंटियों से पूंजी भार घटेगा क्योंकि काउंटर पार्टी एक्सपोज़र के सुरक्षित अंश पर गारंटीदाता का जोखिम भार निर्धारित किया जाता है और कवर न किए गए अंश के पास आधारभूत काउंटर पार्टी का जोखिम भार बना रहता है।

7.5.3 सीआरएम के रूप में समझे जाने के लिए पात्र गारंटियों के लिए विस्तृत परिचालन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

7.5.4 गारंटियों के लिए परिचालन अपेक्षाएं

- i) किसी भी गारंटी (काउंटर गारंटी) को सुरक्षादाता पर प्रत्यक्ष दावे का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और विनिर्दिष्ट एक्सपोज़र अथवा एक्सपोज़र के समूह से स्पष्टतः संदर्भित होना चाहिए ताकि कवर की सीमा स्पष्टतः परिभाषित हो तथा विवाद से परे

हो। गारंटी अपरिवर्तनीय होनी चाहिए; संविदा में ऐसा कोई भी खंड नहीं होना चाहिए जिससे सुरक्षा दाता को एक पक्षीय आधार पर कवर को निरस्त करने की अथवा गारंटीकृत एक्सपोजर में ऋण की घटती हुई गुणवत्ता के परिणामस्वरूप कवर की प्रभावी लागत में वृद्धि करने की अनुमति होगी। गारंटी बिना शर्त होनी चाहिए; गारंटी में बैंक के प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाहर वाला ऐसा कोई भी खंड नहीं होना चाहिए जो मूल काउंटर पार्टी द्वारा नियत भुगतान न किए जाने की स्थिति में सुरक्षा दाता को समय पर भुगतान करने की बाध्यता से रोक सकता है।

- ii) सभी एक्सपोजरों को गारंटियों के रूप में उपलब्ध जोखिम कम करने के उपायों को हिसाब में लेने के बाद जोखिम भारित किया जाएगा। जब किसी गारंटीकृत एक्सपोजर को अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तब उक्त गारंटी को ऋण जोखिम कम करनेवाले उपाय के रूप में नहीं माना जाएगा और गारंटियों के रूप में ऋण जोखिम कम करने के कारण कोई भी समायोजन अनुमत नहीं होगा। विनिर्दिष्ट प्रावधान को घटाकर तथा पात्र संपादिकों/ऋण जोखिम कम करने वालों के प्राप्य मूल्य को घटाकर प्राप्त संपूर्ण बकाया पर उचित जोखिम भार लागू होगा।

7.5.5 गारंटियों के लिए अतिरिक्त परिचालन अपेक्षाएं

गारंटी को मान्यता प्राप्त होने के लिए उपर्युक्त पैराग्राफ 7.2 में उल्लिखित विधिक निश्चितता संबंधी अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करना होगा :

- i) काउंटर पार्टी द्वारा अर्हक चूक/गैर-भुगतान करने पर बैंक लेनदेन पर लागू प्रलेखन के अंतर्गत किसी बकाया राशि की वसूली के लिए गारंटीदाता से समय पर संपर्क कर सके। गारंटीदाता ऐसे प्रलेखन के अंतर्गत सभी बकाया राशियों का बैंक को एकमुश्त भुगतान कर सकता है अथवा वह गारंटी द्वारा कवर की गयी काउंटर पार्टी की भावी भुगतान बाध्यताओं को अपने ऊपर ले सकता है। भुगतान के लिए काउंटर पार्टी से मांग करने के लिए पहले कोई विधिक कार्रवाई किये बिना गारंटीकर्ता से इस प्रकार का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार बैंक के पास होना चाहिए।
- ii) उक्त गारंटी गारंटीदाता द्वारा अपनायी गई स्पष्टतः प्रलोखित बाध्यता है।
- iii) परवर्ती वाक्य में नोट किये गये अनुसार को छोड़कर, लेनदेन पर लागू प्रलेखन के अंतर्गत आधारभूत बाध्यताधारी को जितने भी प्रकार के भुगतान करने अपेक्षित हैं, जैसे नोशनल राशि, मार्जिन भुगतान आदि, उन सभी को गारंटी कवर करती है। जब कोई गारंटी केवल मूलधन के भुगतान को कवर करती है तब ब्याज तथा अन्य

कवर न किये गये भुगतानों को पैराग्राफ 7.5.8 के अनुसार अप्रतिभूतिकृत राशि समझी जाए ।

7.5.6 पात्र गारंटीदाताओं (काउंटर-गारंटीदाता) का वर्ग

निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा दी गयी ऋण सुरक्षा को मान्यता दी जाएगी :

- (i) सम्प्रभु, सम्प्रभु संस्थाएं (जिनमें बीआइएस, आइएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक तथा यूरोपीय समूह तथा पैराग्राफ 5.5 में उल्लिखित एमडीबी, ईसीजीसी तथा सीजीटीएसआइ शामिल हैं) काउंटर पार्टी से कम जोखिम भार वाले बैंक तथा प्राथमिक व्यापारी;
- (ii) अन्य संस्थाएं जिनका रेटिंग एए(-) अथवा उससे बेहतर है । इसमें बाध्यताधारी से कम जोखिम भार वाली प्रवर्तक, अनुषंगी अथवा संबद्ध कंपनियों द्वारा दिया गया गारंटी कवर शामिल है । गारंटीदाता की रेटिंग संस्थागत रेटिंग होनी चाहिए जिसमें संस्था की सभी देयताओं तथा बाध्यताओं (गारंटियों सहित) को ध्यान में लिया गया है ।

7.5.7 जोखिम भार

सुरक्षित अंश को सुरक्षा देनेवाले का जोखिम भार दिया जाता है । राज्य सरकार की गारंटियों द्वारा कवर किये गये एक्सपोज़र पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा । एक्सपोज़र के अनारक्षित अंश को आधारभूत काउंटर पार्टी का जोखिम भार दिया जाएगा ।

7.5.8 आनुपातिक कवर

जहां गारंटीकृत राशि अथवा जिसके लिए ऋण सुरक्षा ली गयी है, उसकी राशि एक्सपोज़र की राशि से कम है तथा सुरक्षित तथा असुरक्षित अंश समान वरीयता के हैं अर्थात् बैंक तथा गारंटीदाता समानुपातिक आधार पर हानियां बांटते हैं, वहां पूंजी राहत आनुपातिक आधार पर दी जाएगी अर्थात् एक्सपोज़र के सुरक्षित अंश पर पात्र गारंटियों पर लागू कार्रवाई की जाएगी और शेष को असुरक्षित समझा जाएगा ।

7.5.9 मुद्रा विसंगति

जहां एक्सपोजर को जिस मुद्रा में अंकित किया गया है उससे भिन्न मुद्रा में ऋण सुरक्षा को अंकित किया गया है अर्थात् जहां मुद्रा विसंगति है, वहां एक्सपोजर की जिस राशि को सुरक्षित समझा गया है उसे हेयरकट H_{FX} लागू करके घटाया जाएगा अर्थात्

$$G_A = G \times (1 - H_{FX})$$

जहां :

G = ऋण सुरक्षा की अनुमानित राशि

H_{FX} = ऋण सुरक्षा तथा आधारभूत दायित्व के बीच मुद्रा विसंगति के लिए उचित हेयरकट

पर्यवेक्षी हेयरकट का प्रयोग करनेवाले बैंक मुद्रा विसंगति के लिए 8 प्रतिशत का हेयरकट लागू करेंगे ।

7.5.10 सम्प्रभु गारंटियां तथा काउंटर-गारंटियां

कोई दावा ऐसी गारंटी से कवर हो सकता है जिसे किसी सम्प्रभु द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से काउंटर-गारंटी मिली हो । ऐसे दावे को सम्प्रभु गारंटी द्वारा कवर किया गया दावा समझा जा सकता है बशर्ते

- i) सम्प्रभु काउंटर गारंटी दावे के सभी ऋण जोखिम तत्वों को कवर करती है ।
- ii) मूल गारंटी तथा काउंटर-गारंटी दोनों गारंटियों की सभी परिचालन अपेक्षाओं को पूर्ण करते हों; हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि काउंटर गारंटी मूल दावे से सीधे और स्पष्ट रूप से संबंधित हो ।
- iii) कवर सुदृढ़ होना चाहिए और ऐसे किसी भी ऐतिहासिक साक्ष्य से यह प्रतीत नहीं होना चाहिए कि काउंटर गारंटी की व्याप्ति प्रत्यक्ष सम्प्रभु गारंटी की व्याप्ति से किसी तरह कम प्रभावी है ।

7.6 परिपक्वता विसंगति

7.6.1 जोखिम भारित परिसंपत्तियों की गणना करने के प्रयोजन के लिए परिपक्वता विसंगति तब होती है जब किसी संपादितवक की अवशिष्ट परिपक्वता आधारभूत एक्सपोजर की परिपक्वता से कम है । जहां परिपक्वता विसंगति है और सीआरएम की मूल परिपक्वता

एक वर्ष से कम है वहां सीआरएम को पूंजी प्रयोजनों से मान्यता नहीं दी जाती है । अन्य मामलों में जहां परिपक्वता विसंगति है, वहां नीचे पैराग्राफ 7.6.2 से 7.6.4 में दिए गए ब्योरे के अनुसार विनियामक पूंजी प्रयोजनों के लिए सीआरएम को आंशिक मान्यता दी जाती है ।उन ऋणों के मामले में जिनका संपाशिवक बैंक की अपनी जमाराशियां ही हैं, उस स्थिति में भी जब जमाराशियों की अवधि तीन महीने से कम हो, अथवा ऋण की अवधि की तुलना में जमाराशियों की परिपक्वता में विसंगति हो, संपाशिवक को अमान्य ठहराने से संबंधित पैरा 7.6.1 के प्रावधान लागू नहीं होंगे बशर्ते जमाकर्ता (अर्थात् उधारकर्ता) से ऐसी जमाराशियों की परिपक्वता राशि को बकाया ऋण राशि के बदले समायोजित करने अथवा आधारभूत ऋण की पूर्ण चुकौती तक ऐसी जमाराशियों के नवीकरण के लिए स्पष्ट सहमति प्राप्त की गयी हो ।

7.6.2 परिपक्वता की परिभाषा

आधारभूत एक्सपोजर की परिपक्वता तथा संपाशिवक की परिपक्वता दोनों को सतर्क दृष्टि से परिभाषित किया जाना चाहिए । आधारभूत एक्सपोजर की प्रभावी परिपक्वता का निर्धारण काउंटर पार्टी द्वारा बाध्यता पूर्ण करने के लिए उपलब्ध दीर्घतम संभव अवशिष्ट समय के रूप में किया जाना चाहिए तथा इसमें यदि कोई ग्रेस अवधि लागू हो तो उसे भी शामिल करना चाहिए । संपाशिवक के लिए ऐसे निहित विकल्पों को ध्यान में लिया जाना चाहिए जिनसे संपाशिवक की अवधि कम हो सकती है ताकि सब से कम संभाव्य प्रभावी परिपक्वता का प्रयोग हो । यहां पर प्रासंगिक परिपक्वता अवशिष्ट परिपक्वता है ।

7.6.3 परिपक्वता विसंगति के लिए जोखिम भार

जैसा कि पैरा 7.6.1 में दर्शाया गया है, परिपक्वता विसंगति वाले संपाशिवक को तब मान्यता दी जाती है जब उनकी मूल परिपक्वता एक वर्ष या अधिक हो । परिणारमस्वरूप एक वर्ष से कम अवधि की मूल परिपक्वताओं वाले एक्सपोजर के लिए संपाशिवक की परिपक्वता संगत होने पर ही मान्य होगा । सभी मामलों में जब तीन महीनों या उससे कम की अवशिष्ट परिपक्वता हो तो परिपक्वता विसंगति वाले संपाशिवक मान्य नहीं होंगे ।

7.6.4 जब मान्यता प्राप्त ऋण जोखिम कम करनेवाले तत्वों (संपाशिवक, तुलन पत्र नेटिंग और गारंटियां) के साथ परिपक्वता विसंगति हो, तो निम्नलिखित समायोजन लागू किया जाएगा ।

$$P_a = P \times (t - 0.25) \div (T - 0.25)$$

जहां

P_a = परिपक्वता विसंगति को समायोजित कर ऋण संरक्षण का मूल्य है ।

P = हेयरकट को समायोजित कर ऋण संरक्षण (उदाहरणार्थ, संपाशिवक राशि, गारंटी राशि)

t = न्यूनतम (T , ऋण संरक्षण व्यवस्था की अवशिष्ट परिपक्वता) वर्षों में अभिव्यक्त

T = न्यूनतम (5, एक्सपोजर की अवशिष्ट परिपक्वता) वर्षों में अभिव्यक्त

7.7 सीआरएम तकनीकों के समूह के संबंध में व्यवहार

उन मामलों में जहां किसी बैंक द्वारा एकल एक्सपोजर को कवर करने के लिए एक से अधिक सीआरएम तकनीकों का प्रयोग किया गया है (उदाहरणार्थ कोई बैंक संपाशिवक तथा गारंटी दोनों से किसी एक्सपोजर को आंशिक रूप से कवर करता है) उस बैंक को प्रत्येक प्रकार के सीआरएम तकनीक द्वारा कवर किये गये हिस्सों में (अर्थात् संपाशिवक द्वारा कवर हिस्सा, गारंटी द्वारा कवर हिस्सा) एक्सपोजर को विभाजित करना होगा तथा प्रत्येक हिस्से की जोखिम भारित आस्तियों की अलग-अलग गणना करनी होगी । जब अकेले संरक्षणदाता द्वारा प्रदत्त ऋण संरक्षण की भिन्न-भिन्न परिपक्वताएं हैं, उन्हें भी अलग-अलग संरक्षण में विभाजित करना होगा।

8. बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी भार

8.1 प्रस्तावना

बाज़ार कीमतों के उतार-चढ़ाव के कारण तुलन पत्र तथा गैर-तुलन पत्र स्थितियों (पोज़िशन) में होनेवाली हानि के जोखिम को बाज़ार जोखिम के रूप में परिभाषित किया जाता है । निम्न बाज़ार जोखिम स्थितियों में पूंजी भार अपेक्षा लागू होगी -

- (i) ट्रेडिंग बही में ब्याज दर संबंधित लिखतों तथा इक्विटी से संबंधित जोखिम
- (ii) पूरे बैंक में (बैंकिंग और ट्रेडिंग बहियों दोनों ही में) विदेशी मुद्रा जोखिम (बहुमूल्य धातुओं में ओपन पोज़िशन सहित)

8.2 बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी भार का दायरा

8.2.1 इन दिशानिर्देशों से ट्रेडिंग बही में ब्याज दर संबद्ध लिखतों, ट्रेडिंग बही में इक्विटी तथा ट्रेडिंग तथा बैंकिंग बही दोनों में विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण तथा अन्य बहुमूल्य धातु सहित) के लिए पूंजी भारों की गणना संबंधी मुद्दों को हल किया जाएगा। पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए ट्रेडिंग बही में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- i) व्यापार के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत शामिल प्रतिभूतियां
- ii) बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत शामिल प्रतिभूतियां
- iii) ओपन स्वर्ण पोजिशन सीमाएं
- iv) ओपन विदेशी मुद्रा पोजिशन की सीमाएं
- v) डेरिवेटिव में ट्रेडिंग की पोजिशन, तथा
- vi) ट्रेडिंग बही एक्सपोजर की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव

8.2.2 बैंकों को लगातार अपनी बहियों में बाजार जोखिम का प्रबंधन करना होगा तथा सुनिश्चित करना होगा कि बाजार जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं लगातार रखी जा रही हैं, अर्थात् हर दिन कारोबार बंद होने पर। बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे बाजार जोखिमों के प्रति एक दिन के भीतर होनेवाले एक्सपोजर को नियंत्रित तथा निगरानी करने के लिए सख्त जोखिम प्रबंध प्रणाली कायम रखें।

8.2.3 बाजार जोखिम के लिए पूंजी उन प्रतिभूतियों के लिए अप्रासंगिक होगी जो कि पहले ही परिपक्व हो गई हैं और जिनका भुगतान नहीं हुआ है। ये प्रतिभूतियां सिर्फ ऋण जोखिम के लिए ही पूंजी प्राप्त करेंगी। 90 दिनों तक भुगतान नहीं होने के बाद, इन पर ऋण जोखिम के लिए समुचित जोखिम भार निश्चित करने के लिए इन्हें एनपीए के समकक्ष माना जाएगा।

8.3 ब्याज दर जोखिम के लिए पूंजी भार की माप

8.3.1 इस भाग में ट्रेडिंग बही में ऋण प्रतिभूतियों तथा अन्य ब्याज दर संबद्ध लिखतों को धारण करने अथवा उनमें पोजिशन लेने के जोखिम की माप करने की प्रणाली का वर्णन किया गया है।

8.3.2 ब्याज दर संबद्ध लिखतों के लिए पूंजी भार बैंक की ट्रेडिंग बही में इन मदों के वर्तमान बाजार मूल्य पर लागू होगा। चूंकि बैंकों को बाजार जोखिमों के लिए निरंतर आधार पर पूंजी रखना आवश्यक है, उनसे यह अपेक्षित है कि वे दैनिक आधार पर अपनी ट्रेडिंग पोजिशन का

बाज़ार दर पर मूल्यांकन करें। वर्तमान बाजार मूल्य, निवेशों के मूल्यांकन संबंधी रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

8.3.3 न्यूनतम पूंजी अपेक्षा दो अलग-अलग आकलित किए जाने वाले प्रभारों के रूप में व्यक्त की जाती है (i) प्रत्येक प्रतिभूति के लिए "विनिर्दिष्ट जोखिम" प्रभार जिसे शॉर्ट पोज़िशन (भारत में डेरिवेटिव के अलावा शॉर्ट पोज़िशन की अनुमति नहीं दी जाती है) तथा लॉग पोज़िशन दोनों के लिए, एकल जारीकर्ता से संबंधित घटकों की वजह से एक ल प्रतिभूति की कीमत में प्रतिकूल गति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया है, तथा (ii) ऐसे संविभाग में ब्याज दर जोखिम के लिए "सामान्य बाजार जोखिम" प्रभार जिसमें विभिन्न प्रतिभूतियों या लिखतों में लॉग और शॉर्ट पोज़िशन (जिसकी भारत में डेरिवेटिव के अलावा अन्य में अनुमति नहीं दी गई है) प्रतिसंतुलित की जा सकती है।

8.3.4 बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत धारित ऋण प्रतिभूतियों के लिए संभाव्य लंबी धारण अवधि तथा उससे संबद्ध उच्चतर विनिर्दिष्ट जोखिम को ध्यान में रखते हुए बैंक बाजार जोखिम के लिए नीचे 'क' अथवा 'ख' में से जो भी अधिक है, उसके बराबर कुल पूंजी भार रखेंगे।

क) खरीद बिक्री के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत धारित मानते हुए बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों के लिए कल्पित रूप से अभिकलित विनिर्दिष्ट पूंजी भार (सारणी-16 : यथालागू भाग क/ग/ड के अनुसार अभिकलित) तथा सामान्य बाजार जोखिम पूंजी भार का योग।

ख) बैंकिंग बही में धारित मानकर बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के लिए कल्पित आधार पर अभिकलित वैकल्पिक कुल पूंजी भार (सारणी-16 : यथालागू भाग ख/घ/च के अनुसार अभिकलित)

अ. विनिर्दिष्ट जोखिम

8.3.5 किसी एक जारीकर्ता से संबंधित घटकों की वजह से किसी एकल प्रतिभूति की कीमत में प्रतिकूल गति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम के लिए पूंजी भार निर्धारित किया गया है। विभिन्न प्रकार के एक्सपोजर के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम भार निम्नानुसार लागू किए जाएंगे:

क्रम सं.	ऋण प्रतिभूतियों/जारीकर्ता का स्वरूप	निम्नलिखित सारणी का अनुपालन करें
क.	<u>केंद्र, राज्य तथा विदेशी केंद्र सरकार के बॉण्ड</u> (i) खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी में धारित (ii) बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में धारित	सारणी 16 - भाग क सारणी 16 - भाग ख
ख.	<u>बैंक बॉण्ड</u> (i) खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी में धारित (ii) बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में धारित	सारणी 16 - भाग ग सारणी 16 - भाग घ
ग.	<u>कंपनी बॉण्ड तथा प्रतिभूतीकृत ऋण</u> (i) खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी में धारित (ii) बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में धारित	सारणी 16 - भाग ड सारणी 16 - भाग च

सारणी 16 - भाग - क

भारतीय तथा विदेशी सम्प्रभु द्वारा जारी की गई सम्प्रभु प्रतिभूतियों के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी भार - बैंकों द्वारा खरीद-बिक्री के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत धारित

क्र. सं.	निवेश का प्रकार	अवशिष्ट परिपक्वता	विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी (एक्सपोजर के % के रूप में)
क	भारतीय केंद्र सरकार और राज्य सरकारें		
1.	केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश	सभी	0.0
2.	केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	सभी	0.0
3.	राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	6 महीने या उससे कम	0.28
		6 महीने से अधिक तथा 24 महीने तक	1.13
		24 महीने से अधिक	1.80
4.	अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहाँ ब्याज का भुगतान तथा मूलधन की चुकौती केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत है।	सभी	0.0
5.	अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहाँ ब्याज का भुगतान तथा मूलधन की चुकौती राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है।	6 महीने या उससे कम	0.28
		6 महीने से अधिक तथा 24 महीने तक	1.13
		24 महीने से अधिक	1.80
ख	विदेशी केंद्र सरकारें		
1.	एएए से एए	सभी	0.00
2.	ए से बीबीबी	6 महीने या उससे कम	0.28
		6 महीने से अधिक तथा 24 महीने तक	1.13
		24 महीने से अधिक	1.80
3.	बीबी से बी	सभी	9.00
4.	बी से कम	सभी	13.50
5.	रेटिंग नहीं की गई	सभी	13.50

सारणी 16 - भाग ख

भारतीय और विदेशी सम्प्रभु द्वारा जारी की गयी
प्रतिभूतियों के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी भार - बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी
के अंतर्गत बैंकों द्वारा धारित प्रतिभूतियां

क्र. सं.	निवेश का स्वरूप	अवशिष्ट परिपक्वता	विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी (एक्सपोजर के % के रूप में)
क.	भारतीय केंद्र सरकार और राज्य सरकारें		
1.	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में निवेश	सभी	0.00
2.	केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	सभी	0.00
3.	राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	सभी	1.80
4.	ऐसी अन्य प्रतिभूतियों में निवेश, जहां ब्याज की अदायगी तथा मूलधन की चुकौती केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत है	सभी	0.00
5.	ऐसी अन्य प्रतिभूतियों में निवेश, जहां ब्याज की अदायगी तथा मूलधन की चुकौती राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है।	सभी	1.80
ख.	विदेशी केंद्र सरकार		
1.	एएए से एए	सभी	0.00
2.	ए	सभी	1.80
3.	बीबीबी	सभी	4.50
4.	बीबी से बी	सभी	9.00
5.	बी के नीचे	सभी	13.50
	रेटिंग न की गयी	सभी	13.50

सारणी 16 - भाग ग

बैंकों द्वारा जारी बांडों के लिए
विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी भार - खरीद -बिक्री के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत बैंकों द्वारा रखे
गये बांड

सीआरएआर का स्तर (जहां उपलब्ध हो) (प्रतिशत में)	अवशिष्ट परिपक्वता अवधि	विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी भार			
		सभी अनुसूचित बैंक (वाणिज्य, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)		सभी गैर-अनुसूचित बैंक (वाणिज्य, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)	
		पैरा 4.4.8 में उल्लिखित 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर निवेश (प्रतिशत में)	अन्य सभी दावे (प्रतिशत में)	पैरा 4.4.8 में उल्लिखित 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर निवेश (प्रतिशत में)	अन्य सभी दावे (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
9 और उससे ऊपर	6 माह या उससे कम	1.40	0.28	1.40	1.40
	6 माह से अधिक और 24 माह तक एवं उसके सहित	5.65	1.13	5.65	5.65
	24 माह से अधिक	9.00	1.80	9.00	9.00
6 और उससे अधिक तथा 9 से कम	सभी परिपक्वता अवधि	13.50	4.50	22.50	13.50
3 और उससे अधिक तथा 6 से कम	सभी परिपक्वता अवधि	22.50	9.00	31.50	22.50
0 और	सभी परिपक्वता	31.50	13.50	56.25	31.50

उससे अधिक तथा 3 से कम	अवधि				
ऋणात्मक	सभी परिपक्वता अवधि	56.25	56.25	पूरी कटौती	56.25

टिप्पणियां :

- i) जिन बैंकों के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई पूंजी पर्याप्तता मानदंड विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, उधारकर्ता /निवेशक बैंक निवेशिती बैंक से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर तथा वाणिज्य बैंकों को यथा लागू पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का उपयोग करते हुए नोशनल रूप में संबंधित बैंक के सीआरएआर की गणना करे। यदि ऐसे नोशनल आधार पर सीआरएआर की गणना करना व्यवहार्य नहीं पाया जाता है तो निवेशक बैंक के जोखिम बोध के अनुसार, 31.50 या 56.25 प्रतिशत का विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी भार निवेशक बैंक के पूरे एक्सपोज़र के लिए समान रूप से लगाया जाना चाहिए।
- ii) जिन बैंकों के मामले में फिलहाल पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू नहीं हैं, उनके पूंजी पात्रता वाले लिखतों में निवेश करने का प्रश्न फिलहाल नहीं उठता। फिर भी, उक्त सारणी के स्तंभ 3 और 5 उनपर लागू होंगे, यदि वे भविष्य में ऐसे पूंजी लिखत जारी करते हैं जिनमें अन्य बैंक निवेश करने के लिए पात्र हैं।

भाग 16 - भाग घ

बैंकों द्वारा जारी बांडों के लिए
वैकल्पिक कुल पूंजी भार - बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत बैंकों द्वारा धारित

(पैरा 8.3.4 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन)

सीआरएआर का स्तर (जहां उपलब्ध हो) (प्रतिशत में)	वैकल्पिक कुल पूंजी भार			
	सभी अनुसूचित बैंक (वाणिज्य, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)		सभी गैर-अनुसूचित बैंक (वाणिज्य, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)	
	पैरा 4.4.8 में उल्लिखित 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर निवेश (प्रतिशत में)	अन्य सभी दावे (प्रतिशत में)	पैरा 4.4.8 में उल्लिखित 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर निवेश (प्रतिशत में)	अन्य सभी दावे (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
9 और उससे ऊपर	9.00	1.80	9.00	9.00
6 और उससे अधिक तथा 9 से कम	13.50	4.50	22.50	13.50
3 और उससे अधिक तथा 6 से कम	22.50	9.00	31.50	22.50
0 और उससे अधिक तथा 3 से कम	31.50	13.50	50.00	31.50
ऋणात्मक	56.25	56.25	पूरी कटौती	56.25

टिप्पणियां :

- i) जिन बैंकों के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई पूंजी पर्याप्तता मानदंड विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, उधारकर्ता /निवेशक बैंक निवेशिती बैंक से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर तथा वाणिज्य बैंकों को यथा लागू पूंजी पर्याप्तता

मानदंडों का उपयोग करते हुए नोशनल रूप में संबंधित बैंक के सीआरएआर की गणना करे। यदि ऐसे नोशनल आधार पर सीआरएआर की गणना करना व्यवहार्य नहीं पाया जाता है तो निवेशक बैंक के जोखिम बोध के अनुसार, 31.50 या 56.25 प्रतिशत का विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी भार निवेशक बैंक के पूरे एक्सपोजर के लिए समान रूप से लगाया जाना चाहिए।

- ii) जिन बैंकों के मामले में फिलहाल पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू नहीं हैं, उनके पूंजी पात्रता वाले लिखतों में निवेश करने का प्रश्न फिलहाल नहीं उठता। फिर भी, ऊपर दी गयी सारणी के स्तंभ 2 और 4 उनपर लागू होंगे, यदि वे भविष्य में ऐसे पूंजी लिखत जारी करते हैं जिनमें अन्य बैंक निवेश करने के लिए पात्र हैं।

सारण 16 - भाग ड (i)²²

बैंकों द्वारा एचएफटी संवर्ग में धारित कंपनी बांडों (बैंक बांडों को छोड़कर) के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार

ईसीएआइ द्वारा रेटिंग	अवशिष्ट परिपक्वता	विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार
एए से बीबीबी	6 महीने या उससे कम	0.28
	6 महीने से अधिक और 24 महीने तक	1.14
	24 महीने से अधिक	1.80
बीबी और उसके नीचे	सभी परिपक्वता अवधि	13.5
रेटिंग न की गई (यदि अनुमत हो)	सभी परिपक्वता अवधि	9

* ये रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेन्सियों /ईसीएआर अथवा विदेशी रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी रेटिंग दर्शाते हैं। विदेशी ईसीएआइ के मामले में यहां प्रयुक्त रेटिंग चिह्न स्टैंडर्ड एंड पुअर है। "+" अथवा " - " परिवर्तकों को मुख्य रेटिंग श्रेणी के साथ शामिल किया गया है।

²² कृपया 8 फरवरी 2010 का मास्टरपरिपत्र बैंकवि.बीपी.बीसी. सं.73/21.06.001/2009-2010 देखें।

सारणी 16 - भाग ड (ii)

एएफएल संवर्ग में बैंकों द्वारा धारित कंपनी बांडों (बैंक बांडों को छोड़कर)के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार

ईसीएआइ द्वारा रेटिंग	कुल पूंजी प्रभार (प्रतिशत में)
एएए	1.8
एए	2.7
ए	4.5
बीबीबी	9
बीबी और उसके नीचे	13.5
रेटिंग न की गयी	9

* ये रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेन्सियों /ईसीएआर अथवा विदेशी रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी रेटिंग दर्शाते हैं। विदेशी ईसीएआइ के मामले में यहां प्रयुक्त रेटिंग चिह्न स्टैंडर्ड एंड पुअर है। "+" अथवा " - " परिवर्तकों को मुख्य रेटिंग श्रेणी के साथ शामिल किया गया है।

सारणी - 16 भाग - च

प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों (एसडीआइ) के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी भार - बैंकों द्वारा एचएफटी और एएफएस संवर्ग में धारित

*ईसीएआई द्वारा रेटिंग	विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी भार	
	प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर (%) में	वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर से संबंधित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर (एसडीआइ)
एएए	1.8	9
एए	2.7	9
ए	4.5	9
बीबीबी	9	9
बीबी	31.5 प्रवर्तकों के मामले में कटौती	31.5 प्रवर्तकों के मामले में कटौती
बी तथा उसके नी	कटौती	कटौती

* उपर्युक्त रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेन्सियों /ईसीएआइ अथवा विदेशी रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी रेटिंग दर्शाते हैं। विदेशी ईसीएआइ के मामले में यहां प्रयुक्त रेटिंग चिह्न स्टैंडर्ड और पुअर के अनुसार है। "+" अथवा " - " जैसे परिवर्तक चिह्नों को मुख्य रेटिंग संवर्ग में ही शामिल कर लिया गया है।

सारणी - 16 भाग - छ

पुनः प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों (आरएसडीआइ) के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी भार - बैंकों द्वारा एचएफटी और एएफएस संवर्ग में धारित

*ईसीएआइ द्वारा रेटिंग	विनिर्दिष्ट जोखिम पूंजी भार	
	पुनः प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर (%) में	वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर से संबंधित पुनः प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर (एसडीआइ)
एएए	3.6	18
एए	5.4	18
ए	9	18
बीबीबी	18	18
बीबी	63 प्रवर्तकों के मामले में कटौती	63 प्रवर्तकों के मामले में कटौती
बी तथा उसके नीचे	कटौती	कटौती

* उपर्युक्त रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेन्सियों /ईसीएआइ अथवा विदेशी रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गयी रेटिंग दर्शाते हैं। विदेशी ईसीएआइ के मामले में यहां प्रयुक्त रेटिंग चिह्न स्टैंडर्ड और पुअर के अनुसार है। "+" अथवा " - " जैसे परिवर्तक चिह्नों को मुख्य रेटिंग संवर्ग में ही शामिल कर लिया गया है।

8.3.6 बैंक उक्त पैरा 5 में वर्णित मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार ऋण जोखिम के लिए पूंजी के भाग के रूप में काउंटर पर डेरिवेटिव के लिए प्रतिपक्षी ऋण जोखिम प्रभार की गणना करने के अलावा **अनुबंध 9** के अनुसार यथापेक्षित ट्रेडिंग बही में काउंटर पर डेरिवेटिव के लिए विनिर्दिष्ट जोखिम प्रभार की गणना करें ।

आ. सामान्य बाजार जोखिम

8.3.7 सामान्य बाजार जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं का निर्धारण बाजार ब्याज दरों में बदलावों से होने वाली हानि के जोखिम के लिए किया गया है। यह पूंजी भार चार घटकों का योग है :

- (i) संपूर्ण ट्रेडिंग बही में निवल शॉर्ट (भारत में डेरिवेटिव के अलावा कहीं भी शॉर्ट पोजीशन (कमी) की अनुमति नहीं है) या लॉंग पोजीशन;
- (ii) प्रत्येक टाइम-बैंड में संतुलित पोजीशन का छोटा अंश (वर्टिकल डिजएलाउएन्स");
- (iii) विभिन्न टाइम-बैंड में संतुलित पोजीशन का बड़ा अंश ("हॉरिजॉन्टल डिजएलाउएन्स"); तथा
- (iv) जहां उपयुक्त है वहां ऑप्शन्स में पोजीशन पर निवल प्रभार;

प्रत्येक मुद्रा के लिए अलग परिपक्वता सोपान का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक मुद्रा के लिए पूंजी भार की गणना अलग से की जानी चाहिए तथा उसके बाद उनका योग किया जाना चाहिए और विपरीत चिह्न वाले पोजीशनों के बीच कोई प्रतिसंतुलन नहीं होना चाहिए। उन मुद्राओं के मामले में, जिनमें कारोबार महत्वपूर्ण नहीं है (जहां संबंधित मुद्रा में टर्न ओवर समग्र विदेशी मुद्रा टर्न ओवर के 5 प्रतिशत से कम है), प्रत्येक मुद्रा के लिए अलग-अलग गणना आवश्यक नहीं है। बैंक इसके बदले प्रत्येक उपयुक्त टाइम-बैंड के भीतर प्रत्येक मुद्रा के लिए निवल लॉंग या शॉर्ट पोजीशन वर्गीकृत कर सकता है। तथापि, इन अलग-अलग निवल पोजीशनों को प्रत्येक टाइम-बैंड के भीतर जोड़ा जाना चाहिए, चाहे वे लॉंग या शॉर्ट पोजीशन हों, तथा एक सकल पोजीशन आंकड़ा प्राप्त किया जाना चाहिए। प्रत्येक टाइम बैंड में सकल पोजीशन पर सारणी 18 में वर्णित प्रतिफल में कल्पित परिवर्तन लागू किया जाएगा और कोई और प्रतिसंतुलन नहीं किया जाएगा।

बासल समिति ने बाजार जोखिमों के लिए पूंजी भार की गणना के लिए दो व्यापक पद्धतियों का सुझाव दिया है, एक है मानकीकृत पद्धति तथा दूसरी है बैंकों की आंतरिक जोखिम प्रबंधन मॉडेल पद्धति। चूंकि भारत में कार्यरत बैंक अब भी आंतरिक जोखिम प्रबंधन मॉडेलों को विकसित करने के प्रारंभिक स्तर पर हैं इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि शुरू में बैंक मानकीकृत पद्धति को अपनाएंगे। मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत बाजार जोखिम की गणना करने की दो मुख्य पद्धतियां हैं, एक 'परिपक्वता पद्धति' तथा दूसरी 'अवधि पद्धति'। चूंकि ब्याज दर जोखिम की माप के लिए 'अवधि पद्धति' अधिक सही पद्धति है इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि पूंजी भार प्राप्त करने के लिए मानकीकृत अवधि प्रणाली का अपनाया

जाए। तदनुसार, बैंकों को प्रत्येक पोज़िशन की मूल्य संवेदनशीलता (आशोधित अवधि) की अलग से गणना करके सामान्य बाजार जोखिम प्रभार की गणना करनी है। इस पद्धति में निम्नानुसार कार्रवाई की जानी है :

- (i) पहले प्रत्येक लिखत की मूल्य संवेदनशीलता (आशोधित अवधि) की गणना करें;
- (ii) उसके बाद लिखत की परिपक्वता के आधार पर 0.6 तथा 1.0 प्रतिशत-अंकों के बीच प्रत्येक लिखत की आशोधित अवधि पर प्रतिफल में कल्पित परिवर्तन को लागू करें (सारणी - 17 देखें)
- (iii) परिणामी पूंजी भार मापों को सारणी - 17 में दिए गए अनुसार पंद्रह टाइम बैंड वाली परिपक्वता सीढ़ी में वर्गीकृत करें;
- (iv) प्रत्येक टाइम बैंड में लॉग तथा शार्ट पोजिशनस डेरिवेटिव के अलावा (भारत में अन्य कहीं भी शॉर्ट पोजिशन अनुमत नहीं है) पर 5 प्रतिशत वर्टिकल डिजएलाउंस दें जिससे आधार जोखिम प्राप्त होगा ; तथा
- (v) सारणी - 18 में निर्धारित डिजएलाउंसिज के अधीन प्रत्येक टाइम-बैंड में नेट पोजिशनस को हॉरिजॉन्टल ऑफ सेटिंग के लिए आगे लिया जाए।

सारणी 17 - अवधि पद्धति -टाइम बैंड तथा प्रतिफल में कल्पित परिवर्तन

टाइम बैंड	प्रतिफल में कल्पित परिवर्तन	टाइम बैंड	प्रतिफल में कल्पित परिवर्तन
क्षेत्र 1		क्षेत्र 3	
1 महीना अथवा कम	1.00	3.6 से 4.3 वर्ष	0.75
1 से 3 महीने	1.00	4.3 से 5.7 वर्ष	0.70
3 से 6 महीने	1.00	5.7 से 7.3 वर्ष	0.65
6 से 12 महीने	1.00	7.3 से 9.3 वर्ष	0.60
क्षेत्र 2		9.3 से 10.6 वर्ष	0.60
1.0 से 1.9 वर्ष	0.90	10.6 से 12 वर्ष	0.60

1.9 से 2.8 वर्ष	0.80	12 से 20 वर्ष	0.60
2.8 से 3.6 वर्ष	0.75	20 वर्ष से अधिक	0.60

सारणी 18
हॉरिजॉन्टल डिजएलाउंसिस

क्षेत्र	टाइम बैंड	क्षेत्रों के भीतर	निकटस्थ क्षेत्रों के बीच	क्षेत्र 1 तथा 3 के बीच
क्षेत्र 1	1 महीना अथवा कम	40 प्रतिशत	40 प्रतिशत	100 प्रतिशत
	1 से 3 महीने			
	3 से 6 महीने			
	6 से 12 महीने			
क्षेत्र 2	1.0 से 1.9 वर्ष	30 प्रतिशत	40 प्रतिशत	
	1.9 से 2.8 वर्ष			
	2.8 से 3.6 वर्ष			
3	3.6 से 4.3 वर्ष	30 प्रतिशत	40 प्रतिशत	
	4.3 से 5.7 वर्ष			
	5.7 से 7.3 वर्ष			
	7.3 से 9.3 वर्ष			
	10.6 से 12 वर्ष			
	12 से 20 वर्ष			
	20 वर्ष से अधिक			

8.3.10 ब्याज दर डेरिवेटिव

बाज़ार जाखिम के लिए पूंजी भार की गणना में ट्रेडिंग बही में सभी ब्याज दर डेरिवेटिव तथा तुलनपत्र से इतर लिखत तथा ट्रेडिंग बही एक्सपोजर्स की हेजिंग के लिए किए गए डेरिवेटिव जो कि ब्याज दरों में परिवर्तन से प्रभावित होंगे, को शामिल किया जाना चाहिए, उदाहरण के

लिए वायदा दर करार, ब्याज दर पोजिशन आदि । ब्याज दर डेरिवेटिव्स के लिए पूंजी भार की गणना के ब्यैरे अनुबंध 9 में दिए गए हैं ।

8.4 इक्विटी जोखिम के लिए पूंजी भार की माप

8.4.1 इक्विटी पर पूंजी भार बैंक की ट्रेडिंग बही में उनके वर्तमान बाजार मूल्य पर लागू होगा । ट्रेडिंग बही में इक्विटी धारण करने अथवा उनमें पोजिशन लेने के जोखिम को कवर करने के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षा नीचे दी गयी है। इसे इक्विटी के समान बाजार प्रवृत्ति दर्शाने वाले सभी लिखतों पर लागू किया जाएगा लेकिन अपरिवर्तनीय अधिमान शेयरों (जिन्हें पूर्व में वर्णित ब्याज दर जोखिम अपेक्षाओं द्वारा कवर किया जाता है) पर नहीं। कवर किए जाने वाले लिखतों में मताधिकार वाले अथवा मताधिकार रहित इक्विटी शेयर, इक्विटी जैसी प्रवृत्ति वाली परिवर्तनीय प्रतिभूतियां, उदाहरणार्थ, म्युच्युअल फंड के यूनिट, तथा इक्विटी को खरीदने अथवा बेचने की प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी।

विनिर्दिष्ट तथा सामान्य बाजार जोखिम

8.4.2 विनिर्दिष्ट जोखिम (ऋण जोखिम के समान) के लिए पूंजी भार 9 प्रतिशत होगा तथा विनिर्दिष्ट जोखिम की गणना बैंक के सकल इक्विटी पोजिशन (अर्थात् सभी लॉग इक्विटी पोजिशन तथा सभी शॉर्ट इक्विटी पोजिशन का योग - हालांकि भारत में बैंकों के लिए शॉर्ट इक्विटी पोजिशन की अनुमति नहीं है) पर की जाती है। सकल इक्विटी पोजिशन पर सामान्य बाजार जोखिम प्रभार भी 9 प्रतिशत होगा ।

8.5 विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए पूंजी भार की माप

प्रत्येक मुद्रा में बैंक के निवल ओपन पोजिशन की गणना निम्नलिखित के योग द्वारा की जानी चाहिए;

- निवल हाज़िर पोजिशन (अर्थात् आस्ति की सभी मदों में से सभी देयताओं की मदों, जिनमें संबंधित मुद्रा में मूल्यवर्गित उपचित ब्याज भी शामिल है, को घटाकर);
- निवल वायदा पोजिशन (करेंसी फ्यूचर्स सहित वायदा विदेशी मुद्रा लेनदेनों में प्राप्य सभी राशियों में से भुगतान की जानेवाली राशि तथा हाज़िर पोजिशन में शामिल नहीं किये गये करेंसी स्वैप की मूल राशि को छोड़कर);

- गारंटी (और उसी प्रकार के लिखत) जिनका निश्चित रूप से आह्वान किया जाएगा और जिनकी वसूली की संभावना नहीं है;
- निवल भावी आय/व्यय, जो अभी उपचित नहीं हुए हैं, लेकिन जिनकी पूरी हेजिंग की गयी है (सूचना देनेवाले बैंक के विवेक पर);
- विभिन्न देशों की लेखांकन परंपरा के अनुसार कोई और मद जो विदेशी मुद्रा में लाभ या हानि दर्शाती हो;
- विदेशी मुद्रा ऑप्शन की पूरी बही की निवल डेल्टा आधारित समकक्ष राशि ।

विदेशी मुद्रा में ओपन पोजिशन्स तथा स्वर्ण ओपन पोजिशन्स को वर्तमान में 100 प्रतिशत जोखिम भार दिया जाता है। अतः विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण ओपन पोजिशन्स की बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी भार 9 प्रतिशत है। इन ओपन पोजिशन्स की **उच्चतम सीमाएं अथवा वास्तविक राशि**, इनमें से जो भी उच्चतर है, पर 9 प्रतिशत पर पूंजी भार लगाना जारी रहेगा। यह पूंजी भार विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण लेनदेन से संबंधित तुलनपत्र की मदों तथा तुलनपत्र से इतर मदों पर ऋण जोखिम के लिए लगनेवाले पूंजी भार के अतिरिक्त है।

8.6 बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी भार का योग

जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है योग करने से पूर्व विनिर्दिष्ट जोखिम तथा सामान्य बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी भारों की अलग से गणना की जानी है। बाज़ार जोखिमों के लिए कुल पूंजी भार की गणना निम्नलिखित सारणी के अनुसार की जा सकती है :

प्रोफार्मा

(करोड़ रुपये में)

जोखिम श्रेणी	पूँजी भार
I. ब्याज दर (क + ख)	
क. सामान्य बाज़ार जोखिम	
i) निवल पोजिशन (पॅरलल शिफ्ट)	
ii) हॉरिज़ॉन्टल डिजएलाऊंस (कर्वेचर)	
iii) वर्टिकल डिजएलाऊंस (बेसिस)	
iv) ऑप्शन्स	
ख. विनिर्दिष्ट जोखिम	
II. ईक्विटी (क + ख)	
क. सामान्य बाज़ार जोखिम	
ख. विनिर्दिष्ट जोखिम	
III. विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण	
IV. बाज़ार जोखिमों के लिए कुल पूँजी भार (I +II +III)	

8.7 गैर-तरल स्थितियों के लिए कार्रवाई

8.7.1 विवेकपूर्ण मूल्य निर्धारण के लिए मार्गदर्शन

- (i) इस खंड में उन स्थितियों के विवेकपूर्ण मूल्य निर्धारण के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया है जिनका लेखांकन उचित मूल्य पर किया गया हो। यह मार्गदर्शन उन सभी स्थितियों पर लागू होगा जो उपर्युक्त पैरा 8.2.1 में वर्णित हैं। यह मार्गदर्शन विशेष रूप से उन स्थितियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें वास्तविक बाज़ार मूल्य अथवा मूल्य निर्धारण की माप करने योग्य निविष्टियां उपलब्ध न हों अथवा जो स्थितियां आसानी से चलनिधि में परिवर्तित नहीं होती हों और जिन से उनके विवेकपूर्ण मूल्य निर्धारण के संबंध में पर्यवेक्षीय चिंता उत्पन्न होती हो। नीचे वर्णित मूल्य निर्धारण संबंधी मार्गदर्शन के कारण बैंकों को वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजन से अपनायी जाने वाली मूल्य निर्धारण प्रक्रिया बदलने की आवश्यकता नहीं है।

- (ii) किसी विवेकपूर्ण मूल्य निर्धारण पद्धति की संरचना में कम-से-कम निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

8.7.1.1 प्रणाली और नियंत्रण

बैंकों को उपयुक्त प्रणाली और नियंत्रण स्थापित करना चाहिए जो प्रबंधन और पर्यवेक्षकों को विश्वस्त कर सके कि उनका मूल्य निर्धारण संबंधी अनुमान विवेकपूर्ण और विश्वसनीय है। इन प्रणालियों को संगठन के भीतर की अन्य जोखिम प्रबंध प्रणालियों (जैसे ऋण विश्लेषण) के साथ समन्वित किया जाना चाहिए। इन प्रणालियों में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :

- (i) मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से संबंधित लिखित नीति और क्रियाविधि। इसके अंतर्गत मूल्य निर्धारित करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के स्पष्ट रूप से परिभाषित दायित्व, बाजार सूचना के स्रोत और उनकी उपयुक्तता की समीक्षा शामिल है। ऐसी निविष्टियों के उपयोग के संबंध में दिशानिर्देश जिनकी माप नहीं की जा सकती और जो बैंक की इस धारणा को प्रकट करते हैं कि बाजार प्रतिभागी स्थिति का मूल्य निर्धारण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करेंगे, स्वतंत्र मूल्य निर्धारण की बारंबारता, अंतिम मूल्य का समय निर्धारण, निर्धारित मूल्य में परिवर्तन की क्रियाविधि, माह के अंत में तथा तदर्थ सत्यापन क्रियाविधि; और
- (ii) मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी विभाग के लिए स्पष्ट और स्वतंत्र रिपोर्टिंग (अर्थात् फ्रंट कार्यालय से स्वतंत्र) व्यवस्था।

8.7.1.2. मूल्य निर्धारण क्रियाविधि

बाजार दर पर मूल्य निर्धारण

- (i) बाजार दर पर मूल्य निर्धारण स्वतंत्र स्रोतों से प्राप्त व्यवस्थित लेनदेनों में आसानी से उपलब्ध अंतिम मूल्य पर स्थिति का दैनिक मूल्य निर्धारण है। आसानी से उपलब्ध अंतिम मूल्य के उदाहरण हैं - एक्सचेंज मूल्य, स्क्रीन मूल्य या अनेक स्वतंत्र प्रतिष्ठित दलालों से प्राप्त भाव / मूल्य।

- (ii) बैंकों को यथासंभव अधिक-से-अधिक बाजार दर पर मूल्यांकन करना चाहिए । बिड/ऑफर के अधिक विवेकपूर्ण पक्ष का प्रयोग किया जाना चाहिए बशर्ते किसी खास प्रकार के पोजीशन में संस्था महत्वपूर्ण बाजार निर्माता हो और वह मिड-मार्केट में भाव बंद कर सकती हो । बैंकों को मूल्य निर्धारण तकनीक का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य का अनुमान लगाते समय माप करने योग्य इनपुट का अधिक प्रयोग करना चाहिए तथा ऐसे इनपुट का प्रयोग कम-से-कम करना चाहिए जिन्हें मापा नहीं जा सकता । तथापि, बाध्य होकर की गयी बिक्री या आपदाग्रस्त बिक्री की स्थिति में माप करने योग्य इनपुट या लेनदेन प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं या बाजार जब सक्रिय न हो, वैसी स्थितियों में लेनदेन प्रेक्षणीय नहीं हो सकते हैं । ऐसे मामलों में प्रेक्षणीय आंकड़ों पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन उनके आधार पर निर्धारण नहीं भी हो सकता है ।

मॉडेल के अनुसार मूल्य निर्धारण

(iii) मॉडेल के अनुसार मूल्य निर्धारण की परिभाषा ऐसे मूल्य निर्धारण के रूप में की गयी है जो किसी बाजार इनपुट के आधार पर बेंचमार्क की जाती है अथवा उससे निकाली जाती है या गणना की जाती है । जहां बाजार दर पर मूल्य निर्धारण संभव नहीं हो वहां बैंकों को "बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड" पर 1 जुलाई 2009 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 3/21.04.141/2009-10 में निहित निवेशों के मूल्य निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों का अनुसरण करना चाहिए । जिन निवेश और डेरिवेटिव पोजीशन के संबंध में उक्त मास्टर परिपत्र में उल्लेख किया गया है, उनके संबंध में बैंक द्वारा प्रयुक्त मूल्य निर्धारण मॉडेल विवेकपूर्ण सिद्ध होना चाहिए । भारतीय रिज़र्व बैंक/फिमडा दिशानिर्देशों में निर्धारित मूल्य निर्धारण मॉडेल के अलावा अन्य मॉडेल के अनुसार मूल्य निर्धारण करते समय अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है । मॉडेल के अनुसार मूल्य निर्धारण प्रणाली विवेकपूर्ण है या नहीं इसका मूल्यांकन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा :

- वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को ट्रेडिंग बही अथवा अन्य उचित मूल्य पोजीशन के उन तत्वों की जानकारी रहनी चाहिए जो मॉडेल के अनुसार मूल्य निर्धारण के अधीन हैं तथा इससे कारोबार के जोखिम/कार्य निष्पादन की रिपोर्टिंग में जो अनिश्चितता उत्पन्न होती है उसके महत्व को भी समझना चाहिए ।

- बाजार इनपुट का स्रोत यथासंभव बाजार मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए (जैसा कि ऊपर चर्चा की गयी है) । किसी खास पोजीशन के मूल्य निर्धारण के लिए प्रयुक्त मार्केट इनपुट की उपयुक्तता की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए ।
- जहां उपलब्ध हो, विशेष उत्पादों के लिए सामान्य रूप से स्वीकृत मूल्य निर्धारण क्रियाविधि का यथासंभव उपयोग किया जाना चाहिए ।
- जहां मोडेल स्वयं संस्था द्वारा ही तैयार किया गया हो, वहां मोडेल समुचित अवधारणाओं पर आधारित होना चाहिए, जिनका मूल्यांकन मोडेल तैयार करने से असंबद्ध सुयोग्य पार्टियों द्वारा किया गया हो । मोडेल को विकसित करने या अनुमोदित करने के कार्य में फ्रंट कार्यालय को शामिल नहीं किया जाना चाहिए । मोडेल का स्वतंत्र परीक्षण किया जाना चाहिए । इसमें मोडेल का गणित, अवधारणा और सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन शामिल है ।
- एक औपचारिक परिवर्तन नियंत्रण प्रक्रिया सुस्थापित होनी चाहिए तथा मोडेल की एक सुरक्षित प्रतिलिपि रखी जानी चाहिए और आवधिक रूप से मूल्य निर्धारण की जांच के लिए उसका प्रयोग किया जाना चाहिए ।
- जोखिम प्रबंध प्रणाली को प्रयुक्त मोडेलों की कमजोरी का पता होना चाहिए तथा यह भी पता होना चाहिए कि मूल्य निर्धारण के परिणाम में उन कमजोरियों को किस तरह अच्छी नीति से प्रतिबिंबित किया जाए ।
- मोडेल की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए ताकि उसके कार्य की शुद्धता निर्धारित की जा सके (उदाहरण के लिए अवधारणाओं की निरंतर उपयुक्तता का मूल्यांकन, जोखिम घटकों की तुलना में लाभ और हानि का विश्लेषण, मोडेल के परिणाम की वास्तविक अंतिम मूल्य से तुलना)
- उपयुक्त मूल्य निर्धारण समायोजन किये जाने चाहिए । उदाहरण के लिए, मोडेल के मूल्य निर्धारण की अनिश्चितता को कवर करने के लिए (कृपया पैरा 8.7.1.2 (vi) (vii) और 8.7.2.1 से 8.7.2.4 भी देखें)

स्वतंत्र मूल्य सत्यापन

(iv) स्वतंत्र मूल्य सत्यापन बाजार दर पर दैनिक मूल्यांकन से अलग है । यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बाजार मूल्यों या मोडेल इनपुट की शुद्धता की नियमित जांच की जाती है । यद्यपि बाजार दर पर दैनिक मूल्य निर्धारण डीलर करते हैं, तथापि बाजार मूल्यों या मोडेल इनपुट का सत्यापन उस इकाई द्वारा किया जाना चाहिए जो डीलिंग रूम से स्वतंत्र हो । ऐसा माह में कम-से-कम एक बार किया जाना चाहिए (या, बाजार/ट्रेडिंग गतिविधि के स्वरूप के आधार पर एक से अधिक बार किया जाना चाहिए) । बाजार दर पर मूल्यांकन करने की आवश्यकता

के समान इसे बार-बार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पोजीशन के वस्तुमूलक अर्थात् स्वतंत्र मूल्य निर्धारण में कोई त्रुटि या मूल्य निर्धारण में कोई पक्षपात दिखना चाहिए, जिससे त्रुटिपूर्ण दैनिक मूल्य निर्धारण में सुधार हो सके ।

(v) स्वतंत्र मूल्य सत्यापन में शुद्धता का उच्चतर मानक होना चाहिए, क्योंकि बाजार मूल्यों या मोडेल इनपुट का प्रयोग लाभ और हानि के आंकड़े निर्धारित करने में होता है, जबकि दैनिक मूल्य निर्धारण का प्रयोग मुख्यतया रिपोर्टिंग तिथियों के बीच प्रबंधन रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है । ऐसे स्वतंत्र मूल्य सत्यापन के लिए जिसमें मूल्य निर्धारण के स्रोत अधिक विषयीमूलक हों, उदाहरण के लिए केवल एक उपलब्ध ब्रोकर द्वारा दिया जानेवाला भाव, तब मूल्य निर्धारण समायोजन जैसे विवेकपूर्ण उपाय उपयुक्त होंगे ।

मूल्य निर्धारण समायोजन

(vi) बाजार दर पर मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया के अंग के रूप में बैंकों को मूल्य निर्धारण समायोजन पर विचार करने की प्रक्रिया सुस्थापित करनी चाहिए । भारतीय रिज़र्व बैंक थर्ड-पार्टी मूल्य निर्धारण का प्रयोग करने वाले बैंकों से विशेष रूप से अपेक्षा रखता है कि वे इस बात पर विचार करें कि मूल्य निर्धारण समायोजन आवश्यक है या नहीं । मोडेल के अनुसार मूल्य निर्धारण करते समय भी इस प्रकार का विचार करना आवश्यक है ।

vii) बैंकों को अपने डेरिवेटिव संविभाग का मूल्य निर्धारण करते समय कम-से-कम निम्नलिखित मूल्य निर्धारण समायोजन पर विचार करना चाहिए :

⊗ अनर्जित क्रेडिट स्प्रेड

⊗ अंतिम भाव

⊗ जल्दी मीयाद समाप्त करना, निवेश और निधीयन

लागत; तथा

⊗ भावी प्रशासनिक लागत और

⊗ जहाँ उपयुक्त हो वहाँ मोडेल जोखिम

बैंक उपयुक्त समायोजनों की गणना करने के लिए किसी भी मान्यताप्राप्त विधि/मोडेल का प्रयोग कर सकते हैं । तथापि, अनर्जित क्रेडिट स्प्रेड समायोजन के मामले में यदि किसी बैंक के पास कोई मोडेल न हो तो निम्नलिखित मानदंड अपनाये जा सकते हैं :

आम तौर पर डेरिवेटिव डीलर गतिशील क्रेडिट समायोजन का प्रयोग करते हैं जो ओटीसी डेरिवेटिव संविभाग के उनके काउंटरपार्टियों के साथ में हुए परिवर्तन को प्रतिबिम्बित करते हैं

। चूक जोखिम के लिए समायोजन के दो प्रकार हैं । पहले में प्रत्याशित ऋण हानि की संभावना को शामिल किया जाता है तथा दूसरे में अप्रत्याशित ऋण हानि को कवर करने के लिए रखी गयी पूंजी की लागत शामिल की जाती है ।

अनर्जित क्रेडिट स्प्रेड समायोजन इस जोखिम को प्रतिबिम्बित करने के लिए किए जाते हैं कि काउंटरपार्टी की प्रत्याशित चूक के कारण डीलर को अदायगी नहीं मिलेगी । इन समायोजनों में सामान्यतया नेटिंग व्यवस्था और कोलेटरल को ध्यान में रखा जाता है । अतः, डीलर क्रेडिट जोखिम के लिए जो वास्तविक समायोजन करते हैं वे उन समायोजनों से कम होते हैं जिनमें नेटिंग व्यवस्था और कोलेटरल का ध्यान नहीं रखा जाता है । भारत में बैंकों को अभी तक डेरिवेटिव लेनदेनों के लिए नेटिंग व्यवस्था करने की अनुमति नहीं दी गयी है । अतः, यदि अनर्जित क्रेडिट स्प्रेड के लिए समायोजन का अनुमान लगाने के लिए बैंकों के पास मोडेल न हों, तो वे पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए सम्भावित भावी एक्सपोजर की गणना के लिए प्रयुक्त ऋण परिवर्तन गुणक के 20% के बराबर के गुणक का प्रयोग कर प्रत्याशित हानि के लिए प्रावधान कर सकते हैं ।

प्रत्याशित ऋण हानि की लागत के अलावा कुछ डीलर अप्रत्याशित हानि का जोखिम वहन करने के लिए पूंजी प्रभार में समायोजन कर सकते हैं । इस प्रकार का प्रभार उन कीमतों में प्रतिबिम्बित होगा जिन पर बाजार प्रतिभागी डेरिवेटिव लेनदेन करने के लिए तैयार होते हैं । ये समायोजन उच्चतम प्रत्याशित स्तर से अधिक हुई ऋण हानि के जोखिम को आत्मसात करने वाली पूंजी पर अदा किये जाने वाले प्रतिफल की लागत दर्शाते हैं । अप्रत्याशित हानि की लागत के लिए समायोजन आवश्यक हैं क्योंकि किसी भी संविभाग में किसी भी मूल्य निर्धारण की तारीख को ऐसी हानि का जोखिम बना रहता है ।

टिप्पणी : ऊपर प्रयुक्त कुछ शब्दों को नीचे स्पष्ट किया गया है :

अंतिम लागत

अंतिम लागत : संविभाग के बाजार जोखिम को समाप्त करने की लागत में समायोजन घटक

निवेश और निधीयन लागत

निवेश और निधीयन लागत मोडेल द्वारा सामान्यतया अपनायी गयी दरों से भिन्न दरों पर नकदी प्रवाह विसंगति के निधीयन और निवेश की लागत है ।

प्रशासनिक लागत समायोजन

प्रशासनिक लागत समायोजन संविभाग के प्रशासन में होनेवाली लागत है ।

8.7.2 विनियामक पूंजी प्रयोजनों से कम तरल पोजीशन के वर्तमान मूल्यांकन का समायोजन

8.7.2.1 बैंकों को विनियामक पूंजी प्रयोजनों से कम तरल पोजीशन के वर्तमान मूल्यांकन में समायोजन करने की आवश्यकता के संबंध में निर्णय लेने और समायोजन की गणना करने की प्रक्रियाएं सुस्थापित करनी चाहिए । यह समायोजन वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजन से पोजीशन के मूल्य में किये गये परिवर्तन के अतिरिक्त हो सकता है और इसकी परिकल्पना पोजीशन की कम तरलता को व्यक्त करने के लिए की जानी चाहिए । किसी पोजीशन की वर्तमान कम तरलता को व्यक्त करने के लिए उक्त पोजीशन के मूल्यांकन में समायोजन पर विचार किया जाना चाहिए, चाहे वह पोजीशन बाजार मूल्यों के आधार पर अथवा माप करने योग्य इनपुट के आधार पर, थर्ड पार्टी मूल्यांकन के आधार पर या मोडेल के आधार पर मूल्यांकित किया गया हो ।

8.7.2.2 यह देखते हुए कि बाजार जोखिम पूंजी प्रभार की तरलता के संबंध में किया गया पूर्वानुमान यथा उपयुक्त कम तरल पोजीशन की बिक्री पर हेज करने की बैंक की क्षमता के अनुरूप न हो, बैंकों को इन पोजीशनों के वर्तमान मूल्यांकन में समायोजन करना चाहिए और निरंतर उनकी उपयुक्तता की समीक्षा करनी चाहिए । कम तरलता बाजार घटनाओं से उत्पन्न हो सकती है । इसके अलावा, समायोजन तय करते समय संकेंद्रित पोजीशन और/अथवा स्टेल पोजीशन की क्लोन-आउट कीमतों पर भी विचार किया जाना चाहिए । भारतीय रिज़र्व बैंक ने कम तरल पोजीशन के कारण मूल्य निर्धारण समायोजन की राशि की गणना के लिए किसी विशिष्ट क्रियाविधि का निर्धारण नहीं किया है । बैंकों को कम तरल पोजीशन के समायोजन की उपयुक्तता निर्धारित करते समय सभी संबंधित घटकों पर विचार करना चाहिए । इन घटकों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं (हालांकि इन्हें केवल इन मर्दानों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता) - पोजीशन या पोजीशन के भीतर जोखिमों की हेजिंग करने में लगाने वाला समय, बिड ऑफर स्प्रेड का औसत उतार-चढ़ाव, स्वतंत्र बाजार भावों की उपलब्धता (बाजार निर्माताओं की संख्या और पहचान), ट्रेडिंग परिमाण (बाजार की दबाव स्थिति के दौरान ट्रेडिंग परिमाण सहित) का औसत तथा उतार-चढ़ाव, बाजार संकेंद्रण, पोजीशन कितना पुराना है, किस हद तक मूल्य निर्धारण मोडेल के अनुसार निर्धारण पर आधारित है और पैरा 8.7.2.2 में शामिल नहीं किये गये अन्य मोडेल जोखिमों का प्रभाव । कम तरलता के कारण मूल्य निर्धारण समायोजन पर विचार किया जाना चाहिए

चाहे फिमडा द्वारा जारी दिशानिर्देशों में मूल्यांकन के प्रयोजन से वाइटीएम /स्प्रेड तय करते समय कम तरलता के प्रीमियम को गणना में शामिल किया गया हो या नहीं ।

8.7.2.3 जटिल उत्पादों के लिए, जिनमें प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के अलावा अन्य उत्पाद भी शामिल हैं, बैंकों को मूल्य निर्धारण समायोजन की आवश्यकता का स्पष्ट मूल्यांकन करना चाहिए ताकि दो प्रकार के मोडेल जोखिम प्रतिबिम्बित हो सकें :

(i) संभवतः त्रुटि पूर्ण मूल्य निर्धारण क्रियाविधि के प्रयोग से जुड़ा मोडेल जोखिम; और मूल्य निर्धारण मोडेल में अपेक्षणीय और संभवतः त्रुटि पूर्ण)) माप पैमाने के प्रयोग से जुड़ा जोखिम

8.7.2.4 पैरा 8.7.2.2 के अंतर्गत कम तरल पोजीशन के वर्तमान मूल्य निर्धारण में समायोजन को बैंक के सीआरएआर की गणना करते समय लाभ और हानि खाते में नामे नहीं डाला जाएगा, बल्कि टीयर 1 विनियामक पूंजी से घटाया जाएगा । यह समायोजन वित्तीय रिपोर्टिंग /लेखा मानक के अंतर्गत तथा पैरा 8.7.1.2 (vi) और (vii) के अंतर्गत मूल्य निर्धारण समायोजन से अधिक हो सकता है ।

8.7.2.5 बाज़ार जोखिम के लिए पात्र पूंजी की गणना करने के लिए यह आवश्यक होगा कि पहले ऋण और परिचालन जोखिम के लिए बैंक के न्यूनतम पूंजी अपेक्षा की गणना की जाए और उसके बाद ही उसके बाज़ार जोखिम अपेक्षा की गणना की जाए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितना टीयर 1 और टीयर 2 पूंजी बाज़ार जोखिम के लिए उपलब्ध है । पात्र पूंजी बैंकों की कुल टीयर 1 पूंजी और कुल टीयर 2 पूंजी का योग होगा बशर्ते टीयर 2 पूंजी टीयर 1 पूंजी के 100% से अधिक न हो तथा इस मास्टर परिपत्र में वर्णित टीयर 1 और टीयर 2 पूंजी से संबंधित शर्तें पूरी की जाएं ।

बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी की गणना

(राशि करोड़ रुपयों में)

1.	पूंजी निधि • टीयर 1 पूंजी • टीयर 2 पूंजी	55 50	105
2.	कुल जोखिम भारित आस्तियां • ऋण और चरिचालन जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियां • बाज़ार जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियां	1000 140	1140
3.	कुल सीआरएआर		9.21
4.	ऋण और परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षा (1000*9%) टीयर 1 (@ 1000 का 4.5% का) टीयर 2 (@ 1000 का 4.5%)	45 45	90
5.	बाज़ार जोखिम के समर्थन के लिए उपलब्ध पूंजी • टीयर 1 - (55 - 45) • टीयर 2 - (50 - 45)	10 5	15

9. परिचालन जोखिम के लिए पूंजी भार

9.1 परिचालन जोखिम की परिभाषा

परिचालन जोखिम को अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों तथा प्रणालियों अथवा बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरूप होनेवाली हानि के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा में विधिक जोखिम शामिल है लेकिन कार्यनीति (स्ट्रैटेजिक) तथा प्रतिष्ठागत जोखिम शामिल नहीं है। विधिक जोखिम में पर्यवेक्षी कार्रवाइयों तथा निजी निपटानों के परिणामस्वरूप जुर्माना, दंड तथा दंडात्मक क्षतिपूर्ति के प्रति एक्सपाज़र शामिल है लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है।

9.2 गणन पद्धतियां

9.2.1 नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे में परिचालन जोखिम पूंजी भारों की गणना के लिए उत्तरोत्तर बढ़ती हुई परिष्कृतता तथा जोखिम संवेदनशीलता के साथ तीन पद्धतियां दी गयी

हैं : i) मूल (बेसिक) निर्देशक दृष्टिकोण (बीआइए); ii) मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए); तथा iii) उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए)।

9.2.2 बैंकों को अधिक परिष्कृत परिचालन जोखिम गणना प्रणालियों तथा प्रथाओं को विकसित करते हुए उपलब्ध दृष्टिकोणों के अनुरूप उत्तरोत्तर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

9.2.3 नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे में यह प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों तथा महत्वपूर्ण परिचालन जोखिम एक्सपोजर्स वाले बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसा दृष्टिकोण अपनाएं जो कि मूल निर्देशक दृष्टिकोण से अधिक परिष्कृत है तथा वह जो कि संस्था की जोखिम प्रोफाइल के लिए उपयुक्त है। तथापि प्रारंभ में भारत में कार्यरत बैंक परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं की गणना मूल निर्देशक दृष्टिकोण के अंतर्गत करेंगे। रिज़र्व बैंक मूल निर्देशक दृष्टिकोण से प्राप्त पूंजी अपेक्षा की सामान्य विश्वसनीयता, विशेषतः बैंक की समकक्ष संस्थाओं के बीच में विश्वसनीयता की समीक्षा करेगा तथा विश्वसनीयता के अभाव में स्तम्भ 2 के अंतर्गत समुचित पर्यवेक्षी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

9.3 मूल निर्देशक दृष्टिकोण

9.3.1 मूल निर्देशक दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंकों को परिचालन जोखिम के लिए पिछले तीन वर्ष की अवधि के दौरान सकारात्मक वार्षिक सकल आय के निश्चित प्रतिशत (अल्फा के रूप में अंकित) के औसत के बराबर पूंजी रखनी होगी। औसत की गणना करते समय जिस वर्ष में वार्षिक सकल आय नकारात्मक अथवा शून्य है उस वर्ष के आंकड़ों को भाज्य तथा भाजक दोनों से निकाल देना चाहिए। यदि नकारात्मक सकल आय बैंक के स्तम्भ 1 पूंजी भार को विकृत करती है तो रिज़र्व बैंक स्तम्भ 2 के अंतर्गत उचित पर्यवेक्षी कार्रवाई पर विचार करेगा। प्रभार को निम्नानुसार व्यक्त किया जाए :

$$KBIA = [\sum (GI_{1...n} \times \alpha)] / n$$

जहां

KBIA= मूल निर्देशक दृष्टिकोण के अंतर्गत पूंजी भार

GI = पिछले तीन वर्ष के दौरान वार्षिक सकल आय, जहां सकारात्मक है।

n = उन पिछले तीन वर्षों की संख्या जब सकल आय सकारात्मक है।

α = 15 प्रतिशत, जिसे बीसीबीएस ने निर्धारित किया है, इससे

आवश्यक पूंजी के उद्योगवार स्तर को निर्देशक के उद्योगवार स्तर से जोड़ा गया है।

9.3.2 सकल आय को 'निवल ब्याज आय' और 'निवल ब्याजेतर आय' के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। यह उद्देश्य है कि इस माप में :

- i) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों (उदा. अदत्त ब्याज के लिए) तथा बड़े खाते डाले गए मदों का जोड़ होना चाहिए;
- ii) परिचालनगत व्ययों, जिनमें आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाताओं को भुगतान किए गए शुल्क शामिल हैं, का सकल योग होना चाहिए। *आउटसोर्स की गयी सेवाओं के लिए दिए गए शुल्क के अतिरिक्त आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करनेवाले बैंकों द्वारा प्राप्त शुल्क को भी सकल आय की परिभाषा में शामिल किया जाएगा;*
- iii) पिछले वर्ष (वर्षों) के दौरान किए गए प्रावधानों तथा राइट-ऑफ के संबंध में वर्ष के दौरान किए गए रिवर्सल को शामिल नहीं किया जाना चाहिए;
- iv) चल तथा अचल संपत्ति की मदों को बेचने से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाना चाहिए;
- v) 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानियों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए;
- vi) बैंक के पक्ष में विधिक समझौतों से प्राप्त आय को न जोड़ा जाए;
- vii) आय तथा व्यय की अन्य असाधारण अथवा अनियमित मदों को शामिल न करें;
- ix) बीमा कार्यकलापों (अर्थात् बीमा पॉलिसियों को राइट करने से व्युत्पन्न आय) तथा बैंक के पक्ष में 'बीमा दावों से व्युत्पन्न आय को शामिल न करें।

9.3.3 बैंकों को मूल निर्देशक दृष्टिकोण के अंतर्गत परिचालन जोखिम के लिए पूंजी भार की गणना निम्नानुसार करना चाहिए :

- क) पिछले तीन वित्तीय वर्ष, जिनमें नकारात्मक अथवा शून्य सकल आय के वर्ष शामिल नहीं हैं के प्रत्येक वर्ष के (सकल आय * आल्फा) का औसत
- ख) सकल आय = निवल लाभ (+) प्रावधान तथा आकस्मिकताएं (+) परिचालन व्यय (अनुसूची 16) (-) (पैरा 9.3.2 की मदें (iii) से (viii)।

ग) आल्फा = 15 प्रतिशत

9.3.4 नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे में पूंजी गणना की शुरुआत करने की दृष्टि से मूल निर्देशक दृष्टिकोण के उपयोग के लिए कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। फिर भी, इस दृष्टिकोण का उपयोग करने वाले बैंकों को *परिचालन जोखिम के प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण के लिए स्वस्थ प्रथाएं*, फरवरी 2003 संबंधी समिति के मार्गदर्शन तथा अक्टूबर 2005 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिचालन जोखिम के प्रबंधन पर मार्गदर्शी नोट का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

भाग ख : पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी)

10. स्तंभ 2 के अंतर्गत पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया की भूमिका

10.1 27 अप्रैल 2007 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 90/20.06.001/2006-07 के द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति द्वारा विकसित बासल II ढांचे पर आधारित नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा भारत के लिए अपनाया गया है। उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध के पैरा 2.4 (iii) (ग) के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षा की गयी थी कि उनके पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) के संबंध में बोर्ड अनुमोदित नीति होनी चाहिए तथा वे आइसीएएपी के अनुसार पूंजी अपेक्षा का मूल्यांकन करें। हम यह मानते हैं कि बैंकों ने उक्त नीति बनायी होगी तथा तदनुसार पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन किया होगा।

10.2 बासल II ढांचे के तीन घटक या तीन स्तंभ हैं। स्तंभ I न्यूनतम पूंजी अनुपात है, जबकि स्तंभ 2 और स्तंभ 3 क्रमशः पर्यवेक्षीय समीक्षा प्रक्रिया (एसआरपी) और बाजार अनुशासन है। स्तंभ 1 और स्तंभ 3 के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपर्युक्त परिपत्र के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किये, जिन्हें इस मास्टर परिपत्र में क्रमशः भाग क और भाग ग के रूप में समेकित किया गया है। एसआरपी और आइसीएएपी के संबंध में दिशानिर्देश नीचे पैरा 11 में दिये गये हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले आइसीएएपी दस्तावेज के प्रारूप का एक उदाहरण **अनुबंध-15** में दिया गया है।

10.3 एसआरपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों के पास अपने कारोबार के सभी जोखिमों से बचाव के लिए पर्याप्त पूंजी है। इसका उद्देश्य उन्हें अपने जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन के लिए बेहतर जोखिम प्रबंधन तकनीकें विकसित करने और उनका प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। इस हेतु बैंकों के भीतर एक सुपरिभाषित आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया आवश्यक होगी, जिसके माध्यम से वे भारतीय रिज़र्व बैंक को आश्वस्त करेंगे कि बैंकों के समक्ष जो विभिन्न प्रकार के जोखिम हैं उनके लिए पर्याप्त पूंजी वस्तुतः रखी जा रही है। आश्वासन की प्रक्रिया के अंतर्गत बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच सक्रिय संवाद भी शामिल है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर बैंक के जोखिम एक्सपोज़र को कम करने के लिए या उसकी पूंजी बढ़ाने/बहाल करने के लिए समुचित हस्तक्षेप किया जा सके। अतः आइसीएएपी पर्यवेक्षीय समीक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है।

10.4 एसआरपी और इसलिए आइसीएएपी के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य पहलुओं को शामिल किया जाएगा :

- (क) ऐसे जोखिम जिन्हें स्तंभ 1 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम पूंजी अनुपात में पूरी तरह समाविष्ट नहीं किया गया है;
- (ख) ऐसे जोखिम जिन्हें स्तंभ 1 के अंतर्गत शामिल ही नहीं किया गया है; और
- (ग) बैंक से बाहर के घटक

चूंकि इस ढांचे के स्तंभ 1 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात केवल विनियामक **न्यूनतम** स्तर पर है, तथा इसमें केवल तीन विनिर्दिष्ट जोखिमों (अर्थात् ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों) को ध्यान में रखा गया है, अतः बैंकों के लिए दो कारणों से अतिरिक्त पूंजी रखना आवश्यक हो सकता है - स्तंभ 1 के अंतर्गत जोखिमों के कुछ कम आकलन की संभावना के कारण तथा बैंक के जोखिम प्रबंधन तंत्र की गुणवत्ता की तुलना में बैंक के वास्तविक जोखिम एक्सपोज़र के कारण। **उदाहरण के लिए**, बैंकों के कुछ सामान्य जोखिम जिन्हें विनियामक सीआरएआर में समाविष्ट नहीं किया गया है या पूर्णतः समाविष्ट नहीं किया गया है, निम्नलिखित हैं -

- क) बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
- ख) ऋण संकेंद्रण जोखिम
- ग) चलनिधि जोखिम
- घ) निपटान जोखिम
- ङ) प्रतिष्ठा जोखिम
- च) रणनीतिगत जोखिम
- छ) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत कम आकलन का जोखिम
- ज) "मॉडेल जोखिम" अर्थात् आइआरबी दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम के कम आकलन का जोखिम
- झ) ऋण जोखिम कम करनेवाले तत्वों में कमजोरी का जोखिम
- ञ) प्रतिभूतीकरण का अवशिष्ट जोखिम, आदि

अतः यह उचित होगा कि बैंक एक सुपरिभाषित आंतरिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने विभिन्न जोखिम एक्सपोज़र का स्वयं मूल्यांकन करें तथा ऐसे जोखिमों के लिए पर्याप्त पूंजी समर्थन बनाए रखें।

10.5 यह सच है कि आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) संचालित करने के लिए कोई एक दृष्टिकोण नहीं है तथा आइसीएएपी संचालित करने की स्वतंत्र प्रथा के संबंध में बाजार में अभी तक सर्व सम्मति नहीं हो पायी है। क्रियाविधि और तकनीकें

अभी भी विकसित ही हो रही हैं - खास कर ऐसे जोखिमों की माप के संबंध में जिन्हें मात्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए प्रतिष्ठा जोखिम और रणनीतिगत जोखिम। अतः, इन दिशानिर्देशों में केवल व्यापक सिद्धांत दिये गये हैं, जिनका अनुसरण बैंकों को अपने आइसीएएपी विकसित करने के लिए करना चाहिए।

10.6 बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने बोर्ड के अनुमोदन से अपने आकार, जटिलता के स्तर, जोखिम प्रोफाइल तथा परिचालनों की व्याप्ति के अनुरूप आइसीएएपी विकसित करें तथा उसे लागू करें। आइसीएएपी स्तंभ 1 के अंतर्गत विनियामक पूंजी अपेक्षा संबंधी बैंक की गणना के अतिरिक्त होगा तथा विदेशी बैंकों और भारत से बाहर परिचालनात्मक मौजूदगी वाले भारतीय बैंक द्वारा 31 मार्च 2008 से तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अन्य सभी वाणिज्य बैंकों द्वारा 31 मार्च 2009 से आइसीएएपी का परिचालन किया जाना चाहिए।

10.7 बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक (अर्थात् प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, सेंटर 1, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई - 400 005) को 30 जून 2008 तक अथवा 31 मार्च 2009 तक, जो भी लागू हो, अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आइसीएएपी दस्तावेज की एक प्रतिलिपि भेजें। इस दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन, आगामी वर्ष के लिए पूंजी अपेक्षा का अनुमान तथा पूंजी अपेक्षा की पूर्ति के लिए योजना और रणनीति के ब्यौरे होने चाहिए। बैंकों के मार्गदर्शन के लिए **अनुबंध - 15** में आइसीएएपी दस्तावेज के प्रारूप का एक उदाहरण दिया गया है, हालाँकि बैंकों के आइसीएएपी दस्तावेज की लम्बाई और उसका प्रारूप, बैंकों के आकार, जटिलता के स्तर, जोखिम प्रोफाइल और परिचालनों की व्याप्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है। पहला आइसीएएपी दस्तावेज 30 जून 2008 तक या 31 मार्च 2009 तक, जो भी लागू हो, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्राप्त हो जाना चाहिए तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष मार्च के अन्त तक भारतीय रिज़र्व बैंक को उक्त दस्तावेज प्राप्त हो जाना चाहिए, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पूंजी मूल्यांकन और अनुमान के ब्यौरे होने चाहिए।

11. उन्नत जोखिम प्रबंध की आवश्यकता²³

11.1. विगत वर्षों में वित्तीय संस्थाओं की कठिनाइयों के अनेक कारण रहे हैं, लेकिन गंभीर बैंकिंग समस्याओं के निम्नलिखित मुख्य कारण बने हुए हैं : उधारकर्ताओं और काउंटरपार्टियों के लिए शिथिल ऋण मानक, खराब संविभागीय जोखिम प्रबंध तथा आर्थिक और अन्य

²³ कृपया 8 फरवरी 2010 का मास्टरपरिपत्र बैंकवि.बीपी.बीसी. सं.73/21.06.001/2009-2010 देखें।

परिस्थितियों में होनेवाले उन परिवर्तनों की ओर ध्यान न देना जो किसी बैंक की काउंटरपार्टियों की साख में गिरावट ला सकते हैं। विकसित और विकासशील दोनों देशों में यह समान अनुभव रहा है।

11.2. 2007-08 के वित्तीय बाज़ार संकट ने किसी बैंकिंग संगठन की दीर्घावधिक सफलता में प्रभावी ऋण जोखिम प्रबंध की महत्ता को रेखांकित किया है तथा उसे वित्तीय स्थिरता का एक महत्वपूर्ण अंग माना है। इस संकट ने हमें इस बात की ओर सख्त इशारा किया है कि बैंकों के लिए ऋण जोखिम को प्रभावी तरीके से पहचानना, उसकी माप करना, उसकी निगरानी और नियंत्रण करना तथा यह समझना कि ऋण जोखिम अन्य प्रकार के जोखिमों (बाज़ार, चलनिधि और प्रतिष्ठा जोखिम सहित) से कैसे प्रभावित होता है, कितना आवश्यक है। किसी परिपूर्ण ऋण जोखिम प्रबंध कार्यक्रम के महत्वपूर्ण तत्वों में निम्नलिखित शामिल हैं - (i) एक समुचित ऋण जोखिम वातावरण स्थापित करना; (ii) एक अच्छी ऋण मंजूरी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करना; (iii) एक समुचित ऋण प्रशासन, माप और निगरानी प्रक्रिया सुनिश्चित करना और (iv) 12 अक्टूबर 2002 को ऋण जोखिम पर जारी हमारे दिशानिर्देश नोट में दिये गये ब्यौरे के अनुसार ऋण जोखिम पर पर्याप्त नियंत्रण सुनिश्चित करना।

11.3. हाल के संकट ने प्रभावी पूंजी आयोजन और दीर्घावधिक पूंजी रख-रखाव के महत्व को रेखांकित किया है। अनिश्चित बाजार परिस्थितियों का सामना करने की किसी बैंक की क्षमता एक ऐसी सुदृढ़ पूंजीगत स्थिति से बढ़ जाती है जो बैंक की रणनीति में संभावित परिवर्तनों और समय के साथ बाजार स्थितियों में होनेवाले उतार-चढ़ाव को आत्मसात् कर सके। बैंकों को प्रभावी और कुशल पूंजी आयोजन तथा दीर्घावधिक पूंजी रख-रखाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक प्रभावी पूंजी आयोजन प्रक्रिया के अंतर्गत यह आवश्यक है कि बैंक अपने जोखिमों का आकलन करे तथा उन जोखिमों को प्रबंधित करने और उन्हें कम करने के लिए जोखिम प्रबंध प्रक्रिया स्थापित करे; जोखिमों की तुलना में अपनी पूंजी पर्याप्तता का आकलन करे तथा आर्थिक धीमेपन (मंदी) के दौरान आय और पूंजी पर संभावित प्रभाव पर विचार करे। किसी बैंक की पूंजी आयोजन प्रक्रिया में एक त्रुटिरहित भविष्यदर्शी दबाव परीक्षण प्रणाली शामिल होनी चाहिए, जैसा कि नीचे पैरा 12.9 में वर्णित किया गया है।

11.4 किसी व्यावसायिक गतिविधि में तेज वृद्धि से बैंकों के समक्ष जोखिम प्रबंध की महत्वपूर्ण चुनौती उपस्थित हो सकती है। 'ओरिजिनेट-टु-डिस्ट्रीब्यूट' कारोबारी मॉडल, तुलनपत्रेतर उत्पादों, चलनिधि सुविधाओं और ऋण डेरिवेटिव के व्यापक प्रयोग से ऐसा ही हुआ। ओरिजिनेट-टु-डिस्ट्रीब्यूट मॉडल और प्रतिभूतिकरण, ऋण मध्यस्थता और बैंक की लाभप्रदता में वृद्धि करता है तथा जोखिम को भी अधिक व्यापक रूप में वितरित करता है। लेकिन इनसे जुड़े जोखिमों को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। वस्तुतः ये

गतिविधियां कारोबार क्षेत्र के भीतर, कंपनी और जोखिम घटकों के बीच ऐसे एकसपोज़र उत्पन्न करती हैं जिनकी पहचान, माप, प्रबंधन, नियंत्रण और शमन करना कठिन है। यह बात विशेष रूप से बाजार चलनिधि, आस्ति कीमतों और जोखिम अभिमुखता की गिरावट के दौर में सच साबित होती है। ऐसे जोखिमों की समुचित पहचान और माप करने की असमर्थता से अनजाने में ऐसे जोखिम एकसपोज़र और जोखिम संकेंद्रण हो सकते हैं जिनसे विभिन्न कारोबारों में और जोखिम आयामों में समान कारक-समूह के कारण सहवर्ती हानि हो सकती है। स्ट्रक्चर्ड उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण बैंकों को प्रोत्साहन मिला कि वे ओरिजिनेट-टू-डिस्ट्रीब्यूट मॉडल का प्रयोग कर ऋण दें, उदाहरण के लिए असुरक्षित बेचान मानकों का प्रयोग करते हुए सबप्राइम मॉर्टगेज दिये गये। साथ ही, स्ट्रक्चर्ड ऋण उत्पादों में निवेश करने का निर्णय लेते समय अनेक निवेशक केवल ऋण रेटिंग एजेन्सियों की रेटिंग पर ही निर्भर थे। अनेक निवेशकों ने स्ट्रक्चर्ड उत्पाद खरीदते समय स्वतंत्र रूप से कोई छानबीन नहीं की। इसके अलावा अनेक बैंकों में उनके तुलनपत्र में धारित एकसपोज़र तथा तुलनपत्रेतर उत्पादों, यथा आस्ति समर्थित वाणिज्यिक पत्र (एबीसीपी) सरणी तथा स्ट्रक्चर्ड निवेश माध्यम (एसआईवी) से जुड़े जोखिमों का प्रबंध करने के लिए अपर्याप्त जोखिम प्रबंध प्रक्रिया स्थापित थी।

11.5 नवोन्मेष के कारण स्ट्रक्चर्ड ऋण उत्पादों की जटिलता और संभावित तरलता बढ़ गयी है। इससे इन उत्पादों का मूल्यांकन और हेजिंग अधिक कठिन हो सकती है और समग्र जोखिम में अनजाने में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, जटिल निवेशक-विशिष्ट उत्पादों की वृद्धि से ऐसे विरल बाज़ार उत्पन्न हो सकते हैं जो तरल न हों तथा यदि उनसे जुड़े जोखिमों को सही-सही नहीं समझा जाता है और सामयिक रूप से प्रभावी तरीके से उनका प्रबंध नहीं किया जाता है तो दबाव के समय बैंक को बड़ी हानि हो सकती है।

12. भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) तथा बैंकों की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) के लिए दिशानिर्देश

12.1 पृष्ठभूमि

12.1.1 बासल ढाँचा बैंकों के केवल न्यूनतम पूंजी अपेक्षा के निर्धारण तक सीमित था, परंतु बासल II ढाँचे में इस दृष्टिकोण को विस्तृत करते हुए न केवल न्यूनतम पूंजी अनुपात में कुछ अतिरिक्त जोखिमों को समाविष्ट किया गया है बल्कि पर्यवेक्षीय समीक्षा प्रक्रिया तथा बैंकों से प्रकटीकरण अपेक्षाओं में वृद्धि करने के माध्यम से बाज़ार अनुशासन नामक दो

अतिरिक्त क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार बासल II ढाँचा निम्नलिखित तीन परस्पर समर्थक स्तंभों पर आधारित है :

स्तंभ 1 : न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएँ - इसके अंतर्गत पूंजी अपेक्षाओं की जोखिम-संवेदी गणना निर्धारित की गयी है, जिसमें पहली बार स्पष्ट रूप से बाजार और ऋण जोखिम के साथ-साथ परिचालन जोखिम को भी शामिल किया गया है।

स्तंभ 2 : पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया (एसआरपी) - इसके अंतर्गत बैंकों में उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना तथा पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा उनकी समीक्षा शामिल है।

स्तंभ 3 : बाज़ार अनुशासन - इसके अंतर्गत बैंकों के लिए व्यापक प्रकटीकरण अपेक्षाओं के माध्यम से पारदर्शिता में वृद्धि करने का प्रयास किया गया है।

12.1.2 बासल समिति के बासल II दस्तावेज में स्तंभ II के अंतर्गत परिकल्पित एसआरपी के संबंध में निम्नलिखित चार प्रमुख सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है :

सिद्धांत 1 : बैंकों के पास अपने जोखिम प्रोफाइल के संबंध में अपनी समग्र पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए तथा पूंजी स्तर बनाए रखने के लिए रणनीति होनी चाहिए।

सिद्धांत 2 : पर्यवेक्षकों को बैंकों के आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकनों और रणनीतियों की तथा विनियामक पूंजी अनुपातों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अनुपालन की निगरानी करने की उनकी योग्यता की समीक्षा और मूल्यांकन करना चाहिए।

सिद्धांत 3 : पर्यवेक्षकों को बैंकों से यह अपेक्षा करनी चाहिए कि वे न्यूनतम विनियामक पूंजी अनुपात से उच्चतर स्तर पर परिचालन करें तथा पर्यवेक्षकों के पास यह क्षमता होनी चाहिए कि वे बैंकों से न्यूनतम से अधिक पूंजी रखने की अपेक्षा कर सकें।

सिद्धांत 4 : पर्यवेक्षकों को किसी बैंक के जोखिम स्वरूप का समर्थन करने के लिए अपेक्षित पूंजी को न्यूनतम स्तर से नीचे गिरने से बचाने के लिए काफी पहले हस्तक्षेप करने का प्रयास करना चाहिए। यदि पूंजी बनाए रखी नहीं जाती है अथवा

पुनः अपेक्षित स्तर तक नहीं लायी जाती है तो तेजी से सुधारात्मक उपाय अपनाने की अपेक्षा की जानी चाहिए।

12.1.3 यह स्पष्ट है कि सिद्धांत 1 और 3 बैंकों से पर्यवेक्षी अपेक्षाओं से संबंधित हैं, जबकि सिद्धांत 2 और 4 स्तंभ 2 के अंतर्गत पर्यवेक्षकों की भूमिका से संबद्ध हैं। स्तंभ 2 (पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया - एसआरपी) के अंतर्गत बैंकों के जोखिम प्रोफाइल से संबद्ध पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन के लिए तथा उनके पूंजी स्तर को बनाए रखने की एक रणनीति के रूप में बैंकों से एक आंतरिक प्रक्रिया कार्यान्वित करने की अपेक्षा की गयी है, जिसे आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) कहा गया है। स्तंभ 2 के अंतर्गत यह भी अपेक्षा की गयी है कि पर्यवेक्षीय प्राधिकारी सभी बैंकों पर एक मूल्यांकन प्रक्रिया लागू करे जिसे इसके बाद पर्यवेक्षीय समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) कहा जाएगा तथा इस आधार पर ऐसे पर्यवेक्षीय कदम उठाये जिन्हें आवश्यक समझा जाता है। पूर्वोक्त सिद्धांतों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि बैंकों और पर्यवेक्षकों पर निम्नलिखित व्यापक उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं -

बैंकों का उत्तरदायित्व

- क) बैंकों के पास अपने जोखिम प्रोफाइल की तुलना में अपनी समग्र पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रक्रिया तथा अपना पूंजी स्तर बनाये रखने के लिए एक रणनीति सुस्थपित होनी चाहिए (सिद्धांत 1)।
- ख) बैंकों को न्यूनतम विनियामक पूंजी अनुपात के ऊपर परिचालन करना चाहिए (सिद्धांत 3)।

पर्यवेक्षकों का उत्तरदायित्व

- क) पर्यवेक्षकों को बैंक के आइसीएएपी की समीक्षा और मूल्यांकन करना चाहिए। (सिद्धांत 2)
- ख) यदि पर्यवेक्षक इस प्रक्रिया के परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें समुचित कार्रवाई करनी चाहिए। (सिद्धांत 2)
- ग) पर्यवेक्षकों को बैंक द्वारा विनियामक पूंजी अनुपातों के अनुपालन की समीक्षा और मूल्यांकन करना चाहिए (सिद्धांत 2)
- घ) पर्यवेक्षकों के पास यह क्षमता होनी चाहिए कि वे बैंकों से अपेक्षा कर सकें कि वे न्यूनतम से अधिक पूंजी रखें (सिद्धांत 3)

- ड) पर्यवेक्षकों को न्यूनतम स्तर से नीचे पूंजी गिरने से रोकने के लिए काफी पहले हस्तक्षेप करने का प्रयास करना चाहिए । (सिद्धांत 4)
- च) यदि पूंजी स्तर नहीं बनाए रखा जाता है तो पर्यवेक्षकों को त्वरित प्रतिकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा रखनी चाहिए (सिद्धांत 4)

12.1.4 अतः, आइसीएएपी और एसआरईपी स्तंभ 2 के दो महत्वपूर्ण घटक हैं तथा उन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है :

आइसीएएपी के अंतर्गत किसी बैंक की प्रक्रियाएं तथा निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए परिकल्पित उपाय शामिल होंगे -

- क) जोखिम की समुचित पहचान और माप
- ख) बैंक के जोखिम प्रोफाइल की तुलना में आंतरिक पूंजी का समुचित स्तर
- ग) बैंक में उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू करना और उनका और विकास करना

एसआरईपी के अंतर्गत पर्यवेक्षक द्वारा अपनायी गयी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया आती है, जिसमें ऊपर वर्णित सिद्धांतों में परिभाषित सभी प्रक्रियाएं और उपाय शामिल हैं । वस्तुतः इसके अंतर्गत बैंक के आइसीएएपी की समीक्षा और मूल्यांकन करना, बैंक के जोखिम प्रोफाइल का एक स्वतंत्र मूल्यांकन करना तथा यदि आवश्यक हो तो समुचित विवेकपूर्ण उपाय और अन्य पर्यवेक्ष्य कार्रवाई करना शामिल है ।

12.1.5 इन दिशानिर्देशों में भारतीय रिज़र्व बैंक किस प्रकार एसआरईपी का संचालन करेगा, आइसीएएपी की प्रत्याशित व्याप्ति और डिज़ाइन क्या होगी तथा आइसीएएपी के कार्यान्वयन के संबंध में बैंकों से भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रत्याशाएं क्या होंगी - इनके संबंध में बैंकों को व्यापक मार्गदर्शन देने का प्रयास किया गया है ।

12.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एसआरईपी का संचालन

12.2.1 पूंजी बैंक को दिवालिया होने से बचाती है और इस प्रकार समग्र बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और सुदृढ़ता सुनिश्चित करने में मदद करती है । स्तंभ 1 के अंतर्गत न्यूनतम विनियामक पूंजी अपेक्षा एक स्तर निर्धारित करती है जिससे नीचे किसी सुदृढ़ बैंक की पूंजी नहीं जानी चाहिए । विनियामक पूंजी अनुपातों के कारण विनियमित बैंकिंग संस्थाओं के बीच

पूँजी पर्याप्तता का कुछ तुलनात्मक विश्लेषण हो सकता है क्योंकि ये अनुपात कतिपय सामान्य क्रियाविधियों/मान्यताओं पर आधारित रहते हैं। तथापि, पर्यवेक्षकों को किसी बैंक विशेष के जोखिमों पर विचार करते समय पूँजी पर्याप्तता के अधिक परिपूर्ण मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, जिसमें न्यूनतम विनियामक पूँजी अपेक्षाओं से परे विश्लेषण किया गया हो।

12.2.2 भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्यतः बैंकों से यह अपेक्षा करता है कि वे सभी प्रकार के महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए अपने-अपने जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप अपने न्यूनतम विनियामक पूँजी स्तरों से अधिक पूँजी रखें। एसआरईपी के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक एक व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से, जिसमें सभी संबद्ध उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखा जाता है, किसी बैंक की समग्र पूँजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करेगा। यह निश्चित करने के लिए कि किसी बैंक को न्यूनतम विनियामक पूँजी से कितनी अधिक पूँजी रखनी चाहिए, भारतीय रिज़र्व बैंक विनियामक न्यूनतम पूँजी अपेक्षाओं का बैंक के द्वारा अनुपालन, बैंक के आइसीएएपी की गुणवत्ता और परिणाम, बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं, नियंत्रण प्रणालियों तथा बैंक के जोखिम प्रोफाइल और पूँजी स्थिति से संबद्ध अन्य प्रासंगिक सूचनाओं के पर्यवेक्षीय मूल्यांकन के संयुक्त प्रभाव को ध्यान में रखेगा।

12.2.3 अतः बैंकों के एसआरईपी का संचालन भारतीय रिज़र्व बैंक आवधिक रूप से करेगा, जो सामान्यतः भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के वार्षिक निरीक्षण (एएफआइ) के साथ होगा तथा यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों से प्राप्त होनेवाले ऑफ-साइट विवरणों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों से प्रत्येक वर्ष अपेक्षित आइसीएएपी दस्तावेज से प्राप्त सूचना के आधार पर किया जाएगा (देखें पैरा 11.3.4)। एसआरईपी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों के आइसीएएपी की पर्याप्तता और प्रभावशीलता तथा उससे प्राप्त पूँजी अपेक्षा का मूल्यांकन करेगा। यद्यपि मूल्यांकन के दौरान विनियामक न्यूनतम सीआरएआर और बैंक के आइसीएएपी के परिणाम के बीच के अंतर को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा (क्योंकि इन दो प्रक्रियाओं में शामिल जोखिम अलग-अलग हैं), तथापि बैंकों से यह आशा की जाएगी कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष यह सिद्ध करें कि उन्होंने जो आइसीएएपी अपनाया है वह उनके आकार, जटिलता के स्तर, परिचालनों की व्याप्ति और परिमाण तथा उससे उत्पन्न जोखिम प्रोफाइल/एक्सपोज़र के प्रति पूर्णतः सजग है तथा उनकी पूँजी अपेक्षाओं को अच्छी तरह व्यक्त करती है। आइसीएएपी की प्रभावोत्पादकता के ऐसे मूल्यांकन से भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों द्वारा अपनायी गयी पूँजी प्रबंधन प्रक्रियाओं और रणनीतियों को समझने में मदद मिलेगी। यदि आवश्यक माना गया तो एसआरईपी के अंतर्गत समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक के उच्चतम प्रबंध तंत्र के बीच संवाद भी हो सकता है। आवधिक समीक्षा के अलावा यदि आवश्यक समझा गया तो रिज़र्व बैंक,

बैंक की आइसीएएपी पाक्रिया के विशिष्ट पहलुओं पर टिप्पणी करने तथा तदर्थ समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र बाह्य विशेषज्ञ भी नियुक्त कर सकता है । ऐसी समीक्षा का स्वरूप और सीमा भारतीय रिज़र्व बैंक निर्धारित करेगा ।

12.2.4 एसआरईपी के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक यह भी पता लगाने का प्रयास करेगा कि अंतर्निहित परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर बैंक की समग्र पूंजी पर्याप्तता बनी हुई है । सामान्य तौर पर जोखिम में यदि महत्वपूर्ण वृद्धि होती है, जिसे किसी अन्य तरीके से कम नहीं किया जा सकता, तो उसके साथ-साथ पूंजी में भी तदनुरूप वृद्धि होनी चाहिए । इसके ठीक विपरीत, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक अपने पर्यवेक्षीय मूल्यांकन से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जोखिम में महत्वपूर्ण गिरावट आयी है या इसे समुचित रूप से कम किया गया है, तो समग्र पूंजी में कटौती (विनियामक न्यूनतम पूंजी के स्तर से फिर भी अधिक) उपयुक्त हो सकती है । ऐसे मूल्यांकन के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी पर्यवेक्षीय चिंता का निवारण करने के लिए समुचित पर्यवेक्षीय कदम उठाने पर विचार कर सकता है । इन उपायों में बैंक की जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया में परिवर्तन या वृद्धि, जोखिम एक्सपोज़र में कटौती या संबंधित पर्यवेक्षीय चिंता के निवारण के लिए आवश्यक समझी गयी कोई भी कार्रवाई आ सकती है । इन उपायों में बैंक विशेष के लिए न्यूनतम सीआरएआर की शर्त भी हो सकती है, जो स्तंभ 1 के अंतर्गत निर्धारित विनियामक न्यूनतम पूंजी अपेक्षा की तुलना में, तथ्य और परिस्थिति के अनुरूप, उच्चतर भी हो सकती है । जिन मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक विनियामक न्यूनतम से अधिक सीआरएआर निर्धारित करेगा, वहां वह ऐसा करने के पीछे के कारणों को संबंधित बैंक को स्पष्ट करेगा । तथापि, इस प्रकार का अतिरिक्त सीआरएआर प्रावधान, एसआरईपी अभ्यास का एक संभव परिणाम हो सकता है परंतु यह अनिवार्य परिणाम हो आवश्यक नहीं है, क्योंकि एसआरईपी का मुख्य उद्देश्य बैंकों की जोखिम प्रबंध प्रणालियों में सुधार लाना है ।

12.2.5 जब भी बासल II दस्तावेज में अभिकल्पित उन्नत दृष्टिकोणों को भारत में अपनाने की अनुमति मिलेगी, एसआरईपी उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने से संबंधित पात्रता मानदंडों का बैंकों द्वारा निरंतर अनुपालन किए जाने का भी मूल्यांकन करेगी।

12.3 आइसीएएपी का संरचनात्मक पहलू

12.3.1 इस खंड में आइसीएएपी के व्यापक मापदंडों की रूपरेखा दी गयी है, जिनका अनुपालन बैंकों को अपने आइसीएएपी की परिकल्पना और कार्यान्वयन के दौरान करना चाहिए ।

12.3.2 प्रत्येक बैंक के पास आइसीएएपी होनी चाहिए

यह देखते हुए कि बासल II ढांचा सभी वाणिज्य बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर एकल स्तर (वैश्विक स्थिति) तथा समेकित स्तर दोनों स्तरों पर लागू है, अतः किसी बैंकिंग समूह की प्रत्येक बैंकिंग संस्था के प्रत्येक स्तर पर एकल आधार पर तथा समेकित बैंक (अर्थात् संस्थाओं का एक समूह जहां लाइसेंस प्राप्त बैंक एक नियंत्रक संस्था है) के आधार पर भी आइसीएएपी तैयार किया जाना चाहिए। यह अपेक्षा उन विदेशी बैंकों पर भी लागू होगी जिनकी भारत में शाखा है। उनके आइसीएएपी में केवल भारतीय परिचालनों को शामिल किया जाना चाहिए।

12.3.3 आइसीएएपी में पूरी फर्म का जोखिम प्रोफाइल शामिल होना चाहिए²⁴

12.3.3.1 पूरी फर्म के जोखिम प्रबंध के सामान्य सिद्धांत

वरिष्ठ प्रबंधतंत्र को बैंक के जोखिम एक्सपोज़र का एक समन्वित, संपूर्ण फर्म-वार परिदृश्य लेने का महत्व समझना चाहिए ताकि वह उभरनेवाले तथा बढ़ते जोखिमों को पहचानने तथा उनपर प्रतिक्रिया करने की अपनी क्षमता का समय पर तथा प्रभावी रूप से समर्थन कर सके। इस मार्गदर्शन का प्रयोजन है प्रतिभूतिकरण, तुलनपत्रेतर एक्सपोज़रों, स्ट्रक्चर्ड ऋण तथा जटिल खरीद-बिक्री संबंधी कार्यकलापों सहित बैंक के पूंजी बाजार संबंधी कार्यकलापों चारों ओर के फर्म-वार निरीक्षण, जोखमा प्रबंधन तथा नियंत्रणों को बढ़ाने की आवश्यकता।

एक स्वस्थ जोखिम प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित मुख्य तत्व होने चाहिए :

- बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन का सक्रिय निरीक्षण;
- समुचित नीति, क्रियाविधि तथा सीमाएं;
- जोखिमों का व्यापक तथा समय पर निर्धारण, मापन, न्यूनीकरण नियंत्रण, निगरानी तथा रिपोर्टिंग;
- कारोबार तथा पूरी फर्म के स्तर पर समुचित प्रबंधन सूचना प्रणालियां; तथा
- व्यापक आंतरिक नियंत्रण।

12.3.3.2 निदेशक बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधतंत्र द्वारा पर्यवेक्षण

आइसीएएपी की रचना और कार्यान्वयन का अंतिम उत्तरदायित्व बैंक के निदेशक मंडल पर होगा तथा भारत में शाखागत मौजूदगी वाले विदेशी बैंकों के मामले में यह उत्तरदायित्व

²⁴ कृपया 8 फरवरी 2010 का मास्टरपरिपत्र बैंपवि.बीपी.बीसी. सं.73/21.06.001/2009-2010 देखें।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी पर होगा। संस्था की जोखिम लेने की क्षमता तथा प्रवृत्ति को परिभाषित करने तथा यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निदेशक बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन की है कि बैंक के जोखिम प्रबंधन के ढांचे में ऐसी विस्तृत नीतियां हैं जो बैंक के कार्यकलापों पर पूरी फर्म के लिए विशिष्ट विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित करती हैं जो कि बैंक की जोखिम लेने की क्षमता तथा प्रवृत्ति के अनुरूप है। बैंक की जोखिम लेने की समग्र प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए पहले बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन के पास पूरी फर्म के आधार पर जोखिम एक्सपोजरों की समझ होनी चाहिए। यह समझ प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन के उपयुक्त सदस्यों को कारोबार तथा नियंत्रण संबंधी मुख्य कार्यों के दृष्टिकोण को साथ मिलाना चाहिए। जोखिम के संबंध में पूरी फर्म का एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को विभिन्न कारोबारों के बीच जो संगठनात्मक अलगाव है उसे पार करना होगा और बाजार गतिविधियों, जोखिम तथा जोखिम को कम करने की तकनीकों के बारे में सूचनाओं/जानकारी को बांटना होगा। जैसे-जैसे बैंकिंग उद्योग बाजार आधारित मध्यस्थता की ओर अधिकाधिक बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शा रहा है, इस बात की संभाव्यता अधिक है कि किसी बैंक के कई क्षेत्रों से संबंधित उत्पाद, जोखिम तत्व अथवा काउंटरपार्टियां एक ही हो। वरिष्ठ प्रबंधन को एक ऐसी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए जो ऋण, बाजार, चलनिधि तथा परिचालनात्मक जोखिमों तक सीमित नहीं है बल्कि जिसमें सभी भौतिक/महत्वपूर्ण जोखिमों को शामिल किया गया है। इनमें प्रतिष्ठात्मक, विधि तथा कार्यनीति संबंधी जोखिमों सहित वे जोखिम भी शामिल हैं जो कि अकेले अथवा अलग से इतने महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होते लेकिन जो अन्य जोखिमों के साथ मिलकर बहुत हानि पहुंचा सकते हैं।

निदेशक बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन के पास सभी प्रमुख कारोबार क्षेत्रों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि समुचित नीतियां, नियंत्रण तथा जोखिम निगरानी प्रणालियां प्रभावी हैं। उनके पास बैंक जिन पूंजी बाजार कार्यकलापों में सक्रिय है - जैसे प्रतिभूतिकरण तथा तुलनपत्रेतर कार्यकलाप - उन्हें तथा उनसे संबद्ध जोखिमों को समझने के लिए अपेक्षित निपुणता होनी चाहिए। जैसे-जैसे वित्तीय बाजार, जोखिम प्रबंधन प्रथाएं तथा बैंक के कार्यकलाप विकसित होते हैं वैसे ही बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन को निरंतर आधार पर इन जोखिमों के बारे में ज्ञान हासिल करते रहना चाहिए। इसके अलावा बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जवाबदेही तथा अधिकार के क्रम को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। नए अथवा जटिल उत्पादों तथा कार्यकलापों के संबंध में वरिष्ठ प्रबंधन को व्यवसाय मॉडैल्स, मूल्यांकन तथा जोखिम प्रबंधन प्रथाओं से संबंधित आधारभूत धारणाओं को समझना चाहिए। इसके अलावा, वरिष्ठ प्रबंधन को, उन धारणाओं के असफल हो जाने की स्थिति में संभाव्य जोखिम एक्सपोजर का मूल्यांकन करना चाहिए। नए कार्यकलाप शुरू करने अथवा जो संस्था के लिए नए हैं ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने से पहले बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन को इन संभाव्य नए उत्पादों अथवा कार्यकलापों से पूरी फर्म के जोखिमों में होने वाले परिवर्तनों का निर्धारण तथा समीक्षा

करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित जोखिमों के प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं तथा आंतरिक नियंत्रण स्थापित हैं । इस समीक्षा में बैंक को नए उत्पादों के मूल्यन में संभाव्य कठिनाईयों तथा दबावपूर्ण आर्थिक परिवेश में उनके कार्यनिष्पादन की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए । बोर्ड को सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक का वरिष्ठ प्रबंधतंत्र निम्नलिखित कार्य करता है :

- i. बैंक के विभिन्न जोखिम एक्सपोज़रों के मूल्यांकन तथा समुचित प्रबंधन के लिए एक जोखिम ढांचा स्थापित करता है ;
- ii. बैंक के जोखिम एक्सपोज़रों की निगरानी करने तथा बैंक की पूंजी तथा आरक्षित निधियों की तुलना में उसका विचार करने के लिए एक प्रणाली विकसित करता है;
- iii. बैंक की आंतरिक नीतियों विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन के अनुपालन की निगरानी करने के लिए एक पद्धति स्थापित करता है; तथा
- iv. सभी संबंधित नीतियों तथा क्रियाविधियों को पूरे बैंक में प्रभावी रूप से संप्रेषित करता है ।

बैंक का जोखिम कार्य तथा उसके मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) अथवा उसके समकक्ष पद को विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों से अलग होना चाहिए और वह मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक तथा संस्था के निदेशक बोर्ड के पास सीधे रिपोर्ट करेगा । इसके अलावा, जोखिम कार्य में उनको वरिष्ठ प्रबंधतंत्र तथा बोर्ड को जोखिम प्रबंधन संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे जोखिम संकेंद्रीकरण तथा जोखिम प्रवृत्ति की सीमाओं के उल्लंघनों को विशिष्ट रूप से स्पष्ट करना चाहिए ।

12.3.3.4 नीतियां, क्रियाविधियां, सीमाएं तथा नियंत्रण

बैंक की आइसीएएपी की रचना, स्वरूप तथा विषय-वस्तु निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आइसीएएपी बैंक की प्रबंधन प्रक्रिया तथा निर्णय लेने की संस्कृति का एक अविभाज्य भाग है । पूरी फर्म के लिए तैयार किए गए जोखिम प्रबंधन कार्यक्रमों में ऐसी विस्तृत नीतियां शामिल होनी चाहिए जिनमें बैंक के कार्यकलापों से संबंधित मुख्य जोखिमों पर पूरी फर्म के लिए विशिष्ट विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की गई हों । बैंक नीतियों तथा क्रियाविधियों को व्यवसाय संबंधी विस्तृत कार्यनीतियों के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए और जहां उचित हो वहां बैंक को जिन विभिन्न प्रकार के जोखिम हो सकते हैं उनके लिए आंतरिक सीमाएं भी स्थापित करनी चाहिए । इन सीमाओं को वित्तीय प्रणाली में बैंक की भूमिका को विचार में लेना चाहिए

